सत्यमेव जयते

भारतीय प्रेस परिषद्
PRESS COUNCIL OF INDIA

पत्रकारिता के आचरण के मानक

संस्करण 2022

सत्यमेव जयते

भारतीय प्रेस परिषद्
PRESS COUNCIL OF INDIA

भारतीय प्रेस परिषद

पत्रकारिता के आचरण के मानक

2022

भारतीय प्रेस परिषद

सूचना भवन, 1st 2nd 3rd तल, 8, सी॰जी॰ओ॰ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003
फोन : 91 (011) 24366404-405

ई-मेल : secy-pci@nic.in, so.editorial-pci@gov.in
वैबसाइट : www.presscouncil.nic.in

मुद्रणः चंदु प्रेस, दिल्ली–110092

विषय सूची

भाग क : सिद्धांत और आचार नीति

क्र.सं.	मानक	पृष्ठ सं.
1.	सटीकता और औचित्य	1
2.	विज्ञापन	3
3.	ज्योतिष संबंधी भविष्य वाणी	9
4.	जाति, धर्म या समुदाय का उल्लेख	9
5.	मानहानिकारक लेखों के प्रति सावधानी	11
6.	क) न्यायिक क्रियाओं की आलोचना में सावधानी	16
	ख) अदालत की कार्यवाही से संबंधित समाचार छापना	17
7.	भरोसे का सम्मान किया जाए	18
8.	अटकलबाजी, टीका तथा तथ्य	19
9.	भूल सुधार	19
10.	सांप्रदायिक विवादों/संघर्षो के समाचार	20
11.	सार्वजनिक व्यक्तियों की आलोचना/संगीत समीक्षाएँ	22
12.	संपादक का विवेक	22
13.	विदेश-संबंध	24
14.	कपटपूर्ण गतिविधियाँ	24
15.	लिंग आधारित समाचार	24
16.	सामाजिक कुरीतियों को महिमान्वित/प्रोत्साहित न किया जाए	24
17.	सुर्खियां	25
18.	एचआईवी/एड्स और मीडिया-कर्तव्य और निषेध	25
19.	अवैध पुनः प्रस्तुति	28

20. आंतरिक विवाद

क) प्रबंधन-संपादक संबंध 28

ख) प्रबंधन बनाम पत्रकार : कार्यात्मक संबंध 31

21. खोजी पत्रकारिता, उसके मानक तथा पैरामीटर 31

22. संपादक के नाम पत्र 34

23. समाचारपत्र राजनयिक उन्मुक्ति के दुरुपयोग का उद्भासन कर सकते हैं 35

24. समाचारपत्र फूहड़ वाणिज्यीकरण से बचें 35

25. समाचारपत्र संकेतात्मक दोषिता से बचें 36

26. अयाचित सामग्री को वापस न करना 36

27. फोटो पत्रकारिता के लिए मानक 37

28. अश्लीलता तथा अशिष्टता से बचा जाए 40

29. पेड समाचार 42

30. प्रेस के अधिकार के तहत किसी पेशे पर टिप्पणी करने के मापदंड 44

31. सरकारी कर्मचारियों के कृत्यों तथा आचरण पर टिप्पणी करने के लिए प्रेस के अधिकार के पैरामीटर 44

32. राष्ट्रीय हित सर्वोपरि 45

33. साहित्यिक चोरी 46

34. प्रकाशन-पूर्व सत्यापन 47

35. सार्वजनिक व्यक्तियों की एकांतता 49

36. व्यावसायिक कदाचार 50

37.	व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता	51
38.	भेंटवार्ताओं तथा फोन पर बातचीत को रिकॉर्ड करना	51
39.	रिपोर्टिंग :	
	क) मानसिक स्वास्थ्य रोगियों के संबद्ध सूचना पर रिपोर्टिंग	51
	ख) आत्महत्या पर रिपोर्टिंग	51
	ग) प्राकृतिक आपदाओं पर रिपोर्टिंग	54
	घ) बाल परित्याग पर रिपोर्टिंग	55
	ङ) यौन कर्मियों पर रिपोर्टिंग	55
40.	विधानमंडल की कार्यवाही की रिपोर्टिंग	56
41.	उत्तर का अधिकार	56
42.	एकांतता का अधिकार	58
43.	क) मीडिया द्वारा परीक्षण	59
	ख) स्टिंग ऑपरेशन पर दिशानिर्देश	61
44.	समाचारों को अनधिकृत रूप से उठाना	62
45.	हिंसा को महिमान्वित न किया जाए	62

भाग ख : विशिष्ट मुद्दों पर दिशानिर्देश

क)	सांप्रदायिक दंगे होने पर प्रेस द्वारा अनुपालन हेतु दिशानिर्देश, 1969	64
ख)	सैन्यवादियों/आतंकवादियों के विज्ञप्ति पत्रकों का प्रकाशन-मार्गदर्शी सिद्धांत 1991-1992	69
ग)	एच आई वी/एड्स तथा मीडिया	71
घ)	वित्तीय पत्रकारिता, 1996	84
ङ.)	चुनाव रिपोर्टिंग – 1996	86
च)	पत्रकारों पर अनुचित अनुग्रह के संबंध में दिशानिर्देश-1988	89

छ)	एकांतता का अधिकार-सार्वजनिक व्यक्ति और प्रेस-1998	95
ज)	उत्प्रवास अधिनियम 1983 के अनुसार विदेशी विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए आदर्श मार्गदर्शी सिद्धांत	97
झ)	बाल अधिकार सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देश	99
ञ)	आदर्श प्रत्यायन/विज्ञापन नियमावली-2014	101
ट)	आदर्श विज्ञापन नीति संबंधी दिशानिर्देश-2014	112
ठ)	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के विज्ञापन	116
ड)	पेड समाचारों की पहचान करने के लिए निर्धारित सिद्धांत	117
ढ)	कोविड-19 की रिपोर्टिंग और पत्रकारों के सुरक्षा उपायों पर दिशानिर्देश	118
ण)	मेडिकल रिपोर्टिंग के लिए मानक	120
त)	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-23 का उपबंध	121

भाग ग : प्रेस से सबंधित कानून 123

भाग घ : प्रेस परिषद के अधिकार, व्यवहार कर्म तथा प्रक्रियाएँ 128

भाग ड. : पत्रकारिता में उत्तम आचरण 133

प्रस्तावना

लोकतंत्र में स्वतंत्र प्रेस कोई विकल्प नहीं है; यह अपरिहार्य शर्त है। यह लोगों का स्वर है और सूचना प्रदान करने हेतु विशेष वाहक है जो सामूहिक राय बनाने में लोगों की मदद करता है।

आज, प्रेस ने अपने तकनीकी विशेषाधिकारों के साथ समाज और शासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। मीडिया जिन विकृतियों से ग्रस्त है, के साथ ही, समय के साथ-साथ, गति विधान में काफी बदलाव हुए हैं। इन दिनों मीडिया वृतिक के रूप में काम करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। किसी घटना के तथ्यों की, समय पर रिपोर्ट करने के लिए पत्रकार अत्यधिक दबाव में काम कर रहे हैं और किसी वारदात की सबसे पहले रिपोर्ट करने की होड़ अक्सर प्रेस और मीडिया की अखंडता को प्रभावित करती है। मीडिया में लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए मीडिया की विश्वसनीयता आवश्यक है; इसलिए, प्रेस को अपने पेशे में नैतिक पत्रकारिता के मार्ग पर चलने की जरूरत है।

भारतीय प्रेस परिषद, शुरुआत से ही, यह सुनिश्चित करते हुए कि भारतीय प्रेस के उच्च मानक उन्मुक्त रहें, प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने और इसे बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। अपने अधिदेश की प्राप्ति की प्रक्रिया में, परिषद प्रेस का मार्गदर्शन करने और पत्रकारिता के पेशे में लगे सभी लोगों में जिम्मेदारी और सार्वजनिक सेवा की भावना को बढ़ावा देने के लिए अपने न्यायनिर्णयों, घोषणाओं और परामर्शिकाओं के आधार पर समय-समय पर आचारनीति संहिता विकसित करती है। पत्रकारिता के आचरण के मानक, 2022 के इस अद्‌यतन और संशोधित संस्करण में कई संवेदनशील विषयों/मुद्‌दों को शामिल किया गया है, जो यौन कर्मियों, बाल परित्याग, आत्महत्या आदि जैसे मुद्‌दों की रिपोर्टिंग के लिए मीडिया का मार्गदर्शन अत्यंत संवेदनशीलता के साथ करते हैं।

मुझे विश्वास है कि प्रेस परिषद का ‘पत्रकारिता के आचरण के मानक’ संस्करण 2022, मीडियाकर्मियों और महत्वकांशी मीडिया कार्यकर्ताओं को नैतिक पत्रकारिता को महत्व देने और इसका अभ्यास करने के लिए प्रबुद्ध एवं प्रोत्साहित करके उनका मार्गदर्शन करेगा।

न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

पत्रकारिता के आचरण के मानक

भाग-क : सिद्धांत तथा आचार नीति

पत्रकारिता का मूल उद्देश्य यह है की जन रुचि के विषयों पर न्यायसंगत,यथार्थ, निष्पक्ष, सौम्य तथा शालीन विधि से समाचारों, विचारों, टीकाओं तथा जानकारी को देकर लोगों की सेवा की जाए। इस प्रयोजन के लिए प्रेस से आशा की जाती है कि वह विश्व भर में मान्यता प्राप्त व्यावसायिकता के कुछ मानकों के अनुरूप आचरण करे। यदि नीचे लिखे मानकों और उसके बाद संलग्न विशिष्ट दिशा निर्देशों का प्रयोग उचित विवेक के साथ और हर मामले कि अपनी परिस्थितियों के अनुकूल किया जाए तो पत्रकार को अपने आचरण के स्वनियंत्रण में मदद मिलेगी।

1. सटीकता और औचित्य

i) प्रेस गलत, निराधार, अशिष्ट, भ्रामक या विकृत सामग्री का प्रकाशन नहीं करेगा। मूल मुद्दे या विषय के सभी पक्षों को प्रस्तुत किया जाए। बेजा अफवाहों तथा अटकलों को तथ्यों के रूप में प्रस्तुत न किया जाए।

ii) समाचारपत्रों का यह कर्तव्य है कि वे पब्लिक इंटरफेस वाले वित्तीय संस्थानों की साख को प्रभावित करने वाली अफवाहों के जवाब में सकारात्मक भूमिका अदा करें।

iii) जहां प्रेस का यह कर्तव्य है कि वह अपने नोटिस में आने वाली गलतियों का भंडाफोड़ करे वहीं यह भी आवश्यक है कि ऐसी रिपोर्टों के साथ अखंडनीय तथ्य और साक्ष्य हों।

iv) समाचारपत्र को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका कार्य समाचारों को एकत्र करना और उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना होता है ना कि समाचार गढ़ना होता है।]

v) जब कभी कोई समाचार किसी एफआईआर के आधार पर प्रकाशित किया जाए और जो किसी व्यक्ति या निकाय की प्रतिष्ठा के लिये महत्वपूर्ण हो, तब समाचारपत्र/पत्रिकाओं को उसी समाचार में स्पष्ट उल्लेख कर देना चाहिए कि यह समाचार एफआईआर पर ही आधारित है और एफआईआर में दिये गये कथन की सत्यता पर न्यायालय को निर्णय लेना होता है। समाचारपत्र को पीड़ित व्यक्ति का बयान भी प्रकाशित करना चाहिए।

vi) समाचारपत्र को नेता के बयानों को गलत अर्थ में या गलत नहीं देना चाहिए। संपादकीय में उद्धृत बयानों को सत्य भावना में दर्शाना चाहिए जिसे उनके द्वारा व्यक्त करने का प्रयास किया जा रहा था।

vii) लेखों जिनमें समसामयिक घटनाओं के आधार पर इतिहास का विश्लेषण या व्याख्या की गई हो उन्हें अनीतिकर नहीं कहा जा सकता है।

viii) जब कोई समाचारपत्र किसी व्यक्ति की कहानी प्रकाशित कर रहा हो और उससे संबंधित मामलों पर समाचार श्रंखलाबद्ध प्रकाशित किए जा रहे हो, तो उसके दोषमुक्त होने का समाचार भी पिछले समाचारों की भांति ही प्रमुखता से प्रकाशित करना चाहिए।

ix) समाचारपत्र ऐसे किसी अध्ययन के आधार पर जिसका कोई मान्य आधार ना हो, प्रकाशित सनसनीखेज़ समाचार शीर्षकों से होने वाले हानिकारक प्रभावों के लिये उत्तरदायी होता है।

x) अफवाह कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रहती है किंतु समाचार लाखों लोगों तक पहुंचता है और इस कारण समाज के प्रति प्रेस की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है।

xi) मीडिया को सूचना को कम आंकने की प्रवृति को दूर करना चाहिए और समाज में विश्वसनीयता बनानी चाहिए ताकि पाठकों का विश्वास जीता जा सके।

xii) बोलने की स्वतंत्रता किसी समाचारपत्र को किसी संस्था या व्यक्ति के बारे में असत्य तथ्यों को हल्के में लिखने का भी अधिकार नहीं देती है।

xiii) किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के खिलाफ गंभीर प्रकृति की ऐतिहासिक रूप से गलत टिप्पणी नहीं की जाएगी।

xiv) समाचारपत्र (समाचारपत्रों) को मटका, गेमिंग चार्ट और उनके परिणामों को समाचार पत्र में प्रकाशित करके गेमिंग में सहायता और इसके लिए सुविधा प्रदान करने में शामिल नहीं होना चाहिए।

xv) एक समाचार, जिसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो, उसे साधारण रूप से प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए।

xvi) समाचारपत्र (समाचारपत्रों) को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित किसी समाचार या किसी अन्य रिपोर्ट को कवर करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाचार रिपोर्ट में तथ्य और आंकड़े सटीक हों न कि काल्पनिक।

2. विज्ञापन:

i) वाणिज्यिक विज्ञापन वैसी ही जानकारी होते हैं जैसी सामाजिक,आर्थिक अथवा राजनीतिक जानकारी। इतना ही नहीं, विज्ञापन जीवन की रीति तथा प्रवृत्ति को कम से कम वैसे ही निरूपित करते हैं जैसे अन्य प्रकार की जानकारी तथा टीका। पत्रकारिता की मर्यादा की यह मांग है कि विज्ञापन समाचारपत्र में प्रकाशित अन्य सामग्री से स्पष्ट अलग दिखाई दें।

ii) ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नही किया जाएगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिगरेट, तंबाकू उत्पादों, शराब, मदिरा, अल्कोहल तथा अन्य मादक द्रव्यों के उत्पादन, बिक्री या सेवन को प्रोत्साहित करे।

iii) समाचारपत्र ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा जिसमें समाज के किसी वर्ग या समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की अथवा समग्र रूप से अहित करने की प्रवृत्ति हो।

iv) जो विज्ञापन औषधि और चमत्कारित उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के उपबंधों का उल्लंघन करते हों, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाए।

v) समाचारपत्र ऐसे किसी भी विज्ञापन को प्रकाशित न करें, जिसमें ऐसा कुछ हो, जो अवैध या गैरकानूनी हो या सुरुचि अथवा पत्रकारिता की आचारनीति अथवा औचित्य के विरुद्ध हो।

vi) पत्रकारिता की मर्यादा की यह मांग है कि विज्ञापन समाचारपत्र में प्रकाशित संपादकीय सामग्री से स्पष्ट अलग दिखाई दें। विज्ञापन प्रकाशित करते समय समाचारपत्र उनके लिए वसूल की गई राशि को निर्धारित करेंगे। इसके पीछे तर्क यह है कि विज्ञापनों के लिये राशि उसी दर से ली जाए जिससे सामन्यत: समाचार पत्र द्वारा ली जाती है क्योंकि सामान्य दर से अधिक भुगतान समाचारपत्र को सहायता माना जाएगा।

vii) डमी तथा उठाए गए विज्ञापनों का प्रकाशन जिनके लिए न तो भुगतान किया गया हो और न ही विज्ञापकों द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, पत्रकारिता की आचार नीति का उल्लंघन है, विशेषत: जब समाचारपत्र उन विज्ञापनों के लिए बिल भेजे।

viii) किसी विज्ञापन को जानबूझकर समाचारपत्र की सभी प्रतियों में प्रकाशित न करना पत्रकारिता की आचार नीति के मानकों के प्रति अपराध है और घोर व्यावसायिक कदाचार है।

ix) प्रकाशन के लिए प्राप्त किसी विज्ञापन के कानूनी औचित्य अथवा अनौचित्य पर विचार करने के मामले में समाचारपत्र के विज्ञापन विभाग तथा संपादन विभाग के बीच पूर्ण समन्वय तथा संचार होना चाहिए।

x) संपादकों को, विज्ञापनों को स्वीकार या अस्वीकार करने के अंतिम निर्णय में, अपने अधिकार पर ज़ोर देना चाहिए विशेषत: ऐसे विज्ञापनों के संबंध में, जो शालीनता तथा अश्लीलता के बीच की सीमा रेखा पर हों अथवा उसे पार कर रहे हों।

xi) समाचारपत्र वैवाहिक विज्ञापनों के साथ निम्नलिखित शब्दों में सावधानता सूचना प्रकाशित करें* "पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी विज्ञापन पर क्रिया करने से पहले पूरी तरह उपयुक्त जांच पड़ताल कर लें। यह समाचारपत्र वर/वधू की स्थिति, आयु, आय के विवरण के बारे में विज्ञापक द्वारा किए गए दावे या उल्लेख की पुष्टि या समर्थन नहीं करता"।

xii) समाचारपत्र में प्रकाशित सभी बातों के लिए, विज्ञापनों सहित, संपादक उत्तरदायी होगा। यदि उत्तरदायित्व न लेना हो तो इसका पहले से स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाए।

---

* माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने श्रीमती हरजीत कौर बनाम श्री सुरिंदर पाल सिंह के एफएओ सं0 65/1998 के संबंध में भारतीय प्रेस परिषद को निदेश दिए हैं कि समाचारपत्रों को वर्गीकृत/वैवाहिक विज्ञापन के साथ उक्त सावधानता सूचना प्रकाशित करने के लिए कहा जाए।

xiii) 'मनोरंजक' बातचीत और सांकेतिक (अश्लील) दूर वार्ता (टेलीटॉक) हेतु दिये गए नंबर डायल करने के लिए आम जनता को आमंत्रित करते हुए संपूर्ण देश में समाचार पत्रों द्वारा दिए गये टेली-फ्रेंड्शिप (दूरमित्रता) विज्ञापन किशोरों के विचारों को प्रदूषित करके अनैतिक सांस्कृतिक लोकाचार को बढ़ावा दे सकते हैं। प्रेस को ऐसे विज्ञापन अस्वीकार कर देने चाहिए।

xiv) गुप्त प्रलोभन के संकेतक, अशोभनीय भाषाओं का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य और शारीरिक स्वस्थता सेवाओं के वर्गीकृत विज्ञापन विधि के साथ-साथ नीति का उल्लंघन करते हैं। समाचारपत्र को ही सुनिश्चित करने के लिए कि प्रलोभनकारी विज्ञापन न दिये जाएं, ऐसे विज्ञापन के परीक्षण के लिए समुचित साधन अपनाने चाहिए।

xv) हमारे सामाजिक परिवेश और स्वीकृत परंपरागत मूल्यों, जो कि हमारे देश में प्रिय हैं, में गर्भ निरोधक विज्ञापन तथा विज्ञापन के साथ ब्रांड आइटम को संलग्न करना नैतिक नहीं है। एक समाचारपत्र का परम धर्म है कि वह एड्स से बचने के लिए एहतियाती कार्रवाई के बारे में लोगों को शिक्षित करे और विज्ञापन, चाहे वे सामाजिक कल्याण संगठन द्वारा किए गए हों, को स्वीकार करने में अपेक्षाकृत अधिक दूरदर्शिता दिखाएँ।

xvi) रोजगार समाचार जिसपर सरकारी नौकरियों के प्रामाणिक समाचार के व्यवस्थापक के रूप में विश्वास किया जाता है, को केवल वास्तविक प्राइवेट निकायों के विज्ञापन स्वीकार करने में अधिक सावधान रहना चाहिए।

xvii) शैक्षणिक संस्थानों के विज्ञापन स्वीकार करते हुए समाचारपत्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे विज्ञापनों मे यह अनिवार्य विवरण दिया जाये कि संबद्ध संस्थानों को कानून के संगत अधिनियमनों के तहत मान्यता दी गई है।

xviii) आज के समाज के संबंध में तथा मूल्यों के निर्धारण में विज्ञापन अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और चूंकि अधिकाधिक उदारवादी दृष्टिकोण रखा जा रहा है जोकि सिद्धांत नही है, 'लोकानुभूति' में ऐसे मामलों की स्वीकार्यता में तेजी आ सकती है, परंतु किस कीमत पर, यह विचारणीय महत्वपूर्ण बिंदु है। यह ध्यान रखना चाहिए कि संबद्ध विश्व दौड़ में हमें उन मूल्यों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए जिनके कारण ही भारत को नैतिकता के आधार पर संपूर्ण विश्व में अद्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है।

xix) अभी पैदा भी नहीं हुए बच्चे को गोद लेने का विज्ञापन प्रकाशित करना गैर कानूनी ही नहीं बल्कि अनीतिकर भी है। समाचारपत्र को प्रकाशन से पूर्व विज्ञापनों की समुचित जांच करनी चाहिए।

xx) विज्ञापन एजेंसी द्वारा अपने मुवक्किल की ओर से कानूनी विवाद से संबद्ध दिये गये विज्ञापन को प्रकाशित करने के लिये समाचारपत्र को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

xxi) स्पष्ट रूप से पहचान किये गये विज्ञापन या संवर्धन के रूप में प्रकाशित सभी सामग्री सर्व साधारण के लाभ के लिये हो।

xxii) समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापनों की सामग्री की जांच नीतिगत तथा कानूनी दृष्टि से करनी चाहिए क्योंकि पीआरबी अधिनियम, 1867 की धारा 7 के तहत संपादक ही विज्ञापनों सहित समग्र सामग्री के लिये उत्तरदायी होता है। प्रेस का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं हो सकता और न होना चाहिए, क्योंकि उससे कहीं अधिक इसका जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है।

xxiii) इच्छुक परोपकारी दाता से किडनी मांगने के संबंध में प्रकाशन न किया जाए।*

xxiv) पत्रकार/संपादक, विज्ञापनकर्ता या उस व्यक्ति की पहचान का खुलासा करें जिनके आग्रह पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।

xxv) समाचारपत्र, भारत के माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नामों और तस्वीरों का उपयोग करके, समाचार की तरह कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं करें।

xxvi) अखबार/अखबारों में समाचार जैसे विज्ञापन/विज्ञापनिका प्रकाशित करते समय, उन्हें बड़े अक्षरों में विज्ञापन/विज्ञापनिका शीर्षक के साथ मुद्रित किया जाए जिसका फॉन्ट साइज पृष्ठ पर आने वाले उपशीर्षकों के बराबर हो।

xxvii) नौकरियों के विज्ञापन, केवल फोन नंबरों को देते हुए, किसी भी अन्य विवरण, जैसे कि चयन किए जाने कि स्थिति में भावी उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति, के बिना और नियोक्ता की पहचान के बिना प्रकाशित करना अनैतिक है और इसे प्रकाशित नहीं किया जाए क्योंकि यह "मानव तस्करी" को सरल बना सकता है जिससे कई असंदिग्ध लड़के और लड़कियां शिकार बन जाएंगे|

ऐसे विज्ञापनों को प्रकाशित करने के इच्छुक समाचारपत्रों को, ऐसे विज्ञापनों में, उनको सौंपे जाने वाले काम की प्रकृति को प्रकाशित करना चाहिए, ताकि अनैतिक कार्यों को बढ़ावा न मिले|

*"अस्वीकरण" का प्रकाशन समाचारपत्र को उसके उत्तरदायित्व से विमुक्त नहीं करेगा|

---

* डब्ल्यूपी 33801/2017 में उच्च न्यायालय, केरल का आदेश दिनांक 24.11.2017

3. ज्योतिष संबंधी भविष्यवाणी

ज्योतिष संबंधी भविष्यवाणी और अंधविश्वास को बढ़ावा देने से पाठकों के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और इसी कारण अवांछनीय है। सामान्य हित दैनिकों और आवधिकों के संपादक जोकि वैज्ञानिक मानसिकता को बढ़ावा देने और अंधविश्वास तथा भाग्यवादिता का मुक़ाबला करने में विश्वास रखते हैं, को ज्योतिष संबंधी भविष्यवाणियों के प्रकाशन से बचना चाहिए। वह पाठक, जिनकी ज्योतिष में रुचि है, इस विषय पर विशिष्ट प्रकाशनों को देख सकते हैं।

4. जाति, धर्म या समुदाय का उल्लेख :

i) सामान्यत: किसी व्यक्ति की या वर्गविशेष की जाति पहचान न की जाए, खास तौर पर यदि उस संदर्भ में उससे उस जाति के प्रति अनादरपूर्ण भाव का बोध हो या अनादरपूर्ण आचरण अथवा व्यवहार का आरोपण होता हो।

ii) समाचारपत्रों को 'हरिजन' शब्द जिस पर कुछेक द्वारा आपत्ति की गई, का प्रयोग नहीं करने की सलाह दी जाती है और अनुच्छेद 341 के अनुसार जाति शब्द का प्रयोग करें।*

iii) यदि किसी अभियुक्त या पीड़ित की जाति या समुदाय का अपराध अथवा दोष के साथ कोई संबंध न हो और किसी अभियुक्त की पहचान में या किसी कार्यवाही में उसकी कोई भूमिका न हो तो उस अभियुक्त या पीड़ित का वर्णन उसकी जाति या समुदाय से नहीं किया जाएगा।

---

* भारत का संविधान,1950 के उपबंध को ध्यान में रखते हुए आशोधित

iv) समाचारपत्र ऐसा कोई कथा साहित्य प्रकाशित न करें जिसमें उन धार्मिक चरित्रों को विकृत कर के प्रतिकूल भावना के साथ चित्रित किया गया हो और समाज के बड़े हिस्से की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई हो, जो उन चरित्रों को सद्गुणों से सम्पन्न तथा महान मानते हैं और उनका बहुत आदर करते हैं।

v) पैगंबरों ऋषियों अथवा देवताओं के नाम का प्रयोग व्यापारिक उद्देश्य से करना पत्रकारिता की आचार नीति अथवा सुरुचि के विपरीत है।

vi) यह सुनिश्चित करना समाचारपत्र का कर्तव्य है कि लेख के सुर,भावना तथा भाषा का स्वरूप आपत्तिजनक,उत्तेजक, देश की एकता एवं अखंडता तथा संविधान की भावना के विरुद्ध, राजद्रोहात्मक और भड़काने वाला न हो या सांप्रदायिक विद्वेष पैदा न करे। उसमें देश के विभाजन को प्रोत्साहित करने का प्रयास न किया गया हो।

vii) पत्रकारों का एक काम यह भी है कि जनता को समाज के कमजोर वर्गों की नियति से अवगत कराएँ। वे समाज की ओर से उसके कमजोर वर्गों के रक्षक हैं।

viii) समाज में बदलते मानकों को ध्यान में रखते हुए, समाचारपत्रों को विशेष महत्व के आयोजन वाले अवसरों पर, विशेषकर ऐसी सामग्री प्रकाशित करने से बचने के लिए पूरी सावधानी बरतनी चाहिए जिससे आम लोगों की भावनाएं आहत होती हों।

ix) सांप्रदायिक सौहार्द और देश में सामाजिक तानेबाने को बांधे रखने के लिये,प्रेस को किसी संगठन का नाम और आतंकवादी गतिविधियों में उसकी संलिप्तता का आरोप प्रकाशित करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

x) भड़काऊ और बिना परिप्रेक्ष्य के बयान देने से बचने के लिये

तकनीकी गलती का बहाना बनाना अस्वीकार्य है और यह गैर जिम्मेदाराना पत्रकारिता होगी।

xi) संगत समय पर राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाने के लिये किसी देवी/देवता का चित्र प्रकाशित करना आपात्तिजनक नहीं कहा जा सकता है।

xii) किसी पुस्तक के आधार पर प्रकाशित कोई समाचार संभवतया धार्मिक संगठनों के सदस्यों की आम धारणा के अनुकूल न हो किंतु केवल इसी एक आधार पर समाचार को गैर कानूनी और अनीतिकर नहीं कहा जा सकता है।

xiii) नीति शास्त्र का दायरा कानून से बहुत बड़ा है और किसी कार्य की नीतिपरकता का निर्णय एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से करने की जरूरत है। अत: समाचारपत्र ऐसी सामग्री प्रकाशित न करें जिनसे देवी/देवताओं की छवि खराब हो या समाज के एक बड़े वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेंस पहुँचती हो जो उन देवी/देवताओं में भारी निष्ठा, मान्यता रखते हों।

xiv) प्रेस से आशा की जाती है कि वह अपनी शक्ति का प्रयोग सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने एवं उसे बनाये रखने में करेगी।

xv) सामुदायिक तानाबाना बहुत ही कोमल होता है। समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को विभिन्न स्थानों तथा विभिन्न भाषाओं में अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग करने के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।

xvi) "दलित शब्द/अभिव्यक्ति का उपयोग किसी समुदाय को भड़काने या अपमानित करने के लिए नहीं किया जाए।

5. मानहानिकारक लेखों के प्रति सावधानी

i) समाचारपत्र को ऐसी कोई बात प्रकाशित नहीं करनी चाहिए जो किसी व्यक्ति या संगठन के प्रति स्पष्ट रूप से मानहानिकारक अथवा अपमानजनक हो जब तक कि उचित सावधानी तथा जांच के बाद उनके पास यह मानने के लिए पर्याप्त आधार न हो कि वह सच्ची है और उसका प्रकाशन जनता के हित में होगा।

ii) किसी प्राइवेट नागरिक के विरुद्ध अपमानजनक, भद्दी तथा मानहानिकारक सामग्री छापने के लिए, यदि कोई जनहित निहित न हों, सच्चाई को आधार नहीं बनाया जा सकता।

iii) जनहित में विरले मामलों को छोड़कर किसी मृत व्यक्ति के विरुद्ध कोई ऐसी निजी टिप्पणी प्रकाशित न की जाए जिसे अपमानजनक समझा या माना जा सके क्योंकि मृत व्यक्ति के लिए उस टिप्पणी का खंडन करना या उससे इनकार करना संभव नहीं होगा।

iv) प्रेस का यह कर्तव्य, विवेक तथा अधिकार है कि संदिग्ध पूर्व वृत वाले और शंकास्पद चरित्र वाले नागरिकों की ओर पाठकों का ध्यान खींच कर जनहित की सेवा करे किंतु उत्तरदायी पत्रकारों के रूप में उन्हें उन व्यक्तियों के लिए "धोखेबाज" या "हत्यारे" आदि शब्दों का प्रयोग करते समय यथेष्ठ संयम तथा सावधानी बरतनी चाहिए। मूलभूत सिद्धांत यह है कि किसी व्यक्ति के दोष को आरोपित तथ्यों के प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जाए न कि अभियुक्त के दुष्चरित्र के प्रमाण द्वारा। उद्घाटित करने के अपने जोश में प्रेस को नैतिक सावधानी तथा निष्पक्ष टीका की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

v) प्रेस किसी व्यक्ति के नए कृत्य के संदर्भ में कटु टिप्पणी करने के लिए उस नागरिक के पहले के आपत्तिजनक व्यवहार को आधार नहीं बनाएगा। यदि जनता के लिए वह संदर्भ अपेक्षित हो तो प्रेस को संबंधित अधिकारियों से प्रकाशन पूर्व पूछताछ कर

लेनी चाहिए कि उन आपत्तिजनक कृत्यों के बारे में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई।

vi) यदि आक्षेपित प्रकाशन स्पष्ट रूप से शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने वाले हों तो यह सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर होगा कि वे सच्चे हैं या वह टिप्पणी सदाशयता के साथ तथा जनता की भलाई के लिए की गई है।

vii) समाचारपत्र किसी व्यक्ति या निकाय को बदनाम करने के लिए इस आधार पर अपने बचाव अथवा छूट के लिए विशेषाधिकार या लाइसेंस का दावा नहीं कर सकते कि वह मद व्यंग्य के रूप में "गपशप" "पैरोड़ी" आदि विशेष स्तंभों के अंतर्गत प्रकाशित की गई है।

viii) किसी एक समाचारपत्र द्वारा कोई मानहानिकारक समाचार प्रकाशित कर दिए जाने से अन्य समाचारपत्रों को उसी के आधार पर समाचार/सूचना प्रकाशित करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। अन्य प्रकाशन द्वारा समान रिपोर्ट के प्रकाशन की सच्चाई आरोपों पर सटीकता का नाम प्रदान नहीं करती।

ix) यह आवश्यक है कि प्रेस नागरिक वर्ग के साथ प्रत्यक्षतया संपर्क कर पाने के कारण हासिल की गयी अद्वितीय स्थिति के कारण समाज के प्रति अपने दायित्व को समझे और अफवाहों और सनसनी को विश्वसनीयता प्रदान करने में लगे रहने की अपेक्षा देश की प्रगति और समाज की बेहतरी के लिए अपनी लाभदायक स्थिति का उपयोग करे। यह भी आवश्यक है कि प्रेस विशेष रूप से लघु स्थानीय प्रेस 'लोक हित' और 'लोक रुचि' के मामलों के बीच स्पष्ट अंतर को परखना सीखे। जहां गप-शप और सामाजिक लेन देन व्यवहार संबंधी कार्यकलापों में लोगों

की रुचि हो सकती है परंतु उनसे किसी सार्वजनिक उद्देश्य अथवा हित की पूर्ति नहीं होती और प्रेस को अतिसावधानीपूर्वक ऐसे मामलों पर अपने बहुमूल्य स्थान को बर्बाद करने से बचना चाहिए।

x) ऐसी असंबद्ध, अनावश्यक और असंगत बातों को शामिल न किया जाए जिनसे किसी व्यक्ति या संगठन के बदनाम होने की संभावना हो।

xi) यद्यपि एक समाचारपत्र को राजनैतिक विकास की रिपोर्ट करने का अधिकार अथवा कर्तव्य होता है, वह रिपोर्टिंग अभद्र नहीं होनी चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता किसी समाचारपत्र को यह लाइसैंस नहीं देती कि वह मनगढ़ंत और मानहानिजनक लेख प्रकाशित करके किसी राजनैतिक नेता को बदनाम करे या उनकी भावी राजनैतिक संभावनाओं को दुष्प्रभावित करे।

xii) प्रेस को यह स्मरण रहना चाहिए कि लोकतान्त्रिक ढांचे में स्थापित बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिनका प्रेस द्वारा उपयोग किया जाता है, के कारण उनकी जिम्मेदारी भी होती है। समाचारपत्रों से यह आशा नहीं की जाती है कि वे स्वयं साक्ष्य का सृजन करके और बाद में अपनी ही पत्रिका में झूठा प्रचार करने के लिए साक्ष्य का इस्तेमाल करके साधन के रूप में इसका प्रयोग करें।

xiii) प्रेस की रिपोर्टिंग पर प्रभाव डालने के लिए प्रस्तावित प्रलोभनों पर प्रकाश डालने के लिए प्रेस उपहार प्राप्त करने योग्य है और ऐसा रहस्योंद्घाटन मानहानि के बराबर नहीं होगा।

xiv) **अधिकारिता**

व्यक्तिगत आरोप/आलोचना के मामले में केवल अधिकारिता

वाला संबंधित व्यक्ति ही वाद पत्र दाखिल कर सकता है या उत्तर के अधिकार का दावा कर सकता है। तथापि किसी संगठन या संप्रदाय/वर्ग से संबंधित व्यक्तियों की प्रतिनिधि सभा की अधिकारिता होगी कि किसी नेता के आचरण की प्रत्यक्ष आलोचना करने वाले प्रकाशन के विरुद्ध शिकायत दाखिल कर सके।

xv) **जनहित और सार्वजनिक निकाय**

जनहित के संरक्षक के रूप में प्रेस को सार्वजनिक निकायों में भ्रष्टाचार और अनियमितता के मामले उजागर करने का अधिकार है किंतु वह सामग्री अकाट्य प्रमाणों पर आधारित हो और जांच तथा संबंधित स्रोत से सत्यापन के बाद और जिस व्यक्ति/प्राधिकारी पर टिप्पणी की जा रही है उसकी बात सुनने के बाद प्रकाशित की जाए। समाचारपत्रों को चाहिए कि चुभने वाली, तीखी तथा कड़वी भाषा का प्रयोग न करें और व्यंग्यपूर्ण/उपहासपूर्ण टिप्पणी न करें। प्रेस का यह प्रयास होना चाहिए कि वे संस्थानों को उनके कार्य में सुधार के लिए जागरूक करें न कि उनका नाश करें अथवा कार्यबल को हतोत्साहित करें उनकी अथवा कार्य-प्रणाली में लोगों के विश्वास को खत्म करें। तदनुसार, उन्हें यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वे सुनिश्चित करें कि ऐसा करते हुए वे उचित और संतुलित रिपोर्ट करें जोकि बाह्य दबावों से प्रभावित न हो। लोकहित के अभिरक्षक और इसके अधिकारों के संरक्षक के रूप में प्रेस से यह भी आशा की जाती है कि वह सही सूचना इसके नोटिस में लाये ताकि उन्हें सही तरह से परख सके जिन्हें इन्होंने देश चलाने का दायित्व सौंपा है।

xvi) मीडिया और प्राधिकारी हमारे लोकतंत्र के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और सरकार द्वारा लोकहित में सफलतापूर्वक कार्य

करने के लिए प्रेस का जिम्मेदार और जागरुक होना अनिवार्य पूर्वापेक्षा है।

xvii) समाचार में, ऐसी घटना का, जोकि बहुत समय पहले घटी थी, काफी समय बीत जाने के बाद हवाला देना प्रासंगिक नहीं है।

6. क) न्यायिक क्रियाओं की आलोचना में सावधानी

i) सिवाय उन मामलों के जहां अदालत बंद कमरे में बैठे या अन्यथा निदेश दे, समाचारपत्र को लंबित न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष, यथार्थ तथा न्यायसंगत विधि से रिपोर्ट करने की छूट है। किन्तु वह कोई ऐसी बात प्रकाशित नहीं करेगा :-

- जिसके प्रत्यक्ष तथा तात्कालिक प्रभाव से न्याय के विधिवत प्रशासन में गंभीर बाधा, रुकावट अथवा पूर्वाग्रह पैदा होने का काफी खतरा हो; या
- जो चालू विवरण या वाद विवाद के रूप में हो अथवा न्यायालय के विचाराधीन मुद्दों पर समाचारपत्र के अपने निष्कर्षों, अटकलों, विचारों या टीका को व्यक्त करती हो जिससे ऐसा लगे कि समाचारपत्र ने न्यायालय के काम को अपने हाथ में ले लिया है; या
- जिस अभियुक्त पर कोई अपराध करने के आरोप में मुकदमा चल रहा हो, उसके निजी चरित्र के बारे में।

ii) अभियुक्त के गिरफ्तार हो जाने तथा उस पर आरोप लग जाने के बाद जब मामला, अदालत में चला जाए तो, सावधानी के तौर पर, खोजी पत्रकारिता के परिणामस्वरूप संग्रहीत साक्ष्य को प्रकाशित नहीं करना चाहिए; और उस पर टीका नहीं करनी चाहिए न ही उन्हें अभियुक्त द्वारा कथित इकबाल को प्रकट

करना चाहिए, उस पर टीका करनी चाहिए अथवा मूल्यांकन करना चाहिए।

iii) समाचारपत्र, जनहित में किसी न्यायिक क्रिया या किसी अदालत के निर्णय की सार्वजनिक भलाई के लिए न्यायोचित आलोचना तो कर सकते हैं किन्तु वे न्यायाधीश पर कोई अभद्र आक्षेप नहीं करेंगे और न ही अनुचित अभिप्रेरणा अथवा निजी पक्षपात का आरोप लगाएँगे। वे अदालत को या समग्र न्यायपालिका को कलंकित नहीं करेंगे और न ही न्यायाधीश के विरुद्ध योग्यता की अथवा सत्यनिष्ठा की कमी के निजी आरोप लगाएंगे।

iv) सावधानी के तौर पर समाचारपत्र कोई ऐसी अनुचित या अकारण आलोचना नहीं करेंगे जिसके निहित अर्थ से किसी न्यायाधीश पर उसके न्यायिक कार्यों के सामान्य व्यवहार में की गई किसी क्रिया के लिए विषयेतर बातों को ध्यान में रखने का आरोप लगता हो, चाहे वह आलोचना वास्तव में न्यायालय का आपराधिक अवमान न बनती हो।

6. ख) अदालत की कार्यवाही से संबंधित समाचार छापना

i) अदालत की कार्यवाही के बारे में समाचार प्रकाशित करने से पहले संवाददाता और संपादक के लिए उचित होगा कि रिकॉर्डों से उसकी वास्तविकता, सत्यता तथा प्रामाणिकता सुनिचित कर लें ताकि अदालत की कार्यवाही के बारे में मिथ्या तथ्य तथा गलत जानकारी देने के लिए संबंधित व्यक्ति को दोषी तथा जवाबदेह ठहराया जा सके।

ii) जब अदालती कार्यवाही आम लोगों के लिये खुली हो तथा वहां समाचारपत्र के रिपोर्टर भी उपस्थित हों तो समाचारपत्र को

समाचार के प्रकाशन से पूर्व आदेश की प्रमाणित प्रति लेना जरूरी नहीं है।

iii) न्यायालय में सुनवाई के समय की गई टिप्पणियां अक्सर सूचना पाने की कोशिश होती हैं और वह रिकॉर्ड किये गये आदेशों का भाग नहीं होता है। अत:, रिपोर्टर को सही समाचार देने के लिये इस अंतर को समझना जरूरी है।

iv) मीडिया को किसी मुकदमे विशेष से संबंधित न्यायाधीशों, वकीलों के नाम नहीं देने चाहिए।

v) न्यायालय के निर्णय की व्याख्या करने के विषय में, समाचारपत्र द्वारा उपयुक्त ढंग से कार्य करने और चुनिंदा उद्धरण न देने की अपेक्षा की जाती है, उनसे यह भी आशा की जाती है कि वे किये गये चयन की स्पष्ट रूप से पहचान बतायें।

7. भरोसे का सम्मान किया जाए :

यदि जानकारी किसी गोपनीय स्त्रोत से प्राप्त हो तो भरोसे का सम्मान किया जाए। प्रेस परिषद द्वारा उस पत्रकार को वह स्त्रोत बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता; किन्तु यदि पत्रकार अपने विरुद्ध आरोप का खंडन करने के लिए आवश्यक समझे और परिषद के सामने कार्यवाही में स्त्रोत के बारे में स्वेच्छा से बता दे तो इसे पत्रकारिता की आचार नीति का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। गुप्त रूप से बताई गई बातों को समाचारपत्र द्वारा प्रकाशित न करने का यह नियम निम्नलिखित स्थितियों में लागू नहीं होता:

i) जब बाद में स्रोत कि सहमति ले ली जाए; या

ii) जब संपादक उपयुक्त पाद-टिप्पणी द्वारा यह स्पष्ट कर दे कि कुछ बातों का प्रकाशन जनहित में था अत: संदर्भाधीन जानकारी प्रकाशित की जा रही है यद्यपि यह ''गुप्त रूप से'' दी गई थी।

8. अटकलबाजी, टीका तथा तथ्य

i) समाचारपत्रों को चाहिए कि अटकलबाजी, कल्पना या टीका को तथ्य विवरण के रूप में प्रस्तुत अथवा प्रचारित न करें इन सभी कोटियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए।

ii) उत्तम हास्य को व्यक्त करने वाले कार्टून तथा व्यंग चित्र समाचारों की एक विशेष कोटि में रखे जाते हैं जिनके प्रति अधिक उदार रवैया अपनाया जाता है।

iii) व्यंग साहित्यिक लेखन की स्वीकृत विधा है, किंतु इसकी आड़ में मानहानिकारक कथन नहीं दिया जाना चाहिए।

iv) शब्दों जैसे 'अक्षम' या 'असमर्थ' को राजनीतिक टिप्पणी के संदर्भ में पढ़ा जाए ताकि कटुता का निर्धारण हो सके।

9. भूल सुधार

i) यदि किसी तथ्यात्मक भूल या गलती का पता चले अथवा उसकी पुष्टि हो जाए तो समाचारपत्र को तत्परतापूर्वक उसका सुधार यथोचित प्रमुखता के साथ प्रकाशित करना चाहिए और

यदि गंभीर चूक हुई हो तो क्षमा याचना या खेद की अभिव्यक्ति भी करनी चाहिए।

ii) सुधार और माफी या खेद की अभिव्यक्ति को समुचित प्रमुखता के साथ समाचारपत्रों के एक ही संस्करण में प्रकाशित किया जाए।

10. सांप्रदायिक विवादों/संघर्षों के समाचार:

i) सांप्रदायिक या धार्मिक विवादों/संघर्षों से संबंधित समाचारों, विचारों अथवा टीकाओं का प्रकाशन तथ्यों के यथोचित सत्यापन के बाद किया जाएगा और उचित सावधानी तथा संयम के साथ उन्हें इस प्रकार प्रस्तुत किया जाएगा कि सांप्रदायिक सामंजस्य, मैत्री तथा शांति के अनुकूल वातावरण बनाने में सहायता मिले। सनसनीखेज, भड़काने वाले तथा भयप्रद शीर्षक न दिए जाएं। सांप्रदायिक हिंसा तथा बर्बरता की घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाएगा कि राज्य के कानून तथा व्यवस्था तंत्र में लोगों का भरोसा कम न हो। सांप्रदायिक दंगों में पीड़ितों के समुदाय वार आंकड़े नहीं दिए जाएंगे और न ही घटना के बारे में इस प्रकार लिखा जाएगा जिससे भावनाओं के भड़कने, तनाव के बढ़ने या संबंधित सांप्रदायिक/धार्मिक समूहों के बीच मनोमालिन्य बढ़ने की संभावना हो अथवा जिससे परेशानी बढ़ सकती हो।

ii) पत्रकारों तथा स्तंभकारों का अपने देश के प्रति एक अति विशिष्ट उत्तरदायित्व है कि सांप्रदायिक शांति और सद्‌भाव को प्रोत्साहित करें। उनके लेख केवल उनके अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं होते, बल्कि सामान्य समाज के चिंतन तथा भावनाओं को निरूपित करने में भी बहुत मदद करते हैं। अत:

यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वे अपनी लेखनी का प्रयोग सतर्कता और संयम के साथ करें।

iii) ऐसी स्थितियों(गुजरात हत्याकांड/संकट) में मीडिया की भूमिका शांति स्थापित करने की होनी चाहिए न कि भड़काने की, परेशानी दूर करने की न कि फैलाने की। गुजरात के वर्तमान संकट में मीडिया को लोगों के बीच शांति और सामंजस्य स्थापित करने की अपनी उदात्त भूमिका निभाने दें। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे बाधित करने का कोई भी प्रयास राष्ट्र-विरोधी कार्य होगा। मीडिया पर राष्ट्रीय एकता का निर्माण और सभी स्तरों पर सांप्रदायिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए अपना पूरा प्रयास करने का भारी नैतिक उत्तरदायित्व है। इस संबंध में स्वतंत्रता से पूर्व निभाई गई उनकी भव्य भूमिका स्मरणीय है।

iv) कल के इतिहास के इतिवृत्त के रूप में, मीडिया का भविष्य के प्रति यह सुस्पष्ट कर्तव्य है कि घटनाओं को सरल और वास्तविक तथ्यों के रूप में दर्ज करे। घटनाओं का विश्लेषण और उन पर राय बिलकुल भिन्न बाते हैं। अत: इन दोनों के साथ व्यवहार भी भिन्न होगा। संकट के समय, यथोचित सावधानी और संयम के साथ तथ्यों को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने पर, सामान्यत:, लोकतंत्र में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती परंतु, मत-लेख लिखने वालों पर भारी उत्तरदायित्व आता है। लेखक को सुनिश्चित करना होता है कि उसके विश्लेषण न केवल निजी मान्यताओं, पूर्वाग्रहों या धारणाओ से मुक्त हों, बल्कि वे सत्यापित सही और प्रभावित तथ्यों पर भी आधारित हों और जातियों, समुदायों या पंथों के बीच कोई वैमनस्य या शत्रुता पैदा नहीं करेंगे।

v) जहां सांप्रदायिक बंधनों को तोड़ने में और सौहार्द्र तथा राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने में मीडिया के दायित्व एवं भूमिका को दुर्बल

नहीं बनाना चाहिए वहीं नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता देना भी अत्यावश्यक है। भारतीय प्रेस को अनिवार्य रूप से दोनों को परखना और उनमें संतुलन करना चाहिए।

11. सार्वजनिक व्यक्तियों की आलोचना/संगीत समीक्षाएँ

i) सार्वजनिक मंच पर प्रस्तुत होने वाला अभिनेता या गायक अपनी कला को जनता के सामने निर्णय के लिए रखता है, अत: समालोचकों की ऐसी टिप्पणियों को मानहानिकारक नहीं माना जा सकता जो कलाकारों की निष्पादकता के लगभग अनुरूप हों। तथापि आलोचकों को ऐसी कोई बात नहीं लिखनी चाहिए जिसे परोक्ष रूप से कलाकार की व्यक्तिगत विश्वसनीयता पर आक्षेप माना जा सके।

ii) कोई भी लेखक पुस्तकों की आलोचनात्मक समीक्षा पर प्रश्न नहीं कर सकता है, बशर्ते वह दुर्भावना से प्रेरित न हो, क्योंकि कुछ संपादकों तथा विद्वानों द्वारा उस पुस्तक की प्रशंसा की गई, इसका यह अर्थ नहीं होगा कि अन्य समीक्षकों को उनके विरुद्ध विचार व्यक्त करने का अधिकार नहीं होगा।

iii) समालोचना लेखक के विचार के लिए आवश्यक है। समालोचना से सीधे संबद्ध पुस्तक से व्यापक पुनरभिव्यक्ति को कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

12. संपादक का विवेक

i) संपादकीय लिखने के मामले में संपादक को काफी छूट दी गई है और वह अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। विषय का चुनाव वही करता है और ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जो वह उचित समझे, बशर्ते कि संपादकीय लिखते समय वह कानून की सीमा से बाहर न जाए और पत्रकारिता के मानकों का उल्लंघन

न करे। समाचारपत्र में प्रकाशित संपादकीय टिप्पणी सौम्य एवं शिष्ट भाषा में होनी चाहिए।

ii) रिपोर्टों/लेखों/पत्रों के रूप में प्रकाशन के लिए सामग्री का चुनाव संपादक के विवेकाधिकार में है, अतः यह देखना उसका कर्तव्य है कि जनहित के किसी विवादास्पद मुद्दे पर सभी विचारों को बराबर प्रमुखता दी जाए ताकि जनता उस मामले में अपनी स्वतंत्र राय बना सके।

iii) संपादक को चाहिए कि वह समाचार रिपोर्ट/लेख प्रकाशित न करे जिसकी सच्चाई के बारे में उसे शंका हो। यदि समाचार रिपोर्ट/लेख के किसी अंश की सच्चाई संदेहास्पद हो तो वह अंश निकाल कर शेष प्रकाशित कर दिया जाए बशर्ते कि संपादक संतुष्ट हो कि शेष अंश काफी सही है और उसके प्रकाशन से जनता को लाभ होगा।

iv) संपादक को यह निर्णय लेने का विशेषाधिकार होता है कि समाचार पत्र में किन समाचारों को प्रमुखता प्रदान की जाए।

v) 'समाचार रिपोर्ट' और 'ओपिनियन लेख' के बीच स्पष्ट अंतर को ध्यान में रखते हुए, संपादक को लेख का संपादन करने की छूट होती है किंतु यह छूट इतनी नहीं हो सकती कि लेखक से अनुमति लिये बिना ही लेख के महत्वपूर्ण भाग को ही काट दिया जाए या उसका भाव बदल दिया जाए जिससे लेख प्रकाशित करने का भाव, प्रयोजन व अर्थ ही विकृत हो जाए।

vi) शीर्षकों का निर्धारण पाठकों पर पड़ने वाले तत्कालिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक करना चाहिए।

vii) अखबार/अखबारों में छपे सभी तथ्यों के लिए संपादक जिम्मेदार है।

(viii) नौकरी/रोजगार संबंधी विज्ञापन को अपर्याप्त विवरण के साथ प्रकाशित करते समय संपादकों को समाज के प्रति अपने

कर्तव्य को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि इससे मानव तस्करी सरलतापूर्वक की जा सकती है और इसे समुचित जांच के बाद ही प्रकाशित किया जाए |

ix) संपादकीय, संपादकों के दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है जोकि भारत के संविधान के तहत प्रत्याभूत है और इसकी पवित्रता इससे सहमत अथवा असहमत किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है ।

13. विदेश संबंध

जनमत तैयार करने और देशों के बीच बेहतर सद्भाव विकसित करने में मीडिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । अत: वस्तुनिष्ठ रिपोर्टिंग अपेक्षित है जिससे मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के लिए कोई खतरा पैदा न हो ।

14. कपटपूर्ण गतिविधियाँ

ग्राहकों से चंदा लेने के बाद प्रकाशन को बंद कर के जनता को धोखा देना पत्र/पत्रिका के प्रबंधन की ओर से अनैतिक व्यवहार है । यदि बंद करना अपरिहार्य हो तो चंदे की शेष राशि ग्राहकों को लौटा दी जाए ।

15. लिंग आधारित समाचार

प्रेस को सदियों पुराने लैंगिक पूर्वाग्रहों और यहां तक कि एकतरफा विवरण को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए क्योंकि समाचार से सामाजिक संतुलन और विकास को मंद करने के इस तरह के पूर्वाग्रह को जारी रखा जा सकता था।

16. सामाजिक कुरीतियों को महिमान्वित/प्रोत्साहित न किया जाए

समाचारपत्र अपने स्तंभो का दुरुपयोग ऐसे लेखों के लिए नहीं होने देंगे जिनमें सती प्रथा अथवा आडंबरपूर्ण आयोजनों जैसी सामाजिक कुरीतियों को प्रोत्साहित या महिमान्वित करने की प्रवृत्ति हो ।

17. सुर्खियां:

i) समान्यत: और विशेष रूप से संप्रदायिक विवादों अथवा संघर्षों के मामले में

  क. उत्तेजक तथा सनसनीखेज शीर्षक न दिए जाएं,

  ख. शीर्षक उनके नीचे मुद्रित सामग्री को प्रतिबिंबित करें और उसके लिए युक्तिसंगत हों।

  ग. यदि शीर्षक में किसी के द्वारा अपने वक्तव्य में लगाए गए आरोप शामिल हों तो आरोप लगाने वाले व्यक्ति या स्रोत का उल्लेख किया जाए या कम से कम उद्धरण चिन्ह लगा दिए जाएं।

ii) किसी लेख/समाचार के शीर्षक या समाचार में किसी व्यक्ति के कार्य विशेष की झलक मिलती है। समाचारपत्र को शीर्ष/शीर्ष रेखा का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि उनसे समाचार की विषय वस्तु की झलक मिले।

18. एचआईवी/एड्स और मीडिया- कर्तव्य और निषेध

कर्तव्य

i) मीडिया को चाहिए कि लोगों को सूचित और शिक्षित करे, न कि भयभीत या आतंकित।

ii) वस्तुनिष्ठ, तथ्यपरक और संवेदनशील बनिए।

iii) तेजी से बढ रहे संक्रमण की बदलती हुई वास्तविकताओं से अवगत रहिए।

iv) उपयुक्त भाषा तथा शब्दावली का प्रयोग करिए जो कलंक लगाने वाली न हो।

v) सुनिश्चित करिए कि शीर्षपंक्ति सही और संतुलित हो।

vi) उत्तरदायी बनिए; एचआईवी/एड्स के साथ जी रहे लोगों (पीएलएचआईवी) की आवाज का प्रयोग करके तस्वीर के सभी पहलू प्रस्तुत करिए।

vii) निवारण और संचरण के बारे में भ्रांतियों को दूर करिए।

viii) चमत्कारी इलाज और संक्रमण से बचने के अवैज्ञानिक दावों के बारे में काल्पनिक मान्यताओं का असली रूप दिखाइए।

ix) मुद्दे की गंभीरता को कम न करते हुए सकारात्मक कथाओं को उजागर करें।

x) संक्रमित लोगों उनके परिवारों और साथियों की गोपनीयता बनाए रखिए।

xi) सुनिश्चित करें कि चित्रों से उनकी गोपनीयता प्रकट न हों।

xii) सुनिश्चित करें कि चित्रों के शीर्षक यथार्थ हों।

xiii) लिंग संवेदी रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें और घिसी पिटी-बातों से बचें।

xiv) डाटा प्राधिकृत स्त्रोतों से लें क्योंकि गलत रिपोर्टों का मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और कलंक बढ़ता है।

xv) पत्रकार यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं कि जिनसे भेंटवार्ता की जा रही है वे प्रकट होने/पहचान के प्रभाव को समझते हैं।

xvi) सुविदित सहमति सुनिश्चित करें, जहां संभव हो, लिखित रूप में।

xvii) एचआईवी संबंधित आत्महत्या या भेद-भाव की घटनाओं जैसी नकारात्मक कथाओं की कवरेज को, संतुलित करने के लिए हेल्पलाइनों/परामर्श केन्द्रों के संपर्कों को शामिल कर लें।

xviii) आर्थिक, व्यावसायिक, राजनीतिक और विकास के मुद्दों पर संक्रमण के प्रभाव की जांच के लिए रिपोर्ट को व्यापक बनाएं।

xix) जब कभी शंका हो, स्पष्टीकरण के लिए पॉजिटिव लोगों के स्थानीय नेटवर्क या राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी या वर्तमान शब्दावाली दिशानिर्देशों से संपर्क करें।

xx) सुनिश्चित करें कि प्रश्न बहुत निजी या अभियोगात्मक न हों।

xxi) एचआईवी के साथ जी रहे लोगों को सकारात्मक रूप में दर्शाएं, उन्हें 'पीड़ितों' के रूप में नहीं बल्कि व्यक्तियों के रूप में चित्रित करें।

निषेध

i) किस्से को सनसनीखेज़ न बनाएं।

ii) ऐसे निर्णय न लें जिन से पीएलएचआईवी पर दोष लगता हो।

iii) संक्रमण का वर्णन करने के लिए 'अनर्थ' जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें और न ही पीएलएचआईवी का वर्णन एड्स वाहक, वेश्या, व्यसनी, एड्स का रोगी/शिकार/पीड़ित के रूप में करें।

iv) इस बात पर अनावश्यक ज़ोर न दें कि एचआईवी वाले व्यक्ति को संक्रमण कैसे हुआ।

v) एचआईवी और एड्स से संक्रमित तथा प्रभावित बच्चों की पहचान नाम या फोटो से न करें, सहमति से भी नहीं।

vi) छिपे हुए कैमरों का प्रयोग न करें।

vii) बीमार तथा मरणासन्न की भयानक रिपोर्टों और छवियों से बचें जिनसे विषाद, बेबसी तथा अलगाव की भावना व्यक्त होती हो।

viii) ग्राफिक्स के रूप में खोपड़ियों, आडी हड्डियों, साँपों या ऐसे दृश्यों का प्रयोग न करें।

ix) जाति लिंग या यौन स्थिति के संदर्भों से बचें।

x) यौन अल्पसंख्यकों के बारे में, समलिंगी,उभयलिंगी या ट्रान्सजेंडर (एलजीबीटी) सहित, घिसी-पीटी बातों को न दोहराएं।

xi) संक्रमित व्यक्तियों का चित्रण पीड़ितों, दोषियों या दया के पात्रों के रूप में न करें।

xii) एचआईवी,एसटीआई, चर्म रोगों, तपेदिक तथा अन्य सांयोगिक संक्रमणों से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों को प्रोत्साहित न करें।

xiii) स्वैच्छिक परीक्षण के इच्छुक व्यक्तियों की गोपनीयता भंग न करें।

19. अवैध पुनः प्रस्तुति

i) प्रेस किसी जब्त की गई पुस्तक से आपत्तिजनक अंश अथवा उद्धरण किसी भी रूप में प्रकाशित नहीं करेगा।

iii) समाचारपत्र द्वारा उस फोटोग्राफर को समुचित श्रेय दिया जाए जिसका फोटोग्राफ समाचारपत्र द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है।

20. आंतरिक विवाद

(क) प्रबंधन-संपादक संबंध

i) एक ओर संपादक तथा पत्रकार और दूसरी ओर प्रबंधक, कार्यपालक अथवा प्रशासक के बीच एक स्पष्ट अंतर होता है चाहे किसी समाचारपत्र विशेष में उन्हें कुछ भी नाम दिया जाए। संपादक तथा प्रबंधन के कर्तव्य और उत्तरदायित्व अलग-अलग हैं और पत्र को निकालने के लिए प्रतिष्ठान के कुशल प्रबंध हेतु जो भी समन्वय अपेक्षित हो, दोनों के काम भिन्न भिन्न हैं और ऐसे ही रहने चाहिएँ।

एक बार मालिक सामान्य मार्गदर्शन के लिए नीति तय कर दे तो उसके बाद संपादक और उसके अधीन काम करने वाले पत्रकारों के दैनंदिन कामकाज में न वह हस्तक्षेप कर सकता है न ही उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति।

यह सर्वमान्य है कि प्रेस की स्वतंत्रता मूलत: लोगों की सभी विषयों, समस्याओं तथा घटनाओं के बारे में सही तथा पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने की स्वतंत्रता है। संपादकीय कार्यों के निष्पादन में संपादक सर्वोच्च है, मालिक से भी ऊपर।

समाचारपत्र की स्वतंत्रता मूलत: संपादक की सभी आंतरिक और बाह्य प्रतिबंधों से स्वतंत्रता है। जब तक संपादक को यह स्वतंत्रता नहीं होगी तब तक वह जनता के प्रति अपना प्राथमिक कर्तव्य नहीं निभा पाएगा और इस स्वतंत्रता के बिना उसे समाचारपत्र में प्रकाशित होने वाली हर बात के लिए कानून के सामने उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

समाचारपत्र को चलाने में समाचारपत्र के प्रबंध, प्रशासन या व्यवसाय पक्ष को उसके संपादकीय पक्ष से स्वतंत्र रखा जाए और उसे संपादन विभाग में हस्तक्षेप करने या दखल देने की अनुमति न दी जाए। यदि मालिक और संपादक एक ही हो, तब भी यह एहतियात बरतनी होगी। मालिक को चाहिए कि अपने व्यवसायिक हितों या धारणाओं को जनता के प्रति समाचारपत्र के दायित्व पर हावी होने या हस्तक्षेप करने की अनुमति न दें। इसीलिए प्रबंधन पर भी यह दायित्व आता है कि संपादक के रूप में ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो सक्षम, ईमानदार और स्वतंत्र विचारों वाला हो।

अंतिम विश्लेषण में किसी भी व्यवस्था का सफल संचालन प्रबंधन, संपादक, संपादकीय पत्रकारों और समाचारपत्र के प्रकाशन में निष्ठापूर्वक काम करने वाले सभी व्यक्तियों की पारस्परिक समझ बूझ, सहयोग और सद्भाव पर निर्भर करता है।

यदि विभिन्न विभागों के बीच, संपादन सहित, समन्वय स्थापित करने में प्रबंधन द्वारा संपादक की स्वतंत्रता में किसी प्रकार का

हस्तक्षेप न किया जाए कि किन समाचारों या विचारों को शामिल करना अथवा निकालना है, उनकी लंबाई तथा ब्यौरा और भाषा तथा स्थान जहां उन्हें छापा जाना है और उन्हें कितनी प्रमुखता दी जानी है तो इस प्रकार की शिकायत आने की कम संभावना है कि उस समन्वय ने संपादक की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया है। किन्तु यदि सामग्री के चयन के बारे में संपादक के विवेक में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाए तो वह निश्चय ही उक्त स्वतंत्रता का अनावश्यक उल्लंघन होगा।

ii) मालिक द्वारा संपादक को कभी भी उसके निजी हितों के लिए काम करने को नहीं कहा जा सकता। संपादक से मालिक के निजी हितों के लिए काम करने की अपेक्षा करना न केवल संपादक के पद के महत्व को कम करना है, बल्कि समाचारपत्र की विषयवस्तु के बारे में समाज के ट्रस्टी के रूप में उसकी प्रतिष्ठा का अतिक्रमण भी है। प्रेस की स्वच्छंदता और स्वतंत्रता का दम भरने वाले किसी भी देश में किसी भी समाचारपत्र के मालिक द्वारा अपने संपादक का प्रयोग अपने निजी हितों को साधने के लिए अपने व्यक्तिगत एजेंट के रूप में करना और उसे उसी उद्देश्य से लिखने तथा काम करने के लिए मजबूर करना आपत्तिजनक भी है और भर्त्सना योग्य भी। कोई भी संपादक या वस्तुत: कोई भी पत्रकार जो ऐसे काम करता है या करने के लिए राजी हो जाता है वह न केवल अपनी बल्कि पत्रकारिता के व्यवसाय की भी प्रतिष्ठा कम करता है और वह इस व्यवसाय में रहने के योग्य नहीं है। वह उस विश्वास को झुठलाता है जो निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ एवं सर्वांगीण समाचार व विचार उपलब्ध कराने के लिए समाज उसमें रखता है।

(ख) <u>प्रबंधन बनाम पत्रकार: कार्यात्मक संबंध</u>

समाचार प्रबंधन का रिपोर्टर को अपने पत्रकारिता संबंधी दायित्व को निभाने के अतिरिक्त दायित्व के प्रशासनिक/वाणिज्यिक पक्ष को निभाने का निदेश देना अनैतिक अभ्यास है और कार्यात्मक संबंध को नष्ट करते हुए पत्रकारों की स्वतंत्रता का अतिक्रमण है ।

21. खोजी पत्रकारिता, उसके मानक तथा पैरामीटर :

खोजी रिपोर्टिंग के तीन आधारभूत तत्व हैं :

i) यह रिपोर्टर का काम है न कि उन व्यक्तियों का जिनकी रिपोर्ट वह कर रहा है;

ii) उसका विषय पाठक के जानने के लिए सार्वजनिक महत्व का होना चाहिए';

iii) सच्चाई को लोगों से छिपाने का प्रयास किया जा रहा है।

पहला मानक निम्नलिखित से एक उपसिद्धांत के रूप में बनता है

(क) कि रिपोर्टर को अपनी कथा सामान्यत: उन तथ्यों पर आधारित करनी चाहिए जिनका स्वयं उसने अन्वेषण किया हो, पता लगाया हो और सत्यापन किया हो और सुनी-सुनाई बातों अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संग्रहीत प्रमाण के निष्कर्ष पर नहीं जिनकी जांच स्वयं रिपोर्टर ने प्रत्यक्ष, प्रामाणिक स्त्रोतों से न कर ली हो।

(ख) जो तत्व खुलेपन की अपेक्षा करते हैं और जो गोपनीयता को अनिवार्य बनाते हैं, उनके बीच संघर्ष होता है अत:

खोजी पत्रकार को एक ओर खुलेपन तथा दूसरी ओर गोपनीयता के बीच एक उचित संतुलन स्थापित कर के उसे बनाए रखना चाहिए, और सार्वजनिक भलाई को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए।

(ग) खोजी पत्रकार को अध-पके अपूर्ण, शंकास्पद तथ्यों से, जिनकी स्वयं रिपोर्टर द्वारा प्रामाणिक स्रोतों से पूरी तरह जांच तथा सत्यापन न कर लिया गया हो, बनाई गई तुरंत रिपोर्ट अथवा तात्कालिक लाभों के प्रलोभन से बचना चाहिए।

(घ) काल्पनिक तथ्यों से या अस्तित्वहीन बातों को खोज निकालने अथवा अटकलबाजियां लगाने से चेष्टापूर्वक बचा जाए। तथ्य, तथ्य और सभी तथ्य महत्वपूर्ण हैं और समाचारपत्र के प्रेस में जाने के क्षण तक उनकी यथासंभव जांच तथा पड़ताल की जाए।

ड़) समाचारपत्र तथ्यों की निष्पक्षता तथा यथार्थता के कड़े मानक अपनाएं। निष्कर्षों को बिना अतिशयोक्ति या विकृति के निष्पक्ष विधि से प्रस्तुत किया जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें कानूनी अदालत में सिद्ध किया जा सके।

(च) रिपोर्टर को विचाराधीन मामले या मुद्दे पर इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए जैसे वह अभियोक्ता या अभियोजन का वकील हो। रिपोर्टर का दृष्टिकोण निष्पक्ष, सही तथा संतुलित होना चाहिए। सभी तथ्यों की मूल मुद्दों के पक्ष तथा विपक्ष, दोनों दृष्टियों से, उचित जांच कर के उन्हें स्पष्ट तथा अलग अलग व्यक्त किया जाए और कोई एक- पक्षीय निष्कर्ष न निकाले जाये, न ही पक्षपातपूर्ण टीका की जाए। रिपोर्ट का सुर तथा भाव और उसकी भाषा सौम्य, शालीन तथा भद्र हो और अनावश्यक

रूप से आपत्तिजनक, चुभने वाली, उपहासपूर्ण तथा व्यंगात्मक न हो, विशेषत: उस व्यक्ति के कथन पर टीका करते समय जिसकी कथित गतिविधि या दुराचार का अन्वेषण किया जा रहा है। खोजी रिपोर्टर को अपनी कार्यवाही का संचालन, और जिस व्यक्ति के कथित आपराधिक कृत्यों तथा आचरण का अन्वेषण किया जा रहा है उसके दोषी या निर्दोष होने के अपने निर्णय की घोषणा इस प्रकार नहीं करनी चाहिए जैसे वह अभियुक्त पर मुकदमा चलाने वाली अदालत हो।

(छ) समस्त कार्यवाही में, अन्वेषण प्रस्तुति तथा रिपोर्ट के प्रकाशन सहित, खोजी पत्रकार/समाचारपत्र को आपराधिक विधिशास्त्र के इस सर्वोपरि सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाया गया इलजाम स्वतंत्र, विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा असंदिग्ध रूप से प्रमाणित न हो जाए तब तक उसे निर्दोष माना जाएगा।

(ज) किसी सार्वजनिक व्यक्ति का भी निजी जीवन, उसका अपना होता है। उसकी व्यक्तिगत एकांतता या निजी जीवन को उद्‌भासित करने या उसका अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं है जब तक इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण न हो कि उसके विचाराधीन कुकृत्यों का उसकी सार्वजनिक स्थिति या शक्ति के साथ काफी संबंध है और जनहित पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

(झ) दंड प्रक्रिया के कानूनी उपबंध उस रूप में तो किसी पत्रकार की अन्वेषक कार्यवाहियों पर लागू नहीं होते, फिर भी उनमें निहित मूलभूत सिद्धांतों को न्याय, आचार नीति तथा सद्‌भाव के आधार पर दिशानिर्देश के रूप में अपनाया जा सकता है।

(त्र) यह कहना कि प्रेस को कोई सूचना तब तक प्रकाशित नहीं करनी चाहिए जब तक कि सरकारी रूप से जारी न की जाये, खोजी पत्रकारिता की भावना यहाँ तक कि पत्रकारिता के उद्देश्य तक की पूर्ति नहीं करेगा।

(ट) जब किसी सीडी या अन्य ऐसे किसी उपकरण के आधार पर किसी व्यक्ति के चरित्रपर आक्षेप करने वाला कोई समाचार, समाचारपत्र में प्रकाशित करने का प्रस्ताव हो तो सर्व प्रथम उस साक्ष्य की प्रमाणिकता फॉरेंसिक विशेषज्ञ से ज्ञात करनी चाहिए।

22. संपादक के नाम पत्र :

i) यदि कोई संपादक किसी विवादास्पद विषय पर अपने स्तंभ खोलने का निर्णय लेता है तो उस विषय के बारे में प्राप्त सभी पत्रों को प्रकाशित करना उसके लिए अनिवार्य नहीं है।

उसे उनमें से चुन कर कुछ पत्रों को पूरा या उनका सार छापने का अधिकार है। तथापि, इस विवेक का उपयोग करते समय उसे यह सुनिश्चित करने का सच्चा प्रयास करना चाहिए कि जो प्रकाशित किया जाए एक वह एकपक्षीय न हो बल्कि विवाद के मुख्य मुद्दे के संबंध में पक्ष विपक्ष के विचारों का सही संतुलन प्रस्तुत करे।

ii) यदि किसी विवादास्पद विषय पर दो पक्षकारों द्वारा प्रत्युत्तर पर प्रत्युत्तर भेजे जा रहे हों तो संपादक को यह निर्णय लेने का अधिकार है कि उस चालू स्तंभ को किस समय बंद किया जाए।

iii) संपादक को "संपादक को पत्र" का संपादन करने का अधिकार होता है किंतु उस संपादन से पत्र का भाव नहीं बदलना चाहिए।

23. समाचारपत्र राजनयिक उन्मुक्ति के दुरुपयोग का उद्भासन कर सकते हैं :

मीडिया भारत तथा विदेशी राज्यों के बीच सहयोग, मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा बेहतर समझ-बूझ के सेतुओं का निर्माण करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। साथ ही, समाचारपत्र का यह भी कर्तव्य है कि राजनयिक उन्मुक्ति के किसी दुरुपयोग अथवा अनुचित लाभ को उद्भासित करे।

24. समाचारपत्र फूहड़ वाणिज्यीकरण से बचें

i) समाचारपत्रों को सभी वैध उपायों से अपनी वित्तीय स्थिति सुनिश्चित करने, सुधारने अथवा मजबूत करने का अधिकार है; किंतु प्रेस फूहड़ वाणिज्यीकरण या अपने विरोधियों के साथ इस प्रकार से अभद्र घातक वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा जो उच्च व्यावसायिक मानकों अथवा सुरुचि के प्रतिकूल हो।

ii) यदि मुद्रण में समाचारपत्रों के बीच ऐसी घातक दाम लड़ाइयां/व्यापारिक प्रतियोगिताएं शुरू की जाएं तथा चलाई जाएं जिनमें एक दूसरे की वस्तु की निंदा करने का सुर मिला हुआ हो, तो वह अनुचित व्यापार व्यवहार का रूप ले लेती हैं जो पत्रकारिता की आचार नीति के प्रतिकूल है। वह कब अनैतिक रूप धारण करता है, यह बात हर मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

iii) पत्रकारों की नियुक्ति के समय संपादक द्वारा उनसे प्रतिभूति जमा लिया जाना अनैतिक है।

iv) मीडिया घराने को मीडिया घराने के रूप में कार्य करते हुए अपनी निष्पक्षता बनाये रखनी चाहिए और रिपोर्टिंग को अन्य कारोबार

संबंधी हित जोकि मीडिया घराने के स्वामी का हो सकता है, में सहायक होने की अनुमति नहीं दी जा सकती जब ऐसे निजी हित का ऐसे व्यापक महत्व के लोक कर्तव्य के साथ विरोध हो तब दोनों को अलग-अलग करना न केवल न्यायोचित है बल्कि अत्यावश्यक है।

25. समाचारपत्र संकेतात्मक दोषिता से बचें

i) समाचारपत्रों को साहचर्य से संकेतात्मक दोषिता से बचना चाहिए। उन्हें किसी अपराध में दंडित या अभियुक्त के परिवार या संबंधियों या साथियों का नाम अथवा पहचान नहीं देनी चाहिए जब कि वे पूर्णत: निर्दोष हों और रिपोर्ट किए गए मामले में उनका उल्लेख संगत न हो।

ii) किसी विवाद/झगड़े के मामले में समाचारपत्र का किसी एक पक्ष के साथ मिल जाना और उसके मामले को प्रस्तुत करना पत्रकारिता के मानकों के प्रतिकूल है।

26. अयाचित सामग्री को वापस न करना :

i) प्रकाशन के लिए विचारार्थ भेजी गई अयाचित सामग्री को लौटाने के लिए समाचार पत्र बाध्य नहीं है। तथापि, यदि उसके साथ टिकट लगा लिफाफा हो तो समाचारपत्र को उसे लौटाने का हर प्रयास करना चाहिए।

ii) जब कभी लेखकों के लेख बिना पारिश्रमिक के छापे जाएं तब जरूरी है कि भुगतान न करने के लिए पारस्परिक सहमति हो और समाचारपत्र को सदा इस व्यवहार का पालन करना चाहिए।

27. फोटो पत्रकारिता के लिए मानक

i) केवल शब्दों की अपेक्षा किसी समाचार की तस्वीर या दृश्य प्रस्तुति पाठकों तथा दर्शकों पर अधिक गहरा और चिरस्थायी प्रभाव डालती है। अत:, निम्नलिखित कर्तव्यों तथा निषेधों का पालन उन्हें अपने आचार के आत्मनियंत्रण और व्यावसायिक निष्ठा तथा उच्च मानक बनाए रखने में मदद करेगा।

कर्तव्य

1. चित्र यथार्थ और बोधगम्य हों और व्यक्तियों को सही संदर्भ में प्रस्तुत किया जाए।

2. सभी व्यक्तियों के साथ सम्मान और प्रतिष्ठा का व्यवहार किया जाए। नाजुक व्यक्तियों पर विशेष ध्यान दिया जाए और अपराध अथवा उन्माद के पीड़ितों के साथ अनुकंपा का व्यवहार किया जाए। निजी दुख को तभी शामिल किया जाए जब जनता की उसे बांटने या देखने की प्रबल और न्यायोचित रुचि हो।

3. किसी दृश्य सामग्री का संपादन करते समय, यह सुनिश्चित किया जाए कि चित्रों की विषय-वस्तु और संदर्भ की निष्ठा को बनाए रखा गया है। चित्रों में हेरफेर न किया और न ही ध्वनि में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाए जिससे दर्शकों को भ्रांति हो या व्यक्तियों का गलत निरूपण हो।

4. व्यक्तियों से व्यवहार करते समय विनम्र रहने का प्रयास करें।

5. फोटोग्राफिक क्षण की निष्ठा का सम्मान किया जाए।

6. चित्र कोई ऐसी बात निरूपित न करें जो अश्लील, अभद्र या जनता की सुरुचि को ठेस पहुंचाने वाली हो।

7. यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि जनता का कामकाज जनता में किया जाए। सभी पत्रकारों के लिए पहुँच के अधिकारों की रक्षा करें।

8. व्यक्तियों तक पूर्ण और निर्बाध पहुँच के लिए प्रयास करें और छिछले या हड़बड़ी वाले अवसरों के लिए विकल्प सुझाएँ।

9. विविध दृष्टिकोण लें और अप्रिय या अलक्षित दृष्टिकोणों को दिखाने के लिए काम करें।

10. इस संहिता में अभिव्यक्त भाव और उच्च मानकों को उदाहरण तथा प्रभाव द्वारा बनाए रखने की कोशिश करें। जब ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े जिसमें उचित कार्रवाई स्पष्ट न हो, तब उनसे परामर्श लें जो इस व्यवसाय में उच्चतम मानक दर्शाते हैं।

निषेध

1. व्यक्तियों की फोटो लेते समय जानबूझ कर घटनाओं को बदलने, या बदलने की कोशिश करने या प्रभावित करने का प्रयास न करें।

2. किसी व्यक्ति की गोपनीयता में हस्तक्षेप या आक्रमण न किया जाए जब कि वह वास्तविक भारी जनहित के आधार पर, न कि किसी कामुक अथवा विकृत कुतूहल के आधार पर, अनिवार्य न हो।

3. आतंकवादी हमलों, सांप्रदायिक दंगों या हिंसा की अन्य घटनाओं को कवर करते समय क्षत-विक्षत शवों या ऐसी अन्य छवियों को न दिखाएँ जो घृणा अथवा आतंक पैदा करें या सांप्रदायिक अथवा धार्मिक भावनाएँ भड़काएँ।

4. मंचित फोटो अवसरों से प्रभावित न हों।

5. उनसे उपहार, अनुग्रह या मुआवजा स्वीकार न करें जो कवरेज को प्रभावित करने की माँग कर सकते हों।

6. ऐसे राजनीतिक, सिविक या व्यापार के धंधो अथवा नौकरी से बचें जो उनकी व्यावसायिक स्वतंत्रता से समझौता कर सकती हो या समझौता करती हुई प्रतीत हो।

7. सूचना या भागीदारी के लिए स्रोत अथवा व्यक्ति को कोई भुगतान न करें और न ही कोई तात्विक प्रतिफल दें।

8. काम में किसी प्रकार का पक्षपात निरूपित नहीं होना चाहिए।

9. अन्य पत्रकारों के प्रयासों को जानबूझ कर ध्वस्त न करें।

ii) पुलिस द्वारा जुए की दुष्प्रवृति को अनदेखा करने को संकेत स्वरूप दर्शाने के लिये, फोटोग्राफ में गुप्त जुआ अड्डे के पास पुलिस कर्मी को खड़ा दर्शाना अनीतिकर या पत्रकारिता के मानदंडों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

iii) आम समाज में 'सम्मानजनक मृत्यु' के सिद्धांत की व्यापक मान्यता है और जब तक कि उस घटना को फोटोग्राफ द्वारा दर्शाने का सार्वजनिक हित या प्रयोजन न हो, मीडिया को उससे बचने की सलाह दी जाती है।

28. अश्लीलता तथा अशिष्टता से बचा जाए :

i) समाचारपत्र/पत्रकार ऐसा कुछ भी प्रकाशित नहीं करेंगे जो अश्लील, अशिष्ट अथवा जन सुरुचि के प्रतिकूल हो |

ii) समाचारपत्र ऐसे विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेंगे जो अश्लील हों या जिनमें नग्न अथवा कामुक मुद्रा में प्रदर्शित किसी महिला की ओर पुरुषों की ललचाई दृष्टि आकर्षित होती हो जैसे कि वह स्वयं ही बिक्री के लिए कोई वाणिज्यिक वस्तु हो।

iii) कोई चित्र अश्लील है या नहीं, इसका निर्णय तीन परीक्षाओं के आधार पर किया जाए, अर्थात:

क) क्या यह अशिष्ट तथा अभद्र है ?

ख) यह मात्र अश्लीलता की कृति है ?

ग) क्या इसका उद्देश्य केवल पैसा कमाने के लिए किशोरों की यौन भावनाओं को गुदगुदाना है जिनके बीच वह संचारित होगी? अर्थात क्या यह वाणिज्यिक लाभ के लिए एक दूषित स्वार्थसाधन है? अन्य संगत बात यह है कि क्या वह चित्र पत्रिका की विषय वस्तु से संबंधित है। अर्थात क्या उसके प्रकाशन से कला, चित्रकारी, चिकित्सा शोध या यौन सुधार के संदर्भ में किसी महान सामाजिक अथवा सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति होती है ?

iv) एक फोटोग्राफ अथवा पेंटिंग कला संबंधी कार्य है और कलाकार इसके चित्रांकन में कलात्मक छूट का उपभोग करता है तथापि, यह समझना होगा कि कला संबंधी कार्य का उपभोग, परख और सराहना पारखियों द्वारा की जाती है। एक

समाचारपत्र के पृष्ठ ऐसी पेंटिंग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान नहीं हो सकते।

v) भूमंडलीकरण और उदारीकरण से मीडिया को यह लाइसैंस नहीं मिल जाता कि वह प्रेस की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करे तथा समाज के मूल्यों को कम करे। मीडिया सार्वजनिक उद्देश्य की एक विशिष्ट भूमिका निभाता है जिसके लिए उसे उन वाणिज्यिक धारणाओं से ऊपर उठना चाहिए जो अन्य उद्योगों तथा व्यापार द्वारा अपनाई जाती हैं जहाँ तक उस भूमिका का संबंध है, मीडिया का एक कर्तव्य यह है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत तथा सामाजिक मूल्यों का संरक्षण करे और उन्हें आगे बढ़ाए।

vi) समाचारपत्र में पाठकों के निजी प्रश्नों का उत्तर देने वाले 'नितांत व्यक्तिगत' जैसे स्तंभ जनता की शालीनता का उल्लंघन करने वाली या जनता की मानसिकता को भ्रष्ट करने वाली घोर अरुचिकर प्रस्तुतियाँ न बन जाएँ।

vii) प्रेस का प्रयास यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि कवरेज व्यापक रूप से समाज के मानकों के अनुरूप हो न कि मात्र कुछ एक के अनुरूप हो। प्रेस, स्तरों और संस्कृति के पतन को रोकना हमारा कर्तव्य भी है क्योंकि इसकी पहुँच और प्रभाव में समाज की विचारधारा और मानस पटल को मोड़ने की अद्भुत क्षमता होती है।

viii) भारतीय पाठक काफी परिपक्व है और सही पत्रकारिता की सराहना करने में समर्थ है तथा लंबे समय में तथाकथित लोकप्रिय स्वीकृति को बढ़ावा देकर पश्चिम की नकल के प्रयास परिचालन बढ़ाने के समाचारपत्र के उद्देश्य को विफल कर सकते हैं।

ix) समाचारपत्र अपने लेखों के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों में अनैतिक कार्यकलापों से संबंधित घटनाओं का भंडाफोड़ कर सकते हैं। परंतु यह फोटोग्राफिक साक्ष्य अथवा समाचार के संयमित प्रस्तुतीकरण की समुचित सावधानी बरतते हुए किया जाना चाहिए।

x) समाचारपत्रों को यौन विषयक लेख प्रकाशित करते समय जन भावनाओं का समुचित ध्यान रखना चाहिए।

29. पेड समाचार

i) समाचारपत्रों को सप्लीमेंट/विशेष संस्करण पर, उसे अन्य रिपोर्टों से अलग दर्शाने के लिये, विशेष रूप से "मार्केटिंग पहल" लिख देना चाहिए।

ii) समाचारपत्र को नेता का बयान गलत अर्थ में या गलत प्रकाशित नहीं करना चाहिए। संपादकीय में उद्धृत बयानों को सही भावना में दर्शाया जाए जैसेकि उनके द्वारा कहने का प्रयास किया जा रहा था।

iii) जिन समाचारों में किसी राजनीतिक दल विशेष के उम्मीदवार के समर्थकों तथा जातिगत आधार पर मतदाताओं के नाम व्यापक रूप से दर्शाये - जाते हैं, इस प्रकार से समाचार प्रकाशित करना पेड समाचार माना जाता है।

iv) प्रतिस्पर्धी समाचारपत्र में समान विषय वस्तु के साथ प्रकाशित राजनीतिक समाचार पेड समाचार होने का पक्का प्रमाण माना जाता है।

v) चुनाव के दौरान दो समाचारपत्रों में समान समाचार शब्दशः प्रकाशित होना संयोग नहीं हो सकता है और उससे स्पष्ट होता है कि वह समाचार प्रतिलाभ हेतू प्रकाशित किया गया।

vi) किसी समाचार/तस्वीरों को प्रस्तुत करने का तरीका, वह भी किसी विशेष पार्टी/उम्मीदवार के पक्ष में, साथ ही किसी विशेष पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करना, सांकेतिक रूप से पेड समाचार है।

vii) चुनाव में किसी उम्मीदवार की सफलता सुनिश्चित दर्शाना जिसे अभी नामांकन भी करना हो, पेड समाचार माना जाएगा।

viii) प्रचार सभाओं पर समाचार रिपोर्टों और फिल्मी स्टार की मौजूदगी के कारण भारी उत्साह को पेड समाचार नहीं कहा जा सकता है।

ix) चुनाव के बारे में समाचार देते समय, समाचारपत्रों को रिपोर्ट/उम्मीदवारों के साक्षात्कार प्रकाशित करने में संतुलन बनाने का परामर्श दिया जाता है।

x) चुनाव के दौरान, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन समाचारपत्र उम्मीदवारों या पक्षों की संभावनाओं का ईमानदारी से मूल्यांकन कर सकते हैं और इसे पेड समाचार नहीं माना जाएगा जब तक कि यह स्थापित नहीं हो जाता कि ऐसे प्रकाशन पर प्रतिफल दिया गया है।

xi) समाचारपत्र किसी भी राजनीतिक पार्टी की जीत की भविष्यवाणी करते हुए बिना सत्यापन के कोई समाचार सर्वेक्षण किए बिना प्रकाशित नहीं करेंगे।

xii) चुनाव के दौरान, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को सभी गुणों के साथ पेश करके मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास, पेड समाचार है।

xiii) एक उम्मीदवार/प्रत्याशी के नकारात्मक पहलू और साथ ही अन्य राजनीतिक दल के उम्मीदवार के, बिना किसी आधार के, सकारात्मक पहलुओं को देने वाला समाचार स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह पेड समाचार है।

30. प्रेस के अधिकार के तहत किसी पेशे पर टिप्पणी करने के मापदंड

कोई भी अखबार/स्तंभकार भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत, बोलने/अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में किसी भी पेशे का अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि बोलने की स्वतंत्रता असीम नहीं है।

31. सरकारी कर्मचारियों के कृत्यों तथा आचरण पर टिप्पणी करने के लिए प्रेस के अधिकार के पैरामीटर

i) जहां तक सरकार, स्थानीय प्राधिकरण तथा सरकारी शक्ति का प्रयोग करने वाले अन्य अंगों /संस्थाओं का संबंध है, वे अपने सरकारी कर्तव्यों से संबंधित कार्यों तथा आचरण के लिए क्षति का कोई दावा नहीं कर सकते हैं, जब तक कि कर्मचारी यह सिद्ध न कर दे कि वह प्रकाशन सच्चाई की घोर अवहेलना कर के किया गया था। तथापि, न्यायपालिका को न्यायालय के अवमान के लिए दंड देने का अधिकार है और संसद तथा विधायिकाओं के अधिकार क्रमशः अनुच्छेद 105 तथा 194 द्वारा सुरक्षित हैं; अतः वे इस नियम का अपवाद हैं।

ii) केंद्रीय तथा स्थानीय निकायों को उन लेखों/रिपोर्टों के बारे में मानहानि के लिए दीवानी या फ़ौजदारी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है जिनमें उनके कामकाज की आलोचना की गई हो।

iii) जांच कर रहे सरकारी कर्मचारियों के बारे में समाचार या टिप्पणी/जानकारी के प्रकाशन की प्रवृत्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अपराध करने में मदद मिले या अपराधों का पता लगाने या उन्हें रोकने में अथवा अपराधी पर मुकदमा चलाने में बाधा पड़े।

अन्वेषण एजेंसी पर भी इसी प्रकार का दायित्व आता है कि जानकारी को उद्घाटित न करे और गलत जानकारी प्रचारित ना करे।

iv) ऐसा कोई कानून तो नहीं है जो राज्य या उसके अधिकारियों को प्रेस/मीडिया का निषेध करने के लिए अधिकृत करे, फिर भी शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 या ऐसा ही कोई अन्य कानून, अथवा उपबंध जिसे कानून का बल प्राप्त हो, प्रेस या मीडिया पर भी समान रूप से लागू होते हैं।

v) वे जोकि सार्वजनिक पद पर हैं और उनके अपने ही आचरण द्वारा उनकी आलोचना की जाती है, की ऐसी आलोचना के विरुद्ध शिकायत को नहीं सुना जा सकता।

vi) देश के प्रथम नागरिक पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां, उपहास और अपमान करना अनुचित है और यह उचित पत्रकारिता टिप्पणियों के विरुद्ध है।

vii) जहां प्रत्येक पत्रकार को किसी भी सार्वजनिक विभाग/कर्मचारी की कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की ड्यूटी और स्वतंत्रता होती है वहीं यह मूल्यांकन उचित दस्तावेजों और सत्यापन पर आधारित होना चाहिए।

viii) सार्वजनिक सेवा करने वाले किसी भी संस्थान के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह अपनी कार्यप्रणाली को प्रमाणिक आलोचनात्मक जांच के लिए खुला रखे।

32. राष्ट्रीय हित सर्वोपरि:

i) समाचारपत्र आत्म नियंत्रण के रूप में, कोई भी ऐसा समाचार, टीका या जानकारी प्रस्तुत करने में यथेष्ट संयम तथा सावधानी बरतेंगे जिनसे राज्य तथा समाज के सर्वोपरि हितों या व्यक्तियों

के अधिकारों की जोखिम, खतरा या क्षति होने की संभावना हो जिनके बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 खंड (2) के अंतर्गत वक्तृता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर कानून द्वारा न्यायोचित पाबंदियाँ लगा दी जाएं।

ii) गलत /अशुद्ध नक्शे का प्रकाशन बहुत गंभीर अपराध है, चाहे उसका कारण कुछ भी हो, क्योंकि इससे देश की प्रादेशिक अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अतः उसे खेदपूर्वक तत्काल तथा प्रमुख रूप से वापस लिया जाए।

iii) यद्यपि सामान्यता प्रयुक्त स्रोतों को उजागर नहीं किया जाता है, हालांकि, जब गंभीर आरोप हों और जो मामले राष्ट्रीय हित और सुरक्षा से संबंधित हो तब प्रेस के लिए यह आवश्यक/अनिवार्य हो जाता है कि स्रोत द्वारा दी गई सूचना की प्रमाणिकता निश्चित करे।

iv) संवेदनशील मामले से संबंधित लेख जिससे कोई देश बदनाम हो सकता हो, गहन सत्यापन के बिना प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। समाचारपत्र तथा समाचार एजेंसी को लेख के प्रकाशन से पूर्व उसकी प्रमाणिकता की जांच कर लेनी चाहिए।

33. साहित्यिक चोरी

i) किसी अन्य की रचनाओं अथवा विचारों को, स्रोत का उल्लेख किए बिना, अपनी कह कर इस्तेमाल करना अथवा चलाना पत्रकारिता की आचार नीति के प्रति अपराध है।

ii) कॉपीराइट का उल्लंघन भी पत्रकारिता के मानकों का उल्लंघन है।

iii) समाचारपत्र द्वारा किसी लेखक के कार्य को मान्यता दिये बिना, शब्द बदलकर लेख प्रकाशित करना अनीतिकर है।

34. प्रकाशन-पूर्व सत्यापन

i) जनहित तथा लाभ की कोई रिपोर्ट अथवा लेख प्राप्त होने पर, जिसमें किसी नागरिक के विरुद्ध आक्षेप अथवा टीका हो, संपादक को चाहिए कि यथेष्ट ध्यान तथा सावधानी के साथ उसकी तथ्यात्मक यथार्थता की जांच, अन्य प्रमाणिक स्रोतों के अतिरिक्त, संबंधित व्यक्ति तथा संगठन से भी कर ले और उसका विवरण, टीका अथवा प्रतिक्रिया प्राप्त करके, जहां आवश्यक हो उचित संशोधनों के साथ, रिपोर्ट में उसे भी प्रकाशित कर दे। प्रतिक्रिया के अभाव में इस आशय की पाद टिप्पणी रिपोर्ट के साथ दे दी जाए।

ii) परीक्षाओं के रद्द किए जाने या प्रत्याशियों द्वारा चुनाव से अपना नाम वापस लिए जाने आदि से संबंधित समाचार यथेष्ट सत्यापन और जांच के बिना प्रकाशित न किए जाएं।

iii) जो प्रलेख किसी समाचार रिपोर्ट का आधार हो, उसे कम से कम छह माह तक सुरक्षित रखा जाए।

iv) समाचारपत्र को प्रेस विज्ञप्ति की प्रमाणिकता सिद्ध होने के बाद ही उसे प्रकाशित करना चाहिए जिस पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और विभाग की मुहर हो।

v) वे समाचार जो अफवाह या तथाकथित मौजमस्ती से उपजे हों जिनसे किसी व्यक्ति का चरित्र प्रभावित होता हो, प्रकाशन योग्य नहीं होते हैं।

vi) व्यक्तिगत वैर-भाव समाचारों में नहीं झलकना चाहिए। बिना किसी सामग्री के किसी व्यक्ति को बदनाम करने की मंशा से

समाचार प्रकाशित करना जबकि उस समाचार के समर्थन में प्रथम दृष्टया कुछ भी न हो, भूलचूक वाला कार्य कहलाएगा।

vii) किसी राजनीतिक नेता पर, उचित विचार किए बिना गंभीर प्रकृति की गलत टिप्पणियां करना जिसके दूरगामी परिणाम होते हो, पर कड़ी कार्रवाई अपेक्षित होती है। प्रकाशन से पूर्व ही उस बयान के स्रोत का सत्यापन कर लेना चाहिए।

viii) दहेज प्रताड़ना के आरोपों की जांच का कार्य न्यायालय का विषय होता है और आईपीसी की धारा 498-ए के तहत बदलावों को मीडिया द्वारा अधिक संवेदनशीलता के साथ, अभियुक्त के फोटोग्राफ के बिना, प्रकाशित करना चाहिए। संपादक को ऐसे मामलों में अभियुक्त के पक्ष का भी सत्यापन कर लेना चाहिए।

ix) घूस के आरोप में निलम्बित अधिकारी का मामला सत्यापनीय है और समाचारपत्र से इसका सत्यापन करा लेने की अपेक्षा की जाती है। बाद में स्पष्टीकरण प्रकाशित करने से नुकसान को कम नहीं किया जा सकता है।

x) जो पत्रकार स्वेच्छा से समाचारों/लेखों के स्रोत का खुलासा नहीं करते हैं, वे इसकी सटीकता और प्रामाणिकता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार और उत्तरदायी होंगे।

xi) यदि पत्रकार स्वेच्छा से समाचारों/ लेखों के स्रोत का खुलासा करते हैं, तो जिम्मेदारी और दायित्व स्रोत की प्रकृति पर निर्भर करेगा।

xii) यदि समाचार विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त हुआ है, तो पत्रकारों की जिम्मेदारी तय करने के लिए इस पर प्रासंगिक विचार किया जा सकता है।

35. सार्वजनिक व्यक्तियों की एकांतता

i) एकांतता का अधिकार एक अनुलंघनीय मानव अधिकार है। तथापि अलग अलग व्यक्तियों के लिए और अलग अलग परिस्थितियों में एकांतता की मात्रा भिन्न होती है। जनता के दूत/प्रतिनिधि के रूप में जनता की नज़रों के नीचे काम करने वाला सार्वजनिक व्यक्ति वैसी एकांतता की आशा नहीं कर सकता जो किसी निजी व्यक्ति को मिलती है। उसके जो कृत्य और आचरण जनहित के हों ("जनहित" का आशय "जनता के हित" से भिन्न और अलग है), चाहे वह अकेले में किए गए हों, प्रेस मीडिया के माध्यम से जनता की जानकारी में लाए जा सकते हैं। किंतु प्रेस पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व भी आता है कि उस सार्वजनिक व्यक्ति के जनहित के उन कृत्यों तथा आचरण के बारे में जानकारी न्यायोचित तरीकों से प्राप्त की गई हो, उसका विधिवत सत्यापन किया गया हो और फिर सही सही रिपोर्ट किया जाए। जनता की नज़रों से बाहर रहकर किए गए कृत्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेस से टोही साधनों का प्रयोग करने की आशा नहीं की जाती। निजी वार्ताओं और चर्चाओं के बारे में' जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेस से यह आशा नहीं की जाती कि वह सार्वजनिक व्यक्तियों को परेशान करे, किंतु सार्वजनिक व्यक्तियों से भी यह आशा की जाती है कि वे अपनी कार्यशैली में अधिक खुलापन लाएं और प्रेस के साथ सहयोग करें ताकि वह अपने प्रतिनिधियों के कृत्यों के बारे में जनता को सूचित करने के अपने कर्तव्य को निभा सके।

ii) सार्वजनिक व्यक्तियों से संबंधित उन भेंटवार्ताओं/लेखों या तर्कों को, जो उन घटनाओं के बारे में हों, जिन्हें जनता जानती हो, यदि ठीक तरह से रिपोर्ट की जाएं तो, निजी जीवन में हस्तक्षेप

नहीं कहा जा सकता। सार्वजनिक तथा निजी जीवन के बीच एक बहुत सूक्ष्म रेखा है और सार्वजनिक व्यक्तियों को आलोचना के प्रति बहुत असहिष्णु नहीं होना चाहिए।

iii) समाचारपत्रों को सत्ताधारी व्यक्तियों की आलोचना करने की छूट है क्योंकि उनका आचरण जनहित को प्रकट करता है बशर्ते कि उनकी आलोचना उस सार्वजनिक व्यक्ति के किसी विरोधी/प्रतिद्वंद्वी की निजी ईर्ष्या की तुष्टि के उद्देश्य से न की गई हो।

iv) सार्वजनिक हस्तियों का परिवार वैध पत्रकारिता संबंधी विषय नहीं है, और भी अधिक यदि इसकी रिपोर्टिंग अल्पवयस्कों को कवर करती है। यदि ‹लोकहित› नाबालिक के निजता के अधिकार को पार करता है, तब माता-पिता की पूर्व सहमति लेना उचित होगा।

v) जब सम्बद्ध व्यक्ति स्वयं बड़ी सभा के सामने निजी जीवन के बारे में तथ्यों को दर्शाता है तब यह समझा जाएगा कि व्यक्ति द्वारा निजता का आवरण हटा लिया गया है।

36. व्यावसायिक कदाचार

i) लोगों को समाचारपत्र के स्तंभों के माध्यम से बदनाम करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करना या उनसे धन ऐंठना पत्रकारिता के मानकों का घोर उल्लंघन है।

ii) समाचारपत्रों को विज्ञापन एकत्र करने के कार्य में पत्रकारों को नहीं लगाना चाहिए।

iii) मीडिया घराने द्वारा किसी अन्य समाचारपत्र का शीर्षक प्रयोग करना और गलती सुधारने से मना करना अनीतिकर और निंदनीय है।

iv) योगदानकर्ता द्वारा समाचारपत्र को उपलब्ध कराई सामग्री से भिन्न प्रकाशित करना अनीतिकर है।

v) पत्रकारों का, किसी को बदनाम करने, परेशान करने या ब्लैकमेल करने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना अनैतिक है।

37. व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता

विरोधी समाचारपत्रों द्वारा समाचारपत्र के स्तंभों का दुरुपयोग व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के फलस्वरुप एक दूसरे के प्रति निजी द्वेष निकालने के लिए न किया जाए।

38. भेंटवार्ताओं तथा फोन पर बातचीत को रिकॉर्ड करना

i) प्रेस किसी भी व्यक्ति के वार्तालाप को उसकी जानकारी या सहमति के बिना टेप पर रिकॉर्ड नहीं करेगा जब तक कि पत्रकार को किसी कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए या अन्य अनिवार्य उचित कारण से रिकॉर्डिंग आवश्यक न हो।

ii) ऐसे वार्तालाप के दौरान प्रयुक्त आपत्तिजनक विशेषकों को प्रेस द्वारा प्रकाशन से पूर्व निकाल दिया जाएगा।

iii) समाचारपत्रों द्वारा वह संदर्भ भी दिया जाए जिसमें राजनीतिक नेता द्वारा बयान दिया गया था, किंतु इससे यह छूट नहीं मिल जाती कि वह अपने आप ही उसका अर्थ निकाल लें।

39. रिपोर्टिंग:

क) मानसिक स्वास्थ्य रोगियों से सम्बद्ध सूचना पर रिपोर्टिंग

मीडिया मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति जिसका मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में उपचार चल रहा हो, की सहमति के बिना उसके संबंध में तस्वीर या कोई अन्य जानकारी प्रकाशित नहीं करेगा।

ख) आत्महत्या पर रिपोर्टिंग

समाचारपत्र और समाचार एजेंसियां, आत्महत्या के मामलों पर रिपोर्टिंग करते समय निम्नलिखित **नहीं** करेंगे:

1. आत्महत्या के बारे में समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित करना और ऐसे समाचारों को बार-बार दोहराना;
2. ऐसी भाषा का उपयोग करना जो आत्महत्या को सनसनीखेज बनाए या सामान्यीकृत करे, या इसे समस्याओं से बचने के समाधान के रूप में प्रस्तुत करे;
3. उपयोग की गई विधि का वर्णन स्पष्ट रूप से करना;
4. घटनास्थल/स्थान के बारे में विस्तृत विवरण प्रदान करना;
5. सनसनीखेज सुर्खियों का उपयोग करना;
6. फोटो, वीडियो फुटेज या सोशल मीडिया लिंक का उपयोग।

7*. प्रेस संयम रखे और किसी भी समाचार को मुद्रित करने और/या/ ऐसी कोई भी चर्चा/बहस/साक्षात्कार शुरू न करे, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

   क. आत्महत्या से मृत्यु होने पर, मृतक को कमजोर चरित्र वाले व्यक्ति के रूप में चित्रित करना या मृतक की निजता में दखल देना;

   ख. जिससे चल रही जांच/जांच-पड़ताल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े :

      (i) आरोपी/पीड़ित के चरित्र का हवाला देना और दोनों के लिए पूर्वाग्रह का माहौल बनाना;

      (ii) पीड़ित, गवाहों और/या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ साक्षात्कार करना और इसे स्क्रीन पर सामने दिखाना;

      (iii) गवाहों, जिनके साक्ष्य जांच/ परीक्षण के चरण में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, के वर्तनों का विश्लेषण करना,

---

*पीआईएल (एसटी) संख्या 92252 में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय का आदेश दिनांकित 18.01.2021

(iv) एक अभियुक्त द्वारा एक पुलिस अधिकारी के कथित रूप से किए गए स्वीकारोक्ति को प्रकाशित करना और जनता को साक्ष्य अधिनियम 1872 की बारीकियों की जानकारी दिये बिना, यह विश्वास दिलाने का प्रयास करना कि यही साक्ष्य का एक टुकड़ा है जो न्यायालय के समक्ष स्वीकार्य है और न्यायालय द्वारा इस पर कार्रवाई न करने का कोई कारण नहीं है।

(v) एक आरोपी की तस्वीरें प्रिंट करना और इस तरह उसकी पहचान को सुविधाजनक बनाना;

(vi) उचित अनुसंधान के बिना आधी-अधूरी सूचनाओं के आधार पर जांच एजेंसी की आलोचना करना;

(vii) मामले के गुण-दोषों के आधार पर घोषणा करना, जिसमें किसी अभियुक्त या किसी मामले में अभी तक वांछित नहीं होने वाले व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, के लिए दोष या बेगुनाही का पूर्व-निर्धारण शामिल है;

(viii) एक अपराध स्थल को फिर से बनाना/पुनर्निर्माण करना और यह दर्शाना कि आरोपी ने अपराध कैसे किया;

(ix) जांच को पूरा करने के लिए किसी विशेष दिशा में उठाए जाने वाले कदमों सहित प्रस्तावित/भावी कार्रवाई की भविष्यवाणी करना; और

(x) जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई सामग्रियों से संवेदनशील और गोपनीय जानकारी लीक करना;

ग. सीटीवीएन नियमों के नियम 6 के साथ पठित सीटीवीएन (केबल टेलीविजन नेटवर्क) अधिनियम की धारा 5 के तहत निर्धारित कार्यक्रम संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए किसी भी तरीके से कार्य करना और इस तरह अदालत की अवमानना को आमंत्रित करना; तथा

घ. किसी भी व्यक्ति के चरित्र हनन में लिप्त होना और इस तरह उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना।

ग) प्राकृतिक आपदाओं पर रिपोर्टिंग

i) महामारियों के फैलने या प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित तथ्यों तथा आंकड़ों के प्रमाणिक स्त्रोतों से जांच करने के बाद यथेष्ट संयम के साथ उन्हें इस प्रकार प्रकाशित किया जाए कि उसमें सनसनी, उत्तेजना, कल्पनाएं तथा अपुष्ट तथ्य न हों।

ii) समाज के कृताकृत के माध्यम से प्राकृतिक अथवा मानक निर्मित जोखिम विनाशकारी हो जाते हैं। अतः मीडिया सहित सभी दावेदारों द्वारा रोकथाम संबंधी कार्रवाई करके विनाशकारी प्रभाव को कम किया जा सकता है।

iii) मीडिया को आपदा में कमी के संभाव्य लाभों और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए का व्यापक प्रचार करना चाहिए ताकि समाज आपदाओं के दौरान और उनके होने के पश्चात् पहले से ही उनका पालन करें। मानक दिशानिर्देशों पर लोगों को विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए। बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे

जोकि आपदा के दौरान और इसके पश्चात सर्वाधिक दुर्बल वर्ग हैं, को मीडिया द्वारा सावधानीपूर्वक उठाना चाहिए।

iv) यह आवश्यक है कि मीडिया और सभी सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियों के बीच पूर्ण सहयोग हो। उनके बीच सहयोग और समन्वय की सीमा आपदाओं से निपटने अथवा उन्हें रोकने की तैयारी की प्रकृति, डिग्री और पैमाना निर्धारित करती है।

घ. बाल परित्याग पर रिपोर्टिंग*

बच्चे के परित्याग पर सभी रिपोर्टिंग में निम्नलिखित अनिवार्य रूप से शामिल होंगे:

- असुरक्षित बच्चे का परित्याग अवैध है और बच्चों के जीवन और भविष्य को खतरे में डालता है।
- एक विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी में एक बच्चे को कानूनी रूप से और गुमनाम रूप से त्याग दिया जा सकता है।
- एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाएगा।

ङ. यौनकर्मियों पर रिपोर्टिंग**

मीडिया अत्यधिक सावधानी बरते कि यौनकर्मियों, चाहे वह पीड़ित हो या आरोपी हो, की गिरफ्तारी, छापेमारी और बचाव अभियानों के दौरान उनकी पहचान प्रकट न हो, और ऐसी कोई भी तस्वीर प्रकाशित या प्रसारित न करें, जिससे ऐसी पहचान प्रकाश में आ जाए। इसके अलावा, आईपीसी की नई धारा,

---

* उक्त प्रावधानों को परिषद द्वारा दिनांक 26.10.2021 की बैठक में अंगीकार किया गया।

** दांडिक अपील संख्या 135/2010 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांकित 19.05.2022 के अनुपालन में।

354 सी, जिसके तहत ताक-झांक दांडिक अपराध है, का मीडिया द्वारा सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, ताकि बचाव अभियान की आड़ में, यौनकर्मियों की उनके ग्राहकों के साथ ली गईं तस्वीरें प्रकाशित / प्रसारित न की जायें।

40. विधानमंडल की कार्यवाही की रिपोर्टिंग

समाचारपत्रों का कर्तव्य है कि संसद के दोनों सदनों, विधानसभा की कार्यवाही की रिपोर्ट ईमानदारी से छापें और इस बारे में समाचारपत्रों पर किसी अदालत में दीवानी या फौजदारी कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि रिपोर्ट दुर्भावना के साथ छापी गई है। तथापि, समाचारपत्रों को संसद के किसी सदन या विधानसभा या, यथास्थिति, विधानमंडल के किसी सदन की ऐसी बैठक की कार्यवाही पर आधारित रिपोर्ट नहीं छापनी चाहिए जो मीडिया के लिए खुली न हो।

41. उत्तर का अधिकार

i) यदि आक्षेपित प्रकाशन द्वारा प्रभावित या दु:खी/चिंतित महसूस करने वाले व्यक्ति की ओर से पत्र या टिप्पणी के रूप में संपादक को खंडन/उत्तर/स्पष्टीकरण अथवा प्रत्युत्तर भेजा जाए तो समाचारपत्र उसे पूरा या उचित संपादन के बाद, तत्परतापूर्वक यथोचित प्रमुखता के साथ, नि:शुल्क प्रकाशित करें। यदि संपादक को खंडन/उत्तर/स्पष्टीकरण अथवा प्रत्युत्तर की सच्चाई या तथ्यात्मक यथार्थता पर शंका हो तो वह अंत में अलग से उसकी यथातथ्यथा पर शंका के बारे में संक्षिप्त संपादकीय टिप्पणी दे सकता/सकती है किंतु तभी जब वह शंका उसके पास उपलब्ध असंदिग्ध प्रलेखीय अथवा अन्य प्रमाणिक सामग्री पर आधारित हो। इस रियायत का उपयोग यदाकदा, उचित विवेक तथा सावधानी के साथ, उपयुक्त मामलों में ही किया जाए।

ii) किंतु यदि उत्तर/खंडन या प्रत्युत्तर प्रेस परिषद के निदेशों के अनुपालन में प्रकाशित किया जा रहा हो, तो इस आशय की संक्षिप्त संपादकीय टिप्पणी देने की अनुमति है।

iii) प्रत्युत्तर के अधिकार का दावा पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से नहीं किया जा सकता क्योंकि सम्मेलन के समाचार का प्रकाशन संपादक के विवेक पर निर्भर करता है।

iv) प्रेस की स्वतंत्रता में पाठकों का जन-रुचि के किसी भी मुद्दे के सभी पहलुओं को जानने का अधिकार शामिल है। अतः संपादक को केवल इस आधार पर उत्तर या प्रत्युत्तर प्रकाशित करने से इनकार नहीं करना चाहिए कि उसकी राय में समाचार में प्रकाशित कथा सच्ची है। इस बात का निर्णय पाठकों पर छोड़ देना चाहिए। किसी पाठक की अवहेलना करना भी संपादक को शोभा नहीं देता।

v) प्रेस को यह स्मरण रखना चाहिए कि किसी भी छानबीन में यह अभियोजक नहीं है और व्यक्ति की निरपराधता के परम सिद्धांत द्वारा इसका मार्गदर्शन होना चाहिए जब तक कि कथित अपराध स्वतंत्र विश्वस्त साक्ष्य द्वारा निस्संदेह सिद्ध न हो जाये और, स्थान की कमी होने पर भी महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रत्युत्तर में स्थान दिया जाना चाहिए ताकि जनता का किसी मामले के अंतिम निर्णायक के रूप में अपनी राय बनाने में संपूर्ण और सही तथ्यों द्वारा मार्गदर्शन हो सके। लोक महत्व के किसी मुद्दे के सभी पक्षों को जानने का पाठक का अधिकार लोकतंत्र में प्रेस द्वारा उपभोग की जा रही स्वतंत्रता का स्वाभाविक निष्कर्ष है।

42. एकांतता का अधिकार

i) प्रेस किसी व्यक्ति की एकांतता में हस्तक्षेप नहीं करेगा अथवा धावा नहीं बोलेगा जब तक कि वास्तविक अतिशय जनहित के कारण न कि मात्र कामुक अथवा विकृत उत्सुकता के कारण, ऐसा करना अत्यंत आवश्यक न हो। तथापि एक बार किसी मामले के सार्वजनिक रिकॉर्ड का मामला बन जाने पर एकांतता का अधिकार समाप्त हो जाता है और वह अन्य बातों की तरह ही प्रेस तथा मीडिया के लिए चर्चा का वैध विषय बन जाता है। ऐसी रिपोर्टे, जिनमें महिलाओं को कलंकित करने की संभावना हो, में विशेष सावधानी बरतना अत्यावश्यक है।

स्पष्टीकरण - किसी व्यक्ति के घर, परिवार, धर्म, स्वास्थ्य, लैंगिकता, निजी जीवन तथा निजी मामलों से संबंधित बातें "एकांतता" की अवधारणा में शामिल हैं, जब तक कि वे जनता या जनहित का अतिक्रमण न करें।

ii) पहचान के विरुद्ध सावधानी: महिलाओं, स्त्रियों के बलात्कार, भगा ले जाने अथवा अपहरण या बच्चों पर यौन प्रहार से संबंधित अपराध की रिपोर्ट देते समय या महिलाओं की पवित्रता, निजी चरित्र तथा एकांतता के बारे में संदेह तथा शंका प्रकट करते समय पीड़ितों के नाम, फोटो तथा अन्य ऐसे विवरण प्रत्यक्ष या परोक्ष* रूप से प्रकाशित नहीं किए जाएंगे जिनसे उनकी पहचान हो सके।

iii) जो अवयस्क बच्चे तथा शिशु यौन शोषण या "जबरन शादी" अथवा अवैध यौन संभोग के फलस्वरुप पैदा हुए हो, उनकी पहचान या फोटो नहीं दी जाएगी।

---

* रिट याचिका संख्या 473/2005 में एमए 2069/2018 में माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय का आदेश दिनांक 02.08.2018

iv) व्यक्तिगत शोक के क्षणों में फोटोग्राफी के माध्यम से अनधिकार प्रवेश से बचना चाहिए। हालांकि दुर्घटनाओं अथवा प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों के फोटोग्राफ व्यापक लोकहित में होगे।

v) समाचारपत्र से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे वर्गीकृत विज्ञापनों को अनदेखा करें जो प्रथम दृष्टया अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के दमन का उल्लंघन हैं।

vi) समाचारपत्र को घटना में शामिल व्यक्तियों के असली नामों को प्रकाशित नहीं करने के प्रति पूरी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि उनका निजी जीवन प्रभावित ना हो।

vii) समाचारपत्र में व्यक्तियों के पते प्रकाशित करना, जिसका प्रकाशित समाचार से कोई सीधा संबंध नहीं है, उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा।

viii) ड्यूटी समय के उपरांत बैरकों में विश्राम कर रहे सिपाहियों के फोटोग्राफ यह दर्शाने के लिए प्रकाशित करना कि वे अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, न केवल उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन है बल्कि अनीतिकर भी है।

43. (क) मीडिया द्वारा परीक्षण

परिचय

मीडिया और न्यायपालिका लोकतंत्र के दो महत्वपूर्ण स्तंभ और प्राकृतिक साथी हैं, सफल लोकतंत्र के लक्ष्य की ओर एक दूसरे का पूरक है। कानून की विधिवत् प्रक्रिया के लिए जरूरी उपायों को वक्तृता की स्वतंत्रता पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। निष्पक्ष परीक्षण और वक्तृता की स्वतंत्रता के बीच संघर्ष की स्थिति में निष्पक्ष परीक्षण को अधिक महत्व देना जरूरी है क्योंकि किसी अभियुक्त के लिए निष्पक्ष परीक्षण

पर समझौता बहुत हानि पहुँचाएगा और न्याय करने का तंत्र विफल हो जाएगा। अतः, मीडिया कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाए और अदालतों के काम-काज तथा कानून की प्रक्रियाओं के बारे में आधारभूत जानकारी दी जाए।

i) अभियुक्त को तब तक निर्दोष माने जाने का अधिकार है जब तक अदालत द्वारा अपराध का निर्णय न सुना दिया जाए।

ii) मीडिया की रिपोर्टों में सामान्य जनता को अभियुक्त व्यक्ति की सह-अपराधिता में विश्वास करने के लिए प्रेरित न किया जाए क्योंकि इससे पुलिस द्वारा निष्पक्ष अन्वेषण पर अनुचित दबाव पड़ता है।

iii) किये गये अपराध पर सरकारी एजेंसियों द्वारा छानबीन की दिशा के बारे में गप-शप पर आधारित सूचना प्रकाशित करना घटना का ऐसा प्रचार करता है जिससे अपराध करने वाले व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर जाने में सहायता मिल सकती है।

iv) यह सदा उचित नहीं होता कि अपराध से संबंधित मुद्दों पर दिन-प्रति-दिन के आधार पर जोरदार रिपोर्टिंग की जाए या तथ्यों का पता लगाए बिना अपराध के कल्पित साक्ष्य पर टिप्पणी की जाए।

v) किसी अपराधिक मामले में अन्वेषण के स्तर पर मीडिया की रिपोर्टिंग द्रुत और निष्पक्ष अन्वेषण सुनिश्चित कर सकती है, परंतु गोपनीय जानकारी प्रकट करने से अन्वेषण में बाधा आ सकती है या पूर्वाग्रह बन सकता है। अतः अन्वेषण के पूरे ब्योरे तक निर्बाध पहुँच नहीं हो सकती।

vi) पीड़ितों, गवाहों, संदिग्ध व्यक्तियों और अभियुक्तों का अत्यधिक प्रचार नहीं करना चाहिए क्योंकि यह उनके निजता अधिकारों पर हमलों के समान हैं।

vii) समाचारपत्रों/मीडिया द्वारा गवाहों की पहचान किये जाने से उन्हें अभियुक्तों अथवा उनके साथियों के साथ-साथ जांच एजेंसियों से खतरा हो जाता है। अतः मीडिया को गवाहों की पहचान नहीं बतानी चाहिए क्योंकि वे दबाव के कारण प्रतिकूल हो सकते हैं।

viii) संदिग्ध व्यक्ति की तस्वीर नहीं दर्शायी जानी चाहिए क्योंकि इसके कारण अभियुक्त की पहचान के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत की गयी 'पहचान परेडों' के दौरान समस्या खड़ी हो सकती है।

ix) मीडिया से यह आशा नहीं की जाती कि अपना समांतर परीक्षण करे या निर्णय की भविष्यवाणी करके न्यायाधीश, ज्यूरी अथवा साक्ष्यों पर अनुचित प्रभाव डाले या कार्यवाही के किसी पक्षकार में पूर्वाग्रह पैदा करें।

x) परीक्षण/सुनवाई के बाद की रिपोर्टिंग में प्राय: दिए गए निर्णय की रिपोर्टिंग होती है। परंतु जब कार्यवाही की समाप्ति और निर्णय के बीच अंतराल हो तो समाप्त हुई कार्यवाही पर, आने वाले निर्णय को प्रभावित करने के लिए उद्दिष्ट साक्ष्य और/या तर्कों पर चर्चा सहित, टिप्पणी से बचा जाए।

xi) आरंभिक परीक्षण पर रिपोर्ट देने के बाद मीडिया का कर्तव्य है कि न्यायालय के अंतिम निर्णय के प्रकाशन के साथ मामले का अनुवर्तन करे।

(ख) स्टिंग ऑपरेशनों पर दिशानिर्देश

i) किसी स्टिंग ऑपरेशन पर रिपोर्ट करने का इच्छुक समाचारपत्र उसे रिकॉर्ड या प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति से इस आशय का प्रमाणपत्र लेगा कि ऑपरेशन वास्तविक और सदाशयी है।

ii) स्टिंग ऑपरेशन के विभिन्न चरणों का एक लिखित समवर्ती रिकॉर्ड अवश्य हो।

iii) स्टिंग ऑपरेशन को रिपोर्ट करने का निर्णय संपादक द्वारा अपनी तसल्ली करने के बाद लिया जाएगा कि मामला जनहित का है और रिपोर्ट सभी कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन करती है।

iv) प्रिंट मीडिया में प्रकाशित स्टिंग ऑपरेशन भावी पाठक के बोध को ध्यान में रखकर बनाया जाए। पाठक को आघात या ठेस से बचाने के लिए पूरी सावधानी और संवेदनशीलता बरती जाए।

44. समाचारों को अनाधिकृत रूप से उठाना:

i) अन्य समाचारपत्रों से समाचार उठाने और फिर उन्हें अपना मान कर प्रकाशित कर देने की रीति पत्रकारिता के उच्च मानकों के साथ मेल नहीं खाती। इसकी अनैतिकता को दूर करने के लिए उठाने वाले समाचारपत्र को रिपोर्ट के स्रोत का विधिवत् आभार प्रकट करना चाहिए।

ii) रूपलेखों की स्थिति "समाचारों" से भिन्न है: रूपलेख अनुमति/ उचित आभार प्रदर्शन के बिना नहीं उठाए जाएंगे।

45. हिंसा को महिमान्वित न किया जाए

i) आतंकवादी हमलों, सांप्रदायिक झगड़ों तथा दुर्घटनाओं के चित्र छापना आतंकवादी हमलों या सांप्रदायिक दंगों के बारे में समाचार देते समय मीडिया को चाहिए कि क्षत-विक्षत लाशों के चित्र या अन्य ऐसे चित्र प्रकाशित/प्रसारित न करे जिनसे आतंक अथवा घृणा फैले या लोगों में सांप्रदायिक भावना भड़के।

ii) समाचारपत्र/पत्रकार हिंसा, सशस्त्र डकैतियों, आतंकवादी गतिविधियों को इस प्रकार प्रस्तुत नहीं करेंगे जिससे अपराधकर्मियों के कृत्य, घोषणाएँ तथा मृत्यु जनता की नज़रों में महिमान्वित हो। समाचारपत्र असामाजिक तत्वों के साथ ऐसी भेंटवार्ताओं को प्रकाशित न करें जिनमें अपराधियों और उनकी गतिविधियों को महिमान्वित किया गया हो।

****

भाग ख : विशिष्ट मुद्दों पर दिशानिर्देश

क. सांप्रदायिक दंगे होने पर प्रेस द्वारा अनुपालन हेतु दिशानिर्देश 1969

प्रेस को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है। भारत के राजनीतिक जीवन को रूप देने वाले विभिन्न सांप्रदायिक तथा धार्मिक समूहों के बीच मैत्रीपूर्ण तथा सद्‌भावपूर्ण संबंधों की आवश्यकता के बारे में जनता को शिक्षित करने तथा जनता की राय बनाने में और राष्ट्रीय अखंडता प्राप्त करने के लिए देश के सर्वोत्तम पुरुषों के विवेक को प्रतिबिंबित करने में उसे महान तथा महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इस बात को महसूस करते हुए भारतीय प्रेस परिषद ने यह सोचा कि यदि सांप्रदायिक संबंधों को प्रभावित करने वाले मामलों की रिपोर्ट करने में प्रेस उचित मानकों तथा आदर्शों का कड़ाई से पालन नहीं करेगी तो यह उद्‌देश्य प्राप्त नहीं हो सकेगा, सांप्रदायिक शांति तथा सद्‌भाव की स्थापना नहीं हो पाएगी और राष्ट्रीय एकता भंग हो जाएगी। सब बातों को शामिल करने का प्रयास किए बिना परिषद की राय में निम्नलिखित बातें पत्रकारिता की मर्यादा तथा आचार नीति के प्रति अपराध हैं-

1) सांप्रदायिक मामलों से संबंधित तथ्यों अथवा घटनाओं को विकृत करना या बढ़ा चढ़ाकर बताना या अपुष्ट अफवाहों संदेहों अथवा निष्कर्षों को तथ्यों के रूप में प्रचारित करना और उन्हीं पर अपनी टीका को आधारित करना।

2) समाचारों तथा विचारों की प्रस्तुति में उग्र या असंयमित भाषा का प्रयोग चाहे वह साहित्यिक सौष्ठव के रूप में या अलंकार अथवा जोर देने के उद्‌देश्य से ही क्यों न हो।

3) अपनी शिकायतों को दूर कराने के एक साधन के रूप में, चाहे वे सच्ची हों या न हों, हिंसा को प्रोत्साहित या क्षमा करना, भड़काए जाने पर भी।

4) किसी भी समुदाय की सच्ची तथा वैध शिकायतों की ओर ध्यान दिलाना तो प्रेस का विधि सम्मत कार्य है ताकि शांतिपूर्ण, कानूनी तथा वैध तरीकों से उनका निवारण हो सके किंतु शिकायतें गढ़ना या वास्तविक शिकायतें बढ़ा चढ़ाकर लिखना अनुचित तथा पत्रकारिता की आचार नीति का उल्लंघन है क्योंकि इससे सांप्रदायिक दुर्भावना पैदा होती है और वैमनस्य को बढ़ावा मिलता है।

5) समुदायों अथवा व्यक्तियों पर फूहड़ तथा झूठे प्रहार, विशेषत: जब उनके साथ यह आरोप हो कि उनका कदाचार उस समुदाय विशेष या जाति विशेष का सदस्य होने के कारण है।

6) ऐसी घटनाओं को झूठमूठ सांप्रदायिक रंगत देना जिनके घटित होने में विभिन्न समुदायों के लोग शामिल हों।

7) ऐसी बातों पर जोर देना जिनसे सांप्रदायिक घृणा या दुर्भावना पैदा हो सकती हो अथवा समुदायों के बीच अविश्वास की भावना पनप सकती हो।

8) भयावह समाचार छापना जो तत्वतः झूठे हों या उन समाचारों पर उत्तेजक टीका लिखना वैसे भी विभिन्न समुदायों अथवा प्रादेशिक या भाषायी समूहों के बीच कटु संबंध पैदा करने के उद्देश्य से लिखना।

9) सनसनी फैलाने के उद्देश्य से वास्तविक घटनाओं का अतिशयोक्तिपूर्ण ऐसे समाचारों का मोटे शीर्षकों के साथ अथवा विशिष्ट टाइप में प्रकाशन जिनसे सांप्रदायिक सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

10) विभिन्न धर्मों, मतों अथवा उनके प्रवर्तकों के बारे में अपमानजनक, अशिष्ट अथवा अनादरपूर्ण टिप्पणी लिखना अथवा उल्लेख करना।

सांप्रदायिक दंगों के संबंध में राज्य सरकारों तथा मीडिया द्वारा अनुपालन के लिए प्रेस परिषद द्वारा जारी दिशानिर्देश 1991

i) राज्य सरकार को ऐसे सांप्रदायिक लेखों पर कड़ी नजर रखने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए जिन से तनाव, विनाश तथा मृत्यु को बढ़ावा मिल सकता है और उनकी सूचना परिषद को देनी चाहिए।

ii) सरकार को गलती करने वाले समाचारपत्रों या संपादकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का अवसर मिल सकता है। किंतु ऐसा कानून की सीमाओं के भीतर ही किया जाए। यदि पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाए या तलाशी तथा जब्ती की कार्यवाही आवश्यक हो जाए तो यह स्वस्थ परंपरा होगी कि इन घटनाओं की सूचना प्रेस परिषद को 24 से 48 घंटे के भीतर दे दी जाए और फिर एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट भेज दी जाए;

iii) प्राधिकारी किसी भी स्थिति में बदले की भावना से काम न करें जैसे कि विज्ञापनों में कटौती, मान्यता को रद्द करना, न्यूज प्रिंट कोटा तथा अन्य सुविधाओं में कटौती;

iv) प्रेस को भड़काने वाले सनसनीखेज शीर्षकों से बचना चाहिए;

v) शीर्षक अपने नीचे मुद्रित सामग्री को प्रतिबिंब करने वाले और युक्ति संगत हों;

vi) यदि हताहतों की संख्या की यथार्थता के बारे में शंका हो और यदि विभिन्न स्रोतों द्वारा बताई गई संख्या में बहुत अंतर हो तो शीर्षकों में कम वाले आंकड़े देने चाहिए;

vii) यदि शीर्षकों में किसी व्यक्ति द्वारा लगाया गया आरोप शामिल हो तो आरोप लगाने वाले व्यक्ति/निकाय का नाम लिखा जाए या, कम से कम उद्धरण- चिन्ह लगाए जाएं;

viii) समाचार रिपोर्टों में टीका तथा मूल्यांकन नहीं होना चाहिए;

ix) समाचारों की प्रस्तुति एक पक्षीय भावनाओं से अभिप्रेरित या निर्देशित न हो और न ही ऐसी प्रतीत हो;

x) समाचारों को लिखने में प्रयुक्त भाषा संयमित तथा ऐसी हो जो समुदायों तथा समूहों के बीच सद्भावना तथा सोहार्द पैदा करें;

xi) सुधारों को तत्परतापूर्वक यथेष्ट प्रमुखता के साथ छापा जाए और गंभीर मामलों में खेद भी व्यक्त किया जाए; और

xii) यदि इन सब सिद्धांतों से अवगत कराने के लिए पत्रकारों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाए तो बहुत मदद मिलेगी।

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के परिणामस्वरूप 21-22 जनवरी, 1993 को प्रेस परिषद द्वारा जारी दिशानिर्देश

पत्रकारिता की निम्नलिखित अनुचित तथा अनैतिक बातें करने से बचने के लिए दिशानिर्देश:

i) सांप्रदायिक मामलों से संबंधित तथ्यों अथवा घटनाओं को विकृत करना या बढ़ा चढ़ाकर बताना या अपुष्ट अफवाहों, संदेहों अथवा निष्कर्षों को तथ्यों के रूप में प्रचारित करना और उन्हीं पर अपनी टीका को आधारित करना।

ii) समाचारों तथा विचारों की प्रस्तुति में उग्र या असंयमित भाषा का प्रयोग, चाहे वह साहित्यिक सौष्ठव के रूप में या अलंकार अथवा जोर देने के उद्देश्य से ही क्यों न हो।

iii) अपनी शिकायतों को दूर कराने के एक साधन के रूप में, चाहे वे सच्ची हो या न हो, भड़काए जाने पर भी हिंसा को प्रोत्साहित या क्षमा करना।

iv) किसी भी समुदाय की सच्ची तथा वैध शिकायतों की ओर ध्यान दिलाना तो प्रेस का विधि-सम्मत कार्य है ताकि शांतिपूर्ण, कानूनी तथा वैध तरीकों से उनका निवारण हो सके किंतु शिकायतें गढ़ना या वास्तविक शिकायतें बढ़ा चढ़ाकर लिखना अनुचित तथा पत्रकारिता की आचार नीति का उल्लंघन है क्योंकि इससे सांप्रदायिक दुर्भावना पैदा होती है और वैमनस्य को बढ़ावा मिलता है।

v) समुदायों तथा व्यक्तियों पर फूहड़ तथा झूठे प्रहार, विशेषतः जब उनके साथ यह आरोप हो कि उनका कदाचार उस समुदाय विशेष या जाति-विशेष का सदस्य होने के कारण है।

vi) ऐसी घटनाओं को झूठमूठ सांप्रदायिक रंगत देना जिनके घटित होने में विभिन्न समुदायों के लोग शामिल हो।

vii) ऐसी बातों पर जोर देना जिनसे सांप्रदायिक घृणा या दुर्भावना पैदा हो सकती हो अथवा समुदायों के बीच अविश्वास की भावना पनप सकती हो।

viii) भयोत्पादक समाचार छापना जो तत्वतः झूठे हो या उन समाचारों पर उत्तेजक टीका लिखना या वैसे भी विभिन्न समुदायों अथवा प्रादेशिक या भाषायी समूहों के बीच कटु संबंध पैदा करने के उद्देश्य से लिखना।

ix) सनसनी फैलाने के उद्देश्य से वास्तविक घटनाओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन तथा ऐसे समाचारों का मोटे शीर्षकों के साथ अथवा विशिष्ट टाइप में प्रकाशन जिनसे सांप्रदायिक सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

x) विभिन्न धर्मों, मतों अथवा उनके प्रवर्तकों के बारे में अपमानजनक, अशिष्ट अथवा अनादरपूर्ण टिप्पणी लिखना अथवा उल्लेख करना।

ख) उग्रवादियों/आतंकवादियों के विज्ञप्ति पत्रकों का प्रकाशन - दिशानिर्देशी सिद्धांत 1991 - 1992

असम के एक समाचारपत्र द्वारा उलफा के कुछ विज्ञप्ति पत्रकों/धमकी भरी पर्चियों के प्रकाशन के विरुद्ध शिकायत के फलस्वरुप प्रेस परिषद ने प्रेस के दिशानिर्देश के लिए कुछ सामान्य सिद्धांत बनाए हैं। पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर पर भारतीय प्रेस परिषद की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुरूप हैं, जिन्हें प्रेस परिषद ने जनवरी 1991 में स्वीकार किया था।

यह दिशानिर्देशक सिद्धांत, जिन पर परिषद ने सितंबर 1992 में विचार किया था, निम्नलिखित हैं:

हिंसा में लिप्त तत्वों से आने वाले आदेशों या "प्रेस ज्ञापनो" को दबाव अथवा घोर परिणामों की धमकियों के अंतर्गत समाचारपत्रों में प्रकाशित करने के लिए कहना "प्रेस की स्वतंत्रता पर गंभीरतम प्रहार है, जो लोकतांत्रिक तथा बहुसामुदायिक समाज का एक सबसे अधिक विश्वसनीय आधार है।" सामान्यतः वे आदेश या ज्ञापन अपने में ही समाचार योग्य नहीं होते हैं। उनके प्रकाशन से जनता का मनोबल गिरता है और जनता, पुलिस तथा सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उनके प्रकाशन से केवल संबंधित समाचारपत्र की स्वतंत्रता तथा आजादी ही दुष्प्रभावित नहीं होती, बल्कि यह पत्रकारिता की आचारनीति के मानकों तथा व्यावसायिक उत्तरदायित्व के प्रति भी अपराध है।

इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि किसी भी स्रोत से आने वाले "प्रेस ज्ञापन" में कुछ समाचार योग्य हो तो उसे बिल्कुल ब्लैक-आउट कर दिया जाए क्योंकि "स्वतः आरोपित सैंसर व्यवस्था भी" छली होने के लिए कम खतरनाक नहीं होती। जरूरी बात यह है कि ऐसे प्रेस ज्ञापनों के प्रकाशन पर विचार करते समय संपादक उचित सावधानी तथा सतर्कता बरतें। यदि सारा ज्ञापन हानिकर न हो तो उसका संपादन किया जाए, आपत्तिजनक अंश निकाल दिए जाएं, भाषा सौम्य बना दी जाए ताकि जो कुछ समाचार योग्य हो, संतुलित रूप में प्रकाशित हो जाए। किंतु यदि "समाचार" तथा आपत्तिजनक अंश बिल्कुल घुले मिले हुए हो और "प्रेस ज्ञापन" का सारा ताना-बाना ही दूषित हो तो उसके प्रकाशन को बिल्कुल रोक लेने में ही समझदारी होगी।

पंजाब में आतंकवाद के मीडिया के अनुभव से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि यह कोई आसान काम नहीं है। आतंकवादी हमलों में 50 से अधिक मीडिया कर्मचारी अपनी जान गवां चुके हैं और किसी सैन्यवादी के प्रेस ज्ञापन की उपेक्षा से बेकसूर तथा नि:सहाय मीडिया व्यक्तियों की मृत्यु हो सकती है और कई बार हो चुकी है। संपादकीय रक्षा तथा साहस के किसी भी प्रदर्शन को

समाचारपत्र के नि:सहाय कर्मचारी यह समझ सकते हैं कि उन्हें अनावश्यक खतरे में डाला जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में संपादकों तथा मालिकों के लिए अपनी बात रखने की कोई गुंजाइश नहीं होती।

इस बारे में पंजाब में एक व्यावहारिक उपाय सफल रहा है कि सरकार समाचारपत्रों के साथ निकट संपर्क में रहे और हिंसा में ग्रस्त समूहों से आने वाले आपत्तिजनक तथा राष्ट्र -विरोधी प्रेस ज्ञापनों को छपने से पहले समाचारपत्रों से निकाल दिया जाए। यद्यपि इसे एक प्रकार की पूर्व -सेंसरशिप माना जाएगा, फिर भी इस व्यवस्था ने अनेक जानें बचाई है और समाचारपत्रों की कठिन नाजुक स्थितियों से रक्षा की है।

किन्तु इसमें एक खतरा यह है कि निरंकुश प्रशासन इस व्यवस्था का प्रयोग प्रेस का मुंह बंद करने के लिए कर सकता है और कानून के अंतर्गत अपने अधिकार का दुरुपयोग "आपत्तिजनक सामग्री" को अपनी इच्छानुसार परिभाषित करने के लिए कर सकता है। अतः कड़ी प्रक्रियाएं निर्धारित करने की आवश्यकता है। इस बारे में किसी भी कानून के अंतर्गत तथा कथित "आपत्तिजनक सामग्री" के प्रकाशन के संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के लिए किसी प्रकार की अपीलीय समीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि मनमानी कार्यवाही की प्रवृत्ति को रोका जा सके। मुख्य कानून तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की भी परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार आवधिक समीक्षा की जाए। इन सुरक्षोपायों को ऐसे सभी प्रेस कानूनों में शामिल कर लिया जाए।

ग) एचआईवी/एड्स और मीडिया

प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13(2) (ख) के अधिदेश के अंतर्गत भारतीय प्रेस परिषद ने मीडिया के काम-काज को सुगम बनाने के लिए दिशानिर्देशों का एक सेट तैयार किया है। इनमें से एचआईवी/एड्स से संबंधित मामलों की कवरेज के लिए दिशानिर्देश 1993 में बनाए गए थे।

'पॉजिटिव लोगों का राष्ट्रीय नेटवर्क' द्वारा माननीय किशोर न्यायालय, तिरुअनंतपुरम में एक रिट याचिका संख्या सीएमपी 52/2008 दाखिल की गई थी। उसमें मीडिया द्वारा दो बच्चों बेन्सी तथा बेन्सन का विज़ुअल स्क्रीन करने और बाद में एक बच्चे बेन्सी की एचआईवी/एड्स से मृत्यु हो जाने की झूठी रिपोर्ट से संबंधित घटना पर आपत्ति की गई थी। माननीय न्यायालय ने कहा कि भारतीय प्रेस परिषद एचआईवी/एड्स की रिपोर्टिंग के लिए मीडिया को उपयुक्त निदेश जारी करें। तदनुसार, परिषद ने एचआईवी/एड्स की रिपोर्टिंग पर दिशानिर्देशों का अद्यतन करने के लिए अन-एड्स के प्रतिनिधियों और इस क्षेत्र में सक्रिय व्यक्तियों से संपर्क किया क्योंकि 1993 से मामले में बहुत परिवर्तन आ गया है। बनाए गए दिशानिर्देशों पर चर्चा तथा वाद विवाद के लिए कोर समूह ने 18 सितंबर 2008 और 10 अक्टूबर 2008 को दो कार्यशालाएं आयोजित की और सुझाव दिया कि विभिन्न स्तरों पर पत्रकारों के लाभ के लिए यथासंभव अधिकतम भाषाओं में इनका अनुवाद किया जाए। यह दिशानिर्देश प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए समान रूप से प्रासंगिक हैं।

वस्तुनिष्ठ, तथ्यात्मक और संवेदी बने

पत्रकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी कथा वस्तुनिष्ठ, तथ्यात्मक और संवेदी हो, विशेषतः एचआईवी तथा एड्स पर रिपोर्टिंग करते समय वे सच्चाई का पता लगाएं और उसे संतुलित ढंग से रिपोर्ट करें। पत्रकार सभी निर्णय कर्ताओं को उत्तरदायी ठहराएं, सरकार से लेकर भेषज उद्योग तथा समर्थक समूहों तक वे किसी भी हित समूह से बात करें किंतु उसके दास न बन जाएं।

इसका अर्थ है कि जहां उपयुक्त हो, पॉजिटिव कथाओं को उजागर किया जाए, किंतु इस तथ्य को ध्यान में रखा जाए कि एचआईवी और एड्स एक गंभीर मुद्दा है। किसी मूल जानकारी को इसलिए छोड़ देना कि वह कथा में ठीक नहीं बैठ रही, अनुचित है। कथा में चित्र के दोनों पहलू देना जरूरी है। पूरी कथा देने का अर्थ यह भी है कि उसे मानव रूप दिया जा रहा है। एचआईवी और एड्स वाले

लोगों की आवाज अधिक दृढ़ता से सुनी जाए और उनमें नाजुक तथा सीमांत लोगों को अवश्य शामिल किया जाए।

ध्यान तथ्यों पर केंद्रित किया जाए। कथा को कामुक और इस प्रकार अधिक विक्रेय बनाने के लिए तथ्यों को किसी भी प्रकार विकृत करना स्वीकार्य नहीं है। प्रासंगिक जानकारी को सेंसर करना भी अनैतिक है।

यथार्थता महत्वपूर्ण है क्योंकि अनेक निजी और नीति निर्णयों पर मीडिया रिपोर्टों का प्रभाव पड़ सकता है। एचआईवी तथा एड्स के संदर्भ में इसका अर्थ है कि वैज्ञानिक तथा चिकित्सा ब्यौरे और आंकड़ों के बारे में पत्रकारों को बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। एन्टीरिट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) उपलब्ध हो जाने से, एचआईवी से संक्रमित लोग बीमारी के कोई लक्षण दिखने से पहले कई वर्ष तक जी सकते है। एआरटी औषधियों का ऐसा संयोजन है जो प्रतिकृति को बाधित करके शरीर में एचआईवी की मात्रा (वाइरल लोड) को कम करता है। एआरटी वाइरस को पूरी तरह नष्ट नहीं करती और न ही रोग को ठीक करती है। शरीर में वाइरस कम होने से, प्रतिरक्षा तंत्र अधिक मजबूत हो जाता है और संक्रमण के साथ अधिक प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकता है, जिससे रोगी की अस्वस्थता कम हो जाती है। एचआईवी तथा एड्स के साथ जी रहे व्यस्को तथा बच्चों दोनों को एआरटी से लाभ होता है।

एचआईवी और एड्स की रिपोर्टिंग जटिल होती है और महामारी के डाटा को छाँटना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चाहे डाटा का प्रयोग कथा के समर्थन में किया जा रहा हो या स्वयं डाटा पर रिपोर्टिंग के लिए, चुना गया विशिष्ट डाटा और उसमे प्रयोग की गई विधि यह तय करने में मुख्य भूमिका निभाएगी कि किस प्रकार की कथा कही गई है। इसके अतिरिक्त, डाटा प्रायः इतना जटिल होता है कि उसे गलत समझने का धोखा हो सकता है। उदाहरणत:, कुछ रिपोर्टर "विस्तार" और "व्यापकता" का प्रयोग समानार्थी के रूप में कर लेते हैं, जबकि वे महामारी को मापने की दो भिन्न विधियाँ हैं। विशेषज्ञों/महामारी विज्ञानियों से परामर्श करना चाहिए।

सही भाषा और शब्दावली सुनिश्चित करें

एचआईवी और एड्स पर रिपोर्टिंग करते समय भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। पत्रकारों को सही वैज्ञानिक और सांख्यिकीय जानकारी प्राप्त करने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इसके साथ ही उन्हें सही शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरणत:, एचआईवी और एड्स के बीच अंतर जानना और उसे स्पष्ट करना अनिवार्य है। लक्षण या लक्षणों का संग्रह होते हुए एड्स अपने से संचरण नहीं कर सकता, एड्स कोई वाइरस नहीं है और ना ही एड्स कोई वाहक है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को एड्स या तो हो सकती है या नहीं हो सकती। एड्स का कोई माप नहीं है, अतः 'पूर्ण - विकसित एड्स' अभिव्यक्ति निरर्थक है।

अब प्रभावी उपचार उपलब्ध हो जाने से, एचआईवी संक्रमण से एड्स होना जरूरी नहीं रहा। रिपोर्ट में इसे निरूपित कर देना महत्वपूर्ण है। क्योंकि एचआईवी और एड्स पर्यायवाची नहीं है, अतः पद 'एचआईवी/एड्स' को अब सही नहीं माना जाता।

क्योंकि एड्स कोई अकेला रोग नहीं है, बल्कि अनेक रोगों तथा अबुर्दों से बना एक सिंड्रोम है, अतः कोई व्यक्ति 'एड्स से नहीं मरता'। यह लिखना अधिक उचित होगा कि उसकी मृत्यु एचआईवी-संबंधित बीमारी से हुई।

प्रयुक्त शब्दावली उपयुक्त हो और कलंकित करने वाली न हो। मीडिया को शब्दावली और भाषा में परिवर्तनों की जांच करते रहना चाहिए। संक्रमण को व्यक्त करने के लिए 'अनर्थ' जैसे शब्दों को निकाल दिया गया है। एड्स वाहक, वेश्या, व्यसनी, एड्स का रोगी/शिकार/पीड़ित जैसे अन्य शब्दों का प्रयोग भी न किया जाए क्योंकि वह कलंक लगाते हैं।

चमत्कारी इलाज और एचआईवी के निवारण से संबंधित काल्पनिक मान्यताओं का असली रूप दिखाइए

प्रेस को एचआईवी के निवारण तथा संचरण से संबंधित काल्पनिक मान्यताओं या संक्रमण से बचाव का दावा करने वाले विज्ञापनों को प्रोत्साहित

नहीं करना चाहिए। इसे उन पारंपरिक उपचारों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए जिनकी कोई वैज्ञानिक प्रमाणिकता नहीं है। इलाज के दावों की रिपोर्ट देकर झूठी आशाएं जगाई जाती है। अनुसंधानकर्ता शताब्दियों से कठोर परिश्रम कर रहे हैं, परंतु अभी तक एचआईवी या एड्स का कोई ज्ञात इलाज नहीं है, यद्यपि संक्रमण का उपचार जीवन की गुणता पर सकारात्मक प्रभाव के साथ किया जा सकता है। मीडिया को एचआईवी तथा एड्स हेल्पलाइनों/परामर्श सेवाओं के टेलीफोन नंबर देने चाहिए।

एचआईवी, एसटीआई, चर्म रोगों, तपेदिक तथा अन्य सान्योगिक संक्रमणों से संबंधित विज्ञापन भ्रामक हो सकते हैं, अतः उनकी ध्यानपूर्वक जांच की जाए।

फोटोग्राफ, चित्र तथा कार्टून सकारात्मक बनाएं

विज़ुअल का दर्शकों पर तत्कालिक प्रभाव पड़ता है और वे कथाओं को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। परंतु एचआईवी तथा एड्स कथाओं में फोटोग्राफ का प्रयोग अनेक नैतिक प्रश्न खड़े करता है। यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाए कि फोटोग्राफ संक्रमित लोगों तथा उनके परिवारों की गोपनीयता को भंग न करें।

ऐसे फोटो से बचिए जो एचआईवी तथा एड्स से संबंधित घिसी-पिटी बातों को आगे बढ़ाते हैं और जो संक्रमित लोगों को दोषी बताते हैं। यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाए कि फोटोग्राफ के शीर्षक तथ्यतः सही हों और कलंक को न बढ़ाएं।

चित्रों तथा कार्टूनों में भी किसी नकारात्मक प्रभाव से बचा जाए।

विज़ुअल मीडिया के लिए

विज़ुअल मीडिया को एचआईवी तथा एड्स वाले लोगों और उनके परिवारों तथा साथियों की पहचान के साथ भी संवेदनशीलता और नैतिकता के साथ व्यवहार करना चाहिए। भेंटवार्ता, अनौपचारिक वार्तालाप के दौरान, फोटो

खींचते समय और उनकी कथाएं लिखते समय सावधानी बरती जाए ताकि उनकी पहचान गोपनीय रहे।

कुछ संकेत:

- कैमरे को सीधा उस व्यक्ति/केस स्टडी के मुख पर केंद्रित न करें। बल्कि हाथों, पैरों या सिर के पिछले भाग की फोटो खींचे।
- कैमरे को व्यक्ति के पीछे रख कर छाया चित्र खींचें।
- क्योंकि ध्वनि भी पहचान का एक कारक हो सकती है, अतः प्रश्न को कोमलता से पूछें ताकि उत्तर भी कोमल हो। अधिकांश मामलों में उप-शीर्षकों के अध्यारोपण का प्रयोग किया जाए ताकि ऑडियो को बहुत अधिक ऊपर न करना पड़े।
- परिवार की तस्वीरें न दिखाएं। उनसे भी व्यक्ति की पहचान हो सकती है।
- शूटिंग के स्थान को अस्पष्ट रखने की कोशिश करें। उदाहरणार्थ, गांव का नाम न लें।
- जहां कहीं संभव हो, संबंधित व्यक्ति की यात्रा किसी तीसरे व्यक्ति की आवाज के माध्यम से स्थापित करें।
- साक्षात्कार में आमने-सामने बातचीत होनी चाहिए जिसमें उस व्यक्ति को बोलने का मौका दें। सुनिश्चित करें कि प्रश्न गहरे निजी या अभियोगात्मक न हों। इसमें व्यक्ति को सफाई न देनी पड़े;
- प्रच्छन्न कैमरों का प्रयोग कभी न किया जाए।
- एचआईवी के साथ जी रहे लोगों को सकारात्मक रूप में दर्शाने की कोशिश करें, उन्हें 'पीड़ितों' के रूप में नहीं बल्कि व्यक्तियों के रूप में चित्रित करें।
- जहां कहीं संभव हो, लिखित सहमति लें।

अनुमति के बाद भी संक्रमित व्यक्ति की पहचान को प्रकट न करना उचित रहता है। विशेष रूप से टी. वी. पर दिखाए जाने की प्रतिक्रिया और दबाव भयंकर हो सकते हैं, खास तौर पर परिवार के लिए कलंक बढ़ जाता है। कई बार, विज़ुअल मीडिया की शक्ति को समझे बिना खुले में शूटिंग की अनुमति दे दी जाती है।

कोई व्यक्ति, अपने समुदाय से दूर, दिल्ली में टीवी पर प्रकट होते हुए स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकता है, किंतु हो सकता है किसी दूरस्थ गांव/शहर में उसका परिवार कथा को देख रहा हो।

उप-संपादकों और समाचार कक्ष के स्टाफ सहित, समाचार डेस्क के लिए

समाचार डेस्क और समाचार कक्ष के स्टाफ द्वारा यह सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए कि आकर्षक शीर्ष पंक्तियों में विषय को सही निरूपित किया गया है और कथा संतुलित है और हानिकारक घिसी-पिटी बातों से मुक्त है।

गोपनीयता बनाए रखें और सुविदित सहमति लें

पत्रकार एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति की पहचान तभी प्रकट करें जब उनके पास ऐसा करने की अनुमति हो। जब कभी संभव हो, वे लिखित सहमति लें।

यदि लिखित सहमति संभव न हो, तो सुविदित सहमति अवश्य ले ली जाए। इसका अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि एचआईवी तथा एड्स के साथ जी रहे लोग (पी.एल.एच.आई.वी) अपनी पहचान के प्रभावों से अवगत हैं।

कथा का नैतिक और व्यावसायिक उत्तरदायित्व पत्रकार का होगा। अतः, पत्रकार को सावधानी बरतनी चाहिए और पी.एल.एच.आई.वी को चित्रित करने में अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। नुकसानदायक प्रभाव को कम से कम रखने के लिए यह उत्तम होगा कि लिखित सहमति ले लेने के बाद भी, पहचान से बचा जाए।

भेद-भाव से बचें

एचआईवी तथा एड्स की रिपोर्टिंग करते समय पत्रकारों को जाति, लिंग या यौन स्थिति के संदर्भों से बचना चाहिए। ऐसे संदर्भ यौन अल्पसंख्यकों, कुछ समुदायों या पहले से लक्षित समूहों के प्रति वर्तमान पूर्वाग्रहों को सुदृढ़ करते हैं, चाहे वे आदमियों के साथ यौन संबंध रखने वाले आदमी (एम.एस.एम.) हों, इंजेक्शन से नशीली दवाएँ लेने वाले (आई.डी.यू.) हो, यौन व्यवसायी हों या प्रवासी हों।

यौन अल्पसंख्यकों में वे लोग शामिल है जो समलिंगी, उभयलिंगी तथा ट्रांसजेंडर हैं (एल.जी.बी.टी.) और इसमें आदमी, औरतें तथा वे सभी शामिल हैं जिनकी पहचान न आदमियों के रूप में और न ही औरतों के रूप में (अर्थात् ट्रांसजेंडर)। ट्रांसजेंडर में हिजड़े आते हैं। हिजड़े जैविक दृष्टि से पुरुष के रूप में जन्म लेते हैं किंतु अपनी पहचान महिलाओं के रूप में करते हैं।

यह समझना महत्वपूर्ण है कि एम.एस.एम. कभी अपनी पहचान समलिंगी के रूप में नहीं करते। अतः एम.एस.एम. शब्द का प्रयोग केवल व्यवहार जताने के लिए किया जाता है। सो, यह कहना उपयुक्त होगा कि ऑस्कर वाइल्ड एक 'गे' पुरुष था, न कि ऑस्कर 'गे' था।

यौन अल्पसंख्यकों को कई बार उपहासात्मक तौर पर ऐसे शब्दों से संबोधित कर दिया जाता है जो समुदाय के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाओं को पुष्ट करते हैं। उसकी बजाय यौन अल्पसंख्यक, गे पुरुष या समलिंगी जैसे शब्दों का प्रयोग अधिक उपयुक्त होगा। उन्हें उस नाम से पुकारना भी जरूरी नहीं है जब तक कोई उन पर कलंक न लगाए।

संचरण की विधियों के बारे में जानकारी महत्वपूर्ण है, अतः रिपोर्टों के मान का आकलन करने की बजाय ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहिए कि संक्रमण लोगों, उनके काम, उनके परिवार को किस प्रकार दुष्प्रभावित करता है और एचआईवी कार्यक्रमों की नीति तथा क्रियान्वयन में क्या अंतराल है। अनावश्यक रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित करने से कि कोई व्यक्ति कैसे संक्रमित हुआ, उस प्रवृत्ति को बल मिलता है जो संक्रमित होने के लिए एचआईवी या एड्स वाले व्यक्तियों को दोषी ठहराती है।

यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि किसी धर्म-विशेष की भाषा, सांस्कृतिक मानकों और पारंपरिक रीतियों को समझा और सही ढंग से रिपोर्ट किया जाए।

लिंग संवेदी रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें

मीडिया को लिंग की रूढ़िबद्ध धारणाओं के प्रति रक्षा करनी चाहिए। उसे एचआईवी पॉजिटिव महिलाओं पर कलंक नहीं लगाना चाहिए। उदाहरणतः, यौन कर्मियों और मधुशाला की लड़कियों को संक्रमण फैलाने के लिए उत्तरदायी होने के रूप में चित्रित करना आम बात है। इसके बजाय कथाओं को यह अन्वेषण करना चाहिए की संक्रमण महिलाओं को विभिन्न प्रकार के शोषण के लिए विशेष रूप से असुरक्षित क्यों बना देता है। कथाओं को इन बातों पर केंद्रित होना चाहिए कि एचआईवी के साथ उत्पादक और यथेष्ट सामान्य जीवन जीना कैसे संभव है, अंतर्विहित शक्ति के बारे में जो महिलाओं को चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनाती हैं और यौन कर्मियों के नैतिक एवं कानूनी अधिकारों पर भी केंद्रित होना चाहिए।

कथाओं को, माता से बच्चे को संक्रमण के बचाव के लिए नई प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा पर और इस तथ्य पर भी केंद्रित होना चाहिए कि संक्रमित माताएं ऐसे बच्चों को जन्म दे सकती हैं जो संक्रमण से मुक्त हों।

लिंग संवेदी रिपोर्टिंग का एक उदाहरण यह है कि पी.एम.टी.सी.टी. **(माता से बच्चे को संचरण का निवारण)** की जगह पी.पी.टी.सी.टी. **(माता/पिता से बच्चे को संचरण का निवारण)** का प्रयोग किया जाए। इस प्रकार रिपोर्ट बच्चे के संक्रमण के लिए अकेली माता को उत्तरदाई नहीं ठहराती।

बच्चों से संबंधित रिपोर्टों पर संवेदनशीलता सुनिश्चित करें

एचआईवी से संक्रमित दुष्प्रभावित बच्चों की पहचान कभी प्रकट न की जाए, न ही उनके चित्र दिखाए जाएं। इसमें अनाथ बच्चे और अनाथालयों, बाल गृहों आदि में रहने वाले बच्चे शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून ऐसी किसी भी जानकारी अथवा चित्र के प्रकाशन का निषेध करते हैं, जिससे उन बच्चों की पहचान हो सके और उनके अधिकारों का उल्लंघन हो।

भारत में, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम 2000 में प्रावधान है कि किसी समाचारपत्र, पत्रिका या विज़ुअल मीडिया में देखभाल तथा सुरक्षा की जरूरत वाले किसी किशोर से संबंधित रिपोर्ट में नाम, पता, स्कूल या कोई अन्य विवरण नहीं दिया जाएगा जिससे उसकी पहचान हो सके। यह बच्चे से संबंधित किसी चित्र के प्रकाशन का भी निषेध करता है।

पत्रकारों को इस तथ्य के बारे में भी संवेदी होना चाहिए कि बच्चा अपनी एचआईवी स्थिति से अवगत हो भी सकता है और नहीं भी। पत्रकार को पूछताछ की प्रक्रिया शुरू करने से पहले इस तथ्य का पता लगा लेना चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ प्रश्नों को अंतर्वेधी या असंवेदी समझा जा सकता है जो बच्चे पर चिरस्थायी प्रभाव डाल सकते हैं।

इसे ध्यान में रखते हुए भी बच्चों के लिए उन मामलों में भाग लेना जरूरी है जो उनसे संबंधित हो। तथापि, उनके विचारों/किस्सों को बाँटते समय उनकी पहचान की सुरक्षा अवश्य की जाए।

इस तथ्य का व्यापक प्रसार किया जाए कि बच्चों के लिए अब ए.आर.टी. चिकित्सा उपलब्ध है।

संतुलित और उत्तरदायित्वपूर्ण कवरेज सुनिश्चित करें

समाचार संगठनों का 'नेगेटिव' कथा, यथा एचआईवी से संबंधित बीमारी के कारण आत्महत्या, के प्रभाव को कम करने के लिए पहल करनी चाहिए। इसके लिए उन्हें ऐसे पॉजिटिव लोगों के कथन छापने चाहिए जिन्होंने चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया है या हेल्पलाइन नंबर देने चाहिएं।

ध्यान रहे कि संक्रमित लोगों पर कथाओं को सनसनीखेज न बनाया जाए। संक्रमित व्यक्तियों को 'पीड़ित' या 'दोषी' के रूप में चित्रित करने से बचा जाए।

विशिष्ट व्यावसायिक समूहों यथा वर्दीधारी सेवाओं, स्वास्थ्य व्यवसायियों आदि पर रिपोर्टिंग करते समय जानकारी प्राधिकृत स्रोतों से ही ली जाए। गलत रिपोर्टों का उनके मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और कलंक भी बढ़ेगा। ऐसी रिपोर्टों से गोपनीयता के अभाव की धारणा भी बनेगी और स्वैच्छिक परीक्षण में बाधा आएगी।

मीडिया के लिए एचआईवी और एड्स पर नियमित प्रशिक्षण सुनिश्चित करें

पत्रकार तेजी से बढ़ते हुए इस संक्रमण की बदलती हुई वास्तविकताओं से अवगत रहें। देश भर के समाचार संगठन इस विषय पर प्रशिक्षण कार्यशालाओं और मॉड्यूलों को सक्रियता से प्रोत्साहित करें। पत्रकारों को इस मुद्दे से संबंधित न्यायालय के निर्णयों की भी अद्यतन जानकारी रखनी चाहिए।

अब एचआईवी मात्र एक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं रहा, केवल स्वास्थ्य रिपोर्टों पर संघ केंद्रित होने की बजाय, समाचार संगठन के सभी स्तरों पर लोगों को विभिन्न विधाओं पर प्रशिक्षित और संवेदित किया जाए, विशेषतः एचआईवी तथा एड्स की शब्दावली। इस संक्रमण का देश के विकास, अर्थव्यवस्था, व्यापार और राजनीति पर प्रभाव पड़ता है। सर्वेक्षणों ने दिखाया है कि प्रशिक्षण और संवेदीकरण से, एचआईवी तथा एड्स पर मीडिया की रिपोर्टिंग अपेक्षाकृत अधिक संतुलित और यथार्थ हो गई है, विशेषतः अधिक व्याप्ति वाले राज्यों में।

एचआईवी तथा एड्स रिपोर्टिंग पर वर्तमान स्टाइलबुक या दिशानिर्देश अपनाएं

समाचार संगठनों को चाहिए कि एचआईवी तथा एड्स की रिपोर्टिंग पर वर्तमान मानकीकृत दिशानिर्देशों तथा शब्दावली को अपनाएं और उसका व्यापक प्रसार करें। इससे इस विषय पर उत्तरदायित्वपूर्ण कवरेज को प्रोत्साहन मिलेगा।

परिशिष्ट 1

अन-एड्स शब्दावली दिशानिर्देश

www.unaids.org

परिशिष्ट 2

भारतीय विज्ञापन मानक परिषद

(ए.एस.सी.आई.) द्वारा विज्ञापन में आत्म-नियंत्रण के लिए संहिता

www.asci.co.in

परिशिष्ट 3

एचआईवी/एड्स और कानून – मानव अधिकार कानून नेटवर्क

(एच.आर.एल.एन.) द्वारा एक न्यायिक कोलोक्विअम

www.hrln.org

सहमति प्रपत्र

मैं---सुपुत्र/ सुपुत्री----------और------------आयु------------------------------वर्ष का पिता/माता/कानूनी अभिभावक/एक उत्तरदायी व्यस्क हूँ और सहमति देता हूँ कि आपको------------ (भेंटकर्ता/फोटोग्राफर का नाम) और आपके फोटोग्राफर/ कैमरामैन को प्रिंट/ऑडियो विज़ुअल मीडिया के लिए एचआईवी तथा इससे संबंधित मुद्दों पर मेरा वक्तव्य/भेंटवार्ता दर्ज करने की और मेरा फोटो लेने के मेरी अनुमति है।

मैं समझता हूँ मेरे वक्तव्य/भेंटवार्ता को किसी भी प्रकार से विकृत या उसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, चाहे जहां भी उसका प्रयोग किया जाए। फोटोग्राफर भी सुनिश्चित करेगा कि फोटोग्राफ मेरी या मेरे परिवार की गोपनीयता को भंग न करें।

आप यह भी सुनिश्चित करेंगे कि--------------- (साक्षात्कार देने वाले का नाम) का वक्तव्य/साक्षात्कार, जो अवयस्क है, किसी भी प्रकार उसकी पहचान को प्रकट न करें।

मुझे मेरी भाषा(--------------------------) में यह भी समझा दिया गया है कि मेरे वक्तव्य का एक भावी परिणाम हो सकता है जिसमें मेरे, मेरे परिवार के सदस्यों, संबंधियों तथा मित्रों के प्रति निर्दिष्ट कलंक और भेदभाव भी शामिल हो सकता है।

पता:---

फोन:--

तिथि:--

हस्ताक्षर:---

घ) वित्तीय पत्रकारिता - 1996

भारतीय प्रेस परिषद ने रिपोर्टरों/वित्तीय पत्रकारों/समाचारपत्र प्रतिष्ठानों को परामर्श दिया है कि वे नकद या जिन्स में ऐसा कोई उपहार/अनुदान/रियायत/सुविधा आदि स्वीकार न करें जिससे वित्तीय मामलों पर उनकी स्वतंत्र तथा निष्पक्ष रिपोर्टिंग में बाधा पड़ने की संभावना हो।

1) परिषद ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आजकल पाठकों के मन पर वित्तीय पत्रकारों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है अतः पाठकों के प्रति उनका दायित्व है कि कंपनी के वित्तीय व्यवहार, स्थिति तथा भविष्य के बारे में संतुलित तथा यथार्थ दृष्टिकोण प्रस्तुत करें। इसने देखा है कि समाचारपत्रों/पत्रिकाओं में कुछ कंपनियों के बारे में अधिक समाचार प्रकाशित किए जाते हैं क्योंकि वे उस प्रिंट मीडिया को विज्ञापन देती हैं। कई बार उन कंपनियों के बारे में प्रतिकूल रिपोर्टें प्रकाशित की जाती है जो उन समाचारपत्रों व पत्रिकाओं को विज्ञापन नहीं देती है। और फिर जब कोई मीडिया या किसी भी कारण से कंपनी/प्रबंधकों से खुश न हो तो उस कंपनी के नकारात्मक पहलुओं को उजागर किया जाता है जब कि इससे विपरीत स्थिति में नकारात्मक पहलुओं का उल्लेख नहीं किया जाता। यह भी पता चला है कि कुछ कंपनियां अपने बारे में अनुकूल तथा सकारात्मक रिपोर्टें लेने के लिए कुछ वित्तीय पत्रकारों को उपहार ऋण, छूट, अधिमानी शेयर आदि देती है। साथ ही इन आपत्तिजनक रीतियों के विरुद्ध जनमत तैयार करने के लिए या निवेशकों की शिक्षा के लिए कोई तंत्र नहीं है।

2) नियमित क्षेत्र में उस कुरीति पर चिंता महसूस करते हुए और वित्तीय संस्थाओं तथा पत्रकारों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा तथा विचार विमर्श के बाद परिषद ने वित्तीय पत्रकारों द्वारा अनुपालन के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों की सिफारिश की है।

3) वित्तीय पत्रकार को ऐसे कोई उपहार, ऋण, ट्रिप, अधिमानी शेयर या अन्य अनुग्रह स्वीकार नहीं करने चाहिए, जिनसे उनकी स्थिति प्रभावित होती हो या हो सकती हो।

4) किसी कंपनी की रिपोर्ट के बारे में यह प्रमुख रूप से उल्लेख किया जाए कि रिपोर्ट कंपनी द्वारा या कंपनी के वित्तीय समर्थकों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है।

5) जब किसी कंपनी द्वारा प्रतिष्ठानों को देखने के लिए ट्रिप आयोजित किए जाएं तो ट्रिप का लाभ उठाने वाला अपनी रिपोर्ट में निरपवाद रूप से उल्लेख करे कि यात्रा की व्यवस्था संबंधित कंपनी द्वारा की गई थी और, यथास्थिति उसने आतिथ्य का प्रबंध किया था।

6) कंपनी से संबंधित कोई भी बात कंपनी से तथ्यों का सत्यापन किए बिना प्रकाशित ना की जाए और उस रिपोर्ट के स्रोत का भी उल्लेख कर दिया जाए।

7) जो रिपोर्टर किसी घोटाले का भंडाफोड़ करे या कोई बढ़िया परियोजन चलाए जाने के बारे में रिपोर्ट लाए, उसे प्रोत्साहित तथा पुरस्कृत किया जाए।

8) जिस पत्रकार का किसी कंपनी में वित्तीय हित हो यथा शेयर धारिता, स्टॉक धारिता आदि उसे उस कंपनी के बारे में रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए।

9) पत्रकार को प्रकाशन के लिए जो सूचना पहले से प्राप्त हो जाए उसका प्रयोग उसे अपने लाभ के लिए या अपने संबंधियों तथा मित्रों के लाभ के लिए नहीं करना चाहिए।

10) किसी भी समाचारपत्र के मालिक, संपादक अथवा समाचारपत्र से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति को समाचारपत्र के साथ अपने संबंधों का प्रयोग अपने अन्य व्यापारिक हितों को बढ़ाने के लिए नहीं करना चाहिए।

11) जब कभी किसी विज्ञापन एजेंसी या विज्ञापक को भारतीय विज्ञापन परिषद द्वारा अभ्यारोपित किया जाए तो जिस समाचारपत्र में वह विज्ञापन छपा हो, वह अभ्यारोपण के समाचार को प्रमुखता के साथ प्रकाशित करें।

ड़) चुनाव रिपोर्टिंग – 1996

i) आमचुनाव हमारे लोकतंत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है और यह जरूरी है कि मीडिया द्वारा चुनाव लड़ रहे विभिन्न दलों के चुनाव अभियान की सही तथा निष्पक्ष रिपोर्टें प्रेषित की जाएं। प्रेस की स्वतंत्रता बहुत हद तक स्वयं प्रेस के उत्तरदायित्व की भावना के साथ व्यवहार करने पर निर्भर करती है। अतः यह सुनिश्चित करना जरूरी है की मीडिया चुनाव अभियान की सही तथा निष्पक्ष रिपोर्टिंग के इस सिद्धांत का पालन करे।

अतः प्रेस परिषद ने चुनाव के दौरान मीडिया द्वारा अनुपालन के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश बनाए हैं:

1) प्रेस का यह कर्तव्य होगा कि चुनावों तथा प्रत्याशियों के बारे में निष्पक्ष रिपोर्ट दे। समाचारपत्रों से हितलाभ विरोधी चुनाव अभियानों में शामिल होने की आशा नहीं की जाती। चुनावों के दौरान किसी प्रत्याशी, दल या घटना के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण रिपोर्टें न दी जाएं। वस्तुतः कड़े मुकाबले वाले दो या तीन प्रत्याशी ही मीडिया का सारा ध्यान आकर्षित करते हैं। वास्तविक अभियान की रिपोर्ट देते समय समाचारपत्र को किसी प्रत्याशी द्वारा उठाए गए किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहिए और न ही उसके विरोधी पर कोई प्रहार करना चाहिए।

2) निर्वाचन नियमावली के अंतर्गत सांप्रदायिक अथवा जातीय आधार पर चुनाव अभियान की अनुमति नहीं है। अतः प्रेस की ऐसी रिपोर्टों से दूर रहना चाहिये, जिनसे धर्म, जाति, मत, संप्रदाय अथवा भाषा के आधार पर लोगों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाएं पैदा हो सकती हों।

3) प्रेस को किसी प्रत्याशी के चरित्र या आचरण के बारे में या उसकी प्रत्याशिता के संबंध में अथवा किसी प्रत्याशी का नाम अथवा उसकी प्रत्याशिता वापस लिए जाने के बारे में ऐसे झूठे या आलोचनात्मक वक्तव्य छापने से बचना चाहिए जिससे चुनाव में उस प्रत्याशी की संभावनाएं दुष्प्रभावित होती हों। प्रेस किसी भी प्रत्याशी/दल के विरुद्ध अपुष्ट आरोप प्रकाशित नहीं करेगा।

4) प्रेस किसी प्रत्याशी/दल की छवि प्रस्तुत करने के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन - वित्तीय या अन्य स्वीकार नहीं करेगा। वह किसी भी प्रत्याशी/दल द्वारा उन्हें पेश किया गया आतिथ्य या अन्य सुविधाएं स्वीकार नहीं करेगा।

5) प्रेस से किसी प्रत्याशी/दल-विशेष के प्रचार में शामिल होने की आशा नहीं की जाती। यदि वह ऐसा करता है तो वह अन्य प्रत्याशी/दल को उत्तर का अधिकार देगा।

6) प्रेस किसी दल/सत्तासीन सरकार की उपलब्धियों के बारे में सरकारी खर्चें पर कोई विज्ञापन स्वीकार/प्रकाशित नहीं करेगा।

7) प्रेस निर्वाचन आयोग/निर्वाचन अधिकारियों अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सभी निर्देशों/अनुदेशकों का पालन करेगा।

ii) "मतदान-पूर्व" तथा "मतदान-उपरांत" सर्वेक्षण पर दिशानिर्देश - 1996

भारतीय प्रेस परिषद ने मतदान पूर्व सर्वेक्षणों के प्रकाशन की उपयुक्तता या अनुपयुक्तता के प्रश्न पर और उनसे प्राप्त होने वाले उद्देश्य पर विचार कर के यह राय बनाई है कि समाचारपत्रों को अपने मंच का प्रयोग चुनाव की विकृति तथा तोड़ मरोड़ के लिए नहीं होने देना चाहिए और अपना प्रयोग संबंधित दलों के हित साधन के लिए नहीं होने देना चाहिए।

अतः प्रेस परिषद की यह सलाह है कि हमारे जैसे प्रतिनिधि के लोकतंत्र में निर्वाचन प्रक्रिया की महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए समाचारपत्रों को सतर्क रहना चाहिए कि उनके बहुमूल्य मंच का प्रयोग चुनावों की विकृति तथा तोड़ मरोड़ के लिए न किया जाए। आज इस बात पर जोर देना जरूरी हो गया है क्योंकि संबंधित व्यक्तियों तथा समूहों द्वारा कोशिश की जाने लगी है कि जातीय, धार्मिक तथा नृजातीय आधार पर सूक्ष्म तथा अनतिसूक्षम प्रचार द्वारा और तथा कथित निर्वाचन-पूर्व सर्वेक्षणों जैसे परिष्कृत साधनों के प्रयोग द्वारा भोले मतदाताओं को भ्रांत तथा दिग्भ्रमित करने के लिए प्रिंट मीडिया से अधिकाधिक लाभ उठाया जाए। अनेक मामलों में सांप्रदायिकता तथा राजद्रोहात्मक प्रचार का पता लगाने में तो कठिनाई नहीं होती किंतु कई बार चेष्टापूर्वक रोपित किए गए, मतदान-पूर्व सर्वेक्षण के अपने हित के लिए प्रयोग का पता लगाना इतना आसान नहीं होता। अतः प्रेस परिषद का सुझाव है कि समाचारपत्र जब कभी मतदान-पूर्व सर्वेक्षण प्रकाशित करें, वे उनके साथ निम्नलिखित जानकारी स्पष्ट रूप से देने की सावधानी बरतें; सर्वेक्षण किन संस्थाओं ने किए हैं; सर्वेक्षण किन व्यक्तियों तथा संगठनों ने कराए हैं; चुने गए नमूनों का आकार तथा स्वरूप; निष्कर्षों के लिए नमूना चुनने की विधि; और निष्कर्षों में भूल की संभावित गुंजाइश।

1) फिर, मतदान एक से अधिक तिथियों को होने की स्थिति में देखा गया है कि जो मतदान हो चुके हो, मीडिया उनके मतदान-उपरांत सर्वेक्षण प्रकाशित कर देते हैं। इससे उन मतदाताओं के प्रभावित हो जाने की संभावना है, जहां अभी मतदान होना है। यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि निर्वाचन प्रक्रिया को निर्मल रखा जाए और मतदाताओं के मन पर किसी बाहरी तत्व का प्रभाव न पड़े, यह आवश्यक है कि मीडिया तब तक मतदान-उपरांत सर्वेक्षणों को प्रकाशित न करें, जब तक अंतिम मतदान पूरा न हो जाए।

2) अतः प्रेस से प्रेस परिषद का अनुरोध है कि मतदान-उपरांत सर्वेक्षणों के बारे में निम्नलिखित दिशानिर्देश का पालन किया जाए:

दिशानिर्देश:

कोई समाचारपत्र तब तक मतदान-उपरांत सर्वेक्षण प्रकाशित नहीं करेगा, चाहे वे कितने भी प्रामाणिक हों, जब तक अंतिम मतदान पूरा न हो जाए।

च) पत्रकारों पर अनुचित अनुग्रह के संबंध में दिशानिर्देश - 1988

प्रेस की शक्ति ने सार्वजनिक व्यक्तियों को, प्रकट तथा उससे भी अधिक गुप्त साधनों के माध्यम से प्रेस का अनुग्रह प्राप्त व पोषण करने तथा उसकी चापलूसी करने का प्रयास करने के लिए, युगों से प्रेरित किया है।

यदि प्रेस केवल एक प्रेक्षक, मुखबिर तथा जनता के शिक्षक के रूप में समाज के हित के एक प्रहरी के रूप में, जनता हित की सेवा करने के दायित्व को स्वीकार करता है तो केवल उसी स्थिति में वह एक जन संचारक के रूप में अपनी सच्ची भूमिका अदा कर सकता है। अंततोगत्वा, स्वयं प्रेस के नैतिक ढांचे की शक्ति व दृढ़ता यह निर्णय करेगी कि जो लोग सत्ता में हैं; उनके द्वारा दिए गए प्रलोभनों तथा उत्प्रेरणाओं से वे विचलित हो या नहीं। मीडिया के लोगों को यह महसूस करना चाहिए कि उन्हें जो कुछ भी अनुग्रह तथा सुविधाएं मिलती हैं,

चाहे उनकी बौछार उन पर जनता द्वारा की जाए या निजी संगठनों द्वारा या सत्ता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा की जाए, पर उनका भार अंततः जनता को ही वहन करना पड़ता है। निजी संगठन, उनकी लागत खर्च को अपने द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद तथा सेवाओं की लागत में जोड़कर वसूल करते हैं। अतएव प्रेस की परम निष्ठा जनता के प्रति होती है, तत्कालिक व प्रत्यक्ष उपकारी के प्रति नहीं।

प्रेस के सदस्यों को अपने व्यावसायिक कर्तव्यों का उचित पालन करने के लिए दी जाने वाली सुविधाओं तथा उन्हें प्रभावित करने के विचार से प्रदान किए गए अनुग्रहों के बीच भेद व अंतर करना हमेशा आसान नहीं होता। तथापि सरल तथा सुबोधगम्य सीमा यह हो सकती है कि पत्रकारों को अपने व्यावसायिक कर्तव्यों का निर्वाह करने में सहायता का एक समान अर्पण भलीभांति निर्धारित नीतियों के पैरामीटरों के अंतर्गत, सुविधा के लिए व्यक्तियों में किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना, किया जा सकता है परंतु जब उसे किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों या स्थापनाओं तक प्रतिबंधित व सीमित कर दिया जाता है तो वह अनुग्रह या पक्षपात हो जाता है।

1985 से 1995 तक के बीच की अवधि में विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा पत्रकारों को प्रदान किए गए अनुग्रहों के संबंध में परिषद द्वारा जनवरी, 1998 में दी गई रिपोर्ट के आधार पर, परिषद ने भविष्य में मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश तैयार किए हैं:-

1. <u>आवास-मकान / फ्लैट / भूमि</u>

पत्रकारों को आवास प्रदान करने के लिए सरकार बाध्य नहीं है क्योंकि अपने कर्मचारियों को आवास प्रदान करना समाचारपत्र की स्थापनाओं का कर्तव्य है। जहां कहीं भी, पत्रकारों को अधिकारियों द्वारा ऐसी सुविधा प्रदान की जा रही है, उसे वहां धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

प्रिंटिंग प्रेसों को लगाने के लिए समाचारपत्र स्थापनाओं/व्यक्तियों को रियायती दरों पर भूमि का आवंटन अलाटी की अनुचित/अवैध समृद्धि का स्रोत नहीं होना चाहिए।

अतः समाचारपत्र स्थापनाओं/व्यक्तियों को भूमि के आवंटन संबंधी प्रस्तावों की अधिकारियों द्वारा अत्यंत सावधानीपूर्वक छानबीन की जानी चाहिए। समाचारपत्र स्थापनाओं को कोई भी भूमि रियायती दरों पर आवंटित नहीं की जानी चाहिए, यदि भूमि को अलाटी द्वारा प्रेस के कार्यों हेतु उसके प्रयोग के साथ-साथ वाणिज्यिक उपयोग के लिए भी रखने का प्रस्ताव है।

2. कंपनियों में हिस्सों (शेयरों) का आवंटन

विशेष मूल्य पर आवंटित या किसी कोटे के अंतर्गत प्रदत्त शेयर एक अनुग्रह/पक्षपात है।

3. बस यात्रा /रेल यात्रा /परिवहन

जहां तक बड़े तथा मध्यम समाचारपत्रों का संबंध है, यह एक अनुग्रह/ पक्षपात है। इसके अलावा जो पत्रकार ऐसे समाचारपत्रों के साथ सम्बद्ध हैं जो लाभ में चल रहे हैं उनका निःशुल्क/मुफ्त बस/रेल/परिवहन की सुविधाओं का लाभ उठाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे व्यय का वहन संबन्धित समाचारपत्रों द्वारा किया जाना चाहिए। तथापि लघु समाचारपत्रों के मामले में, यह एक सुविधा हो सकती है।

4. विदेशी यात्राएं

कंपनियों, निगमों तथा एयरलाइनों द्वारा वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा प्रदान करना, उनके उत्पादों/ सेवाओं के संबंध में अनुग्रह या अनुकूल दृष्टि से लिखने के लिए एक प्रलोभन है। जहां कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री या किसी अन्य मंत्री द्वारा सरकारी विदेशी दौरों का संबंध है, उनके साथ कवरेज के लिए, निर्धारित मानदंडों के आधार पर एक बार चुने गए समाचार पत्र के पात्र/ योग्य पत्रकार को ही नामित किया जाना चाहिए। समाचारपत्र के प्रबंधन कार्मिक का ऐसे दौरों की कवरेज के लिए चयन/ नामांकन नहीं किया जाना चाहिए।

5. घरेलू यात्रा, एयर लाइनों तथा अन्य द्वारा वायुयान के मुफ्त टिकट:

यह पत्रकारों को, ऐसे टिकट प्रदान करने वाले वाणिज्यिक उद्यमों तथा एयर लाइंस को वाणिज्यिक रूप में बढ़ावा देने के लिए अनुकूल रिपोर्ट लिखने के लिए प्रेरित करता है।

6. मुख्यमंत्री की विवेकाधीन निधि से रोकड़/ नकद राशि का भुगतान

मुख्यमंत्री की विवेकाधीन निधि से, दरिद्र तथा निस्सहाय पत्रकारों को राहत के रूप में धन देने के अलावा अन्य को धनराशि का भुगतान पत्रकारिता के मिशन के प्रति बेईमानी को बढ़ावा देना है। यह भ्रष्ट कार्यों को बढ़ावा देता है। इसे मुख्यमंत्रियों द्वारा हतोत्साहित किया जा सकता है।

7. वित्तीय सहायता नकद राशि

वित्तीय सहायता चाहे वे डॉक्टरी चिकित्सा के लिए ही दी गई हो, भी अनुग्रह में शामिल है। यदि चिकित्सा सहायता ऐसी स्पष्ट नीति के अंतर्गत नहीं दी जा रही है जो सामान्यतः ऐसे बीमार तथा दीनहीन व्यक्तियों पर एक समान रूप से लागू होती है, जो अपनी डॉक्टरी चिकित्सा के व्यय का वहन नहीं कर सकते और कोई पत्रकार ऐसे लाभार्थियों में हो। पत्रकारों को सी जी एच एस सुविधा प्रदान करना असंगत है क्योंकि यह सुविधा केवल सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध होती है। अपने कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करना समाचारपत्र स्थापनाओं का उत्तरदायित्व है और अधिकारियों को उससे बचना चाहिए।

8-9. मीडिया केंद्रों के लिए फंड तथा पत्रकार एसोशिएशनों के लिए अनुदान अनुग्रह है और यदि वह पत्रकारिता संबंधी कौशल के संवर्धन के लिए नहीं दिया जाता तो उसे बंद कर दिया जाना चाहिए।

10. गिफ्ट चैक जिनमें वे भी शामिल हैं, जो विज्ञापन एजेंसियों द्वारा चेक अपने ग्राहकों के या अन्यथा, संबन्धित सामग्री के प्रकाशन के लिए प्रदान किए जाते हैं, अनुग्रह है और पूर्णतया निंदा के योग्य है। पत्रकारों को इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए।

11. किसी भी रूप में भेंट का जिसका मूल्य चाहे जो, निंदा की जानी है।

12. यदि कोई पत्रकार नि:शुल्क पार्किंग की सुविधा का प्रयोग अपने व्यवसायिक कार्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य/कार्य के लिए करता है तो वह एक अनुग्रह है।

13. अतिथि का आतिथ्य सत्कार

नियमानुसार कार्यरत/ श्रमजीवी पत्रकार को राज्य का अतिथि नहीं माना जाना चाहिए। तथापि, जब प्रेस की टीमों को अपने व्यवसायिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए किसी स्थान पर आमंत्रित किया जाता है तो उनके लिए उचित व्यवस्था करना, इसका अपवाद होगा। मान्यता प्राप्त पत्रकारों द्वारा सरकारी अतिथि गृहों (गेस्ट हाउसों) में ठहरना उस स्थिति में अनुमेय है जब वह उसके व्यवसायिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए है।

14. कर मुक्त कैमरों तथा कंप्यूटरों का आयात

अपनी कार्मिकों को कैमरा /कंप्यूटर प्रदान करना समाचारपत्र स्थापना का कर्तव्य है। सरकार द्वारा एक विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को कर/ शुल्क मुक्त कैमरों तथा कंप्यूटरों के आयात की अनुमति देना, एक अनुग्रह /पक्षपात है। तथापि, यह सुविधा मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकारों, लघु समाचार पत्रों को प्रदान की जा सकती है, बशर्ते कि इसका दुरुपयोग ना किया जाए।

15. बीमा किश्त

पत्रकारों के बीमें की किश्त का भुगतान करना सरकार का दायित्व नहीं है। समाचारपत्र स्थापना या संबंधित व्यक्ति को उसका भुगतान करना चाहिए।

16. पत्रकारों के रिश्तेदारों को, लिहाज के लिए तथा योग्यता के अलावा और दूसरे लिहाज से नौकरी देना, उसे पूर्णतया प्रलोभन देने का पूरा प्रयास है और उस पर प्रतिबंध होना चाहिए।

17. समस्त नागरिकों के लिए पहले से निर्धारित नीति की सीमा के अंतर्गत ऋणों की स्वीकृति की अनुमति दी जा सकती है। परंतु जब ऋण केवल पत्रकारों को दिया जाता है या ब्याज़ की घटी दरों पर दिया जाता है या जब देय ब्याज़ या मूलधन की राशि को समाप्त /बट्टे खाते में डाल दिया/ माफ कर दिया जाता है तो ऐसा कार्य अनुचित अनुग्रह पक्षपात के बराबर है और इसे रोका जाना चाहिए।

18. समितियों में नामांकन

कुछ राज्यों में पत्रकारों को कुछ संगठनों तथा संस्थाओं जैसे लोक सेवा आयोग, में नामित किया जाता है और उन्हें राज्यमंत्री कैबिनेट मंत्री की हैसियत भी प्रदान की जाती है। यह गलत चलन है। ऐसी समितियों में व्यवसायिक संगठनों द्वारा नामांकन को छोड़कर जिनमें विभिन्न व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोटा होता है, यह चलन अनुग्रह है और इसे रोका जाना चाहिए।

19. किसी पत्रकार को पीसीओ/ फ़ैक्स/ फोन बूथ या सेंटर को आवंटित करना अनुग्रह व पक्षपात है, यह चलन बंद होना चाहिए।

20. पेंशन संबंधी लाभ

क्योंकि मीडिया सरकार का अंग नहीं है, जब यह सुविधा सरकार द्वारा केवल मीडिया के व्यक्तियों को प्रदान की जाती है तो यह अनुग्रह हो जाता है।

21. प्रेस क्लब- निधि (फंड्स) का चंदा

यह पद्धति समस्त देश में प्रचलित है और मुख्यमंत्रियों/ मंत्रियों, राजनीतिक नेताओं, कंपनियों तथा निगमों द्वारा केवल सही प्रेस क्लबों को ही नहीं बल्कि संदिग्ध प्रकृति/ स्वरूप वाले क्लबों को भी चंदा खुले हाथों दिया जा रहा है। बाद वाले मामले में यह पत्रकारों को प्रलोभन देने का एक प्रयास है ताकि वे दाताओं के विषय में अनुकूल रिपोर्ट दे दें। इसे रोका जाना चाहिए।

22. पुरस्कार

अप्रमाणिक व नकली पुरस्कार देने की पद्धति पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। धोखेबाजों व ठगों द्वारा पुरस्कारों तथा पारितोषिक की बिक्री के ऐसे उदाहरण हैं जो उससे रुपया कमाते हैं। केवल ठग (रैकेटियर) बल्कि पुरस्कार प्राप्त करने वाले भी पुरस्कारों की निधि में प्राय: चंदा देते हैं।

23. पत्रकारों के रूप में उनकी स्थिति के कारण ऐसे लोगों को दुकानों का आवंटन एक स्पष्ट अनुग्रह है और इसे तत्काल बंद किया जाना चाहिए।

24. मान्यता व प्रत्यायन कार्डों को प्रदान करना, नियमानुसार सरकारी तथा सार्वजनिक प्राधिकरण विज्ञापन, चुनाव की बैठकों के दौरान सुविधाएं, पत्रकारिता संबंधी सम्मेलनों, संगोष्ठियों (सेमिनारों) आदि के लिए खर्च, प्रेस कक्ष प्रदान करना, प्रेस पार्टियों को आमंत्रित करना, प्रकाशन सामग्री देना, पत्रकार को प्रशिक्षण प्रदान करना, अनुग्रह या पक्षपात में शामिल नहीं है। वे अनिवार्य सुविधाएं हैं जो उनके व्यवसायिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए पत्रकारों को प्रदान की जाती हैं।

छ) एकांतता का अधिकार- सार्वजनिक व्यक्ति तथा प्रेस- 1998

इस मामले पर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर गर्मागर्म बहस हो रही है। यह निश्चित प्रतीत होता है कि एकांतता का अधिकार निर्द्वंद/ निर्बाध नहीं हो सकता, फिर भी मीडिया को स्वयं आत्मसंयम दर्शाना होता है और सार्वजनिक व्यक्ति की एकांतता का सम्मान करना पड़ता है। यदि सार्वजनिक व्यक्ति की एकांतता तथा उसके व्यक्तिगत आचरण, कार्यकलापों, गतिविधियों, आदतों तथा चरित्र की विशेषताओं के संबंध में जिनका जनहित पर अतिक्रमण या प्रभाव होता है, जानने का जनता के अधिकार के बीच संघर्ष होता है तो पहले को बाद वाले के जनता के अधिकार के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए।

तथापि, यह बात ध्यान में रखनी आवश्यक होगी कि जो चीज जनता के प्रति हित या रुचि की है वह जनहित, के साथ समानार्थी नहीं है और वह अंतिम व आधारभूत परीक्षण होना चाहिए जिसका पत्रकारों को प्रत्येक अलग-अलग मामले की परिस्थितियों में स्वयं ही प्रयोग करना चाहिए।

उपर्युक्त को चित्रित करते हुए परिषद निम्नलिखित दिशानिर्देश तैयार करती है-

"एकांतता का अधिकार एक अलंघनीय (परमपावन) मानवाधिकार है। तथापि, एकांतता की मात्रा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तथा एक संस्था से दूसरी संस्था की अलग-अलग होती है। सार्वजनिक व्यक्ति/जन नेता जो जनता की ताक व नजर के नीचे जनता के एक दूत/ प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, यह आशा नहीं कर सकता कि उसे एकांतता उसी मात्रा में मिले जितनी मात्रा में एक निजी व्यक्ति को मिलती है। उसके कार्य तथा आचरण क्योंकि जन रूचि/ हित के होते हैं, ("जनरुचि/ हित" "जनता के प्रति रुचि/ हित" से भिन्न तथा अलग हैं।) चाहे वे एकांत में किए गए हों, परंतु उन्हें प्रेस के माध्यम द्वारा जनता की जानकारी में लाया जा सकता है। तथापि, प्रेस का इस बात को सुनिश्चित करने का एक संगत/ अनुरूप कर्तव्य होता है कि सार्वजनिक व्यक्ति के जनहित/ रुचि से संबंधित ऐसे कार्यों तथा आचरण के संबंध में सूचना उत्तम व निष्पक्ष साधनों से प्राप्त की गई है, वह समुचित रूप में सत्यापित है और उसकी बात सही ढंग से रिपोर्ट की गई है। जनता की ताक या दृष्टि से दूर किए गए या संचालित कार्यों के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए, प्रेस से यह आशा नहीं की जाती की वह निगरानी की युक्तियों का प्रयोग करें। निजी बातचीत तथा चर्चाओं के विषय में सूचना व जानकारी प्राप्त करने के लिए, जहां प्रेस से आशा की जाती है कि सार्वजनिक व्यक्ति को तंग ना करें वहां सार्वजनिक व्यक्तियों से भी यह आशा की जाती है कि अपनी कार्यप्रणाली में अधिक खुलापन लाएं और जनता को अपने प्रतिनिधियों के कार्यों के विषय में, जानकारी देने के प्रेस के अपने कर्तव्य का पालन करने में उसे सहयोग दें।"

यह निश्चित है कि उपर्युक्त व्यापक दिशानिर्देश जिन्हें सच्चे भाव व अभिप्राय से तैयार किया गया है, प्रेस के सूचना तक पहुँचने के अधिकार तथा सार्वजनिक व्यक्ति के एकांतता के अधिकार के बीच एक संतुलन उत्पन्न करेंगे।

ज) उत्प्रवास अधिनियम 1983 के अनुसार विदेशी विज्ञापनों के प्रकाशन हेतु आदर्श मार्गदर्शी सिद्धांत

उत्प्रवास अधिनियम 1983 के उल्लंघन में प्रकाशित किए जा रहे विदेशी नौकरियों के विज्ञापनों को देखते हुए प्रकाशकों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने परिषद से अनुरोध किया। परिषद ने उत्प्रवास महासंरक्षक के परामर्श से निम्नलिखित आदर्श मार्गदर्शी सिद्धांत स्वीकार किए :-

1. उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 16 के उपबंधों के अनुसार, कोई भी नियोक्ता भारत के बाहर किसी नागरिक की रोजगार के लिए भर्ती (क) ऐसी भर्ती करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत सक्षम भर्ती एजेंट के माध्यम से, अथवा (ख) इस संबंध में जारी वैध परमिट के अनुसार के सिवाय नहीं कर सकता।

2. उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 10 में प्रावधान है कि कोई भी भर्ती एजेंट, मंत्रालय में पंजीकरण प्राधिकारी अर्थात उत्प्रवासी महासंरक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अंतर्गत और इसके अनुसार के अलावा विदेश में रोजगार के लिए भारतीय नागरिकों की भर्ती का कारोबार शुरु अथवा जारी नहीं रखेगा।

3. इसी प्रकार, विदेशी नियोक्ता अथवा प्रोजेक्ट निर्यातक, मंत्रालय, नई दिल्ली अथवा रोजगार वाले देश में भारतीय मिशन से परमिट प्राप्त करने के पश्चात् ही विदेश में रोजगार के लिए भारतीय नागरिकों की भर्ती कर सकता है।

4. पंजीकृत भर्ती एजेंटों के लिए भर्ती हेतु विज्ञापन देने हेतु अपनी, पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या दर्शाना अनिवार्य है। इसी प्रकार, विदेशी नियोक्ताओं और प्रोजेक्ट निर्यातकों को भी विज्ञापन देते हुए परमिट संख्या भी दिखानी होगी।

5. भर्ती एजेंटों के मामलों में पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति और विदेशी नियोक्ताओं तथा प्रोजेक्ट निर्यातकों के मामले में परमिट पत्र की प्रति को विज्ञापन प्रपत्र के साथ उनके सही व्यक्ति होने के प्रमाण के रूप में सलंग्न करने के लिए कहा जा सकता है।

6. सभी विज्ञापनदाताओं को अपने विज्ञापन में निम्नलिखित का उल्लेख करने के लिए कहा जा सकता है:-

(क) पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या/ परमिट संख्या

(ख) टेलीफोन नंबर, पोस्ट बॉक्स नंबर, ईमेल नंबर सहित पूरा पता (ये पूरे पते के साथ में दिए जा सकेंगे परंतु संचार माध्यम के रूप में नहीं)

(ग) आवेदन पत्र संबंधी कार्रवाई अथवा किसी अन्य उद्देश्य से आवेदक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

(घ) पदों/ नौकरियों का नाम

(ड.) प्रत्येक श्रेणी में स्थिति/ रिक्तियों की संख्या, और

(च) नौकरी की प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रस्तावित वेतन

7. कोई संदेह होने पर प्रकाशक मांग पत्र और मुख्तारनामे की प्रतियों जोकि विदेशी नियोक्ता अथवा प्रयोजक द्वारा एजेंट को दी गई होंगी, की मांग भी कर सकता है जिनके आधार पर कथित विज्ञापन जारी किया जा रहा है।

8. उत्प्रवासी महासंरक्षक, मंत्रालय, नई दिल्ली अथवा उत्प्रवासियों के संरक्षक के आठ कार्यालय, जोकि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, कोचिन, चंडीगढ़ और हैदराबाद में स्थित है, से भी स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।

9. इसके अतिरिक्त, पंजीकृत भर्ती एजेंटों की सूची विदेशी भारतीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है, अर्थात् एचटीटीपी:// एमओआईए.जीओवी.आईएन

झ) बाल अधिकार सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देश

बच्चों के संबंध में रिपोर्टिंग के लिए तैयार किए गए दिशानिर्देश

1. किसी बच्चे को और कलंकित न करें, ऐसा चित्रण या विवरण न दें जिससे बच्चे के प्रति नकारात्मक प्रतिघात हो जिसमें अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक हानि पहुंचाना भी शामिल है जिससे उसका स्थानीय समुदाय द्वारा जीवनपर्यंत दुरुपयोग किया जाए, बच्चे के साथ भेदभाव या उसका बहिष्कार किया जाए।

2. बच्चे की कहानी या छवि के संबंध में हमेशा यथार्थ संदर्भ दें।

3. बच्चे का वर्णन हमेशा पीड़ित के रूप में करें।

4. हमेशा बच्चे के नाम में परिवर्तन कर दें और ऐसे बच्चे की पहचान धुंधली कर दें जिसे निम्नलिखित के रूप में पहचाना जाता है:

   i. यौन शोषण या शोषण का शिकार;

   ii. शारीरिक या यौन शोषणकर्ता;

   iii. एचआईवी से ग्रसित या एड्स वाला बच्चा बशर्ते कि वह बच्चा, उसके मां-बाप या संरक्षक इस संबंध में सूचित सहमति न दे दें;

   iv. किसी अपराध के लिए दोषी या दोषसिद्ध बच्चा।

जोखिम या संभावित जोखिम के खतरे या प्रतिशोध की कुछ परिस्थितियों में ऐसे बच्चे के नाम में परिवर्तन कर दें या उसकी पहचान को धूमिल कर दें जिसे निम्नलिखित के रूप में पहचाना जाता हो:

(क) वर्तमान में या पूर्व में लड़ाकू बच्चा;

(ख) कोई शरण चाहने वाला, शरणार्थी या आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति।

5. कुछ मामलों में बच्चे की पहचान का उपयोग करना - उसका नाम और/ या उसकी पहचान योग्य छवि बच्चे के हित में उत्तम होती है। लेकिन जब कभी बच्चे की पहचान का उपयोग किया जाता है तो उन्हें नुकसान पहुंचने से बचाया जाना चाहिए और किसी कलंक या प्रत्याघात से बचाना चाहिए। ऐसे विशेष मामलों के कुछ उदाहरण इस प्रकार है:

i. यदि कोई बच्चा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का प्रयोग करने की इच्छा रखते हुए और इस बात के लिए कि उसकी राय को सुनने का अधिकार उसे देने हेतु किसी रिपोटर से संपर्क करता है;

ii. यदि कोई बच्चा सक्रियवादी या सामाजिक संगठन के दीर्घकालिक कार्यक्रम का हिस्सा हो और वह अपनी पहचान उस रूप में करना चाहता हो;

iii. यदि कोई बच्चा ऐसे मनो-सामाजिक कार्यक्रम में लगा हो और इस बात का दावा करता हो कि उसका नाम और पहचान उसके स्वस्थ विकास का भाग है।

6. बच्चे ने जो कुछ कहा, उसकी यथार्थता की पुष्टि अन्य बच्चों से या वयस्कों से और बेहतर होगा कि दोनों से की जाए।

7. यदि इस बात में कोई संदेह हो कि कोई बच्चा जोखिम में है तो सामान्य स्थितियों में बच्चे के संबंध में रिपोर्ट तैयार की जाए न कि किसी बच्चे विशेष के संबंध में। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि यह कहानी समाचारयोग्य कितनी है।

ञ) आदर्श प्रत्यायन/ विज्ञापन नियमावली, 2014

1. भारतीय प्रेस परिषद द्वारा तैयार की गई यह नियमावली केंद्रीय और राज्य सरकारों की प्रत्यायन नियमावली को तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए दिशानिर्देश के रूप में कार्य करेगी। यह आदर्श नियमावली प्रत्यायन को सुनिश्चित करने के लिए- केंद्र/ राज्य सरकार से संबंधित समाचारों को कवर करने के लिए तैयार की गई है। इसे प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता सहित लोकहित में निष्पक्षता, पारदर्शिता के साथ स्वीकृत और नवीकृत किया गया है।

2. परिभाषाएं:

(i) **प्रत्यायन:** प्रत्यायन से तात्पर्य है मीडिया संगठनों के संवाददाताओं/ संपादकों को दी जाने वाली मान्यता (जैसाकि उप-खंड IV में परिभाषित किया गया है) ताकि वे समाचार सामग्री, लिखित और चित्रित तक पहुंच बना सके, समाचार एकत्र करने के लिए मुख्यालयों और अन्य केंद्रों में सरकारी कार्यालयों और अधिकारियों से संपर्क बना सकें, सरकार के क्रियाकलापों के कानूनों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रेस प्रकाशनियों, पृष्ठभूमि लेखों आदि तक पहुंच बना सके और सरकारी समारोहों, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सांविधिक समारोहों और सरकार के अन्य क्रियाकलापों में बिना किसी रुकावट के निमंत्रण प्राप्त कर सके और प्रवेश कर सकें तथा उन्हें समाचार एकत्र करने से संबंधित यात्रा, अनुसंधान दस्तावेज

आदि के रूप में सुविधा मिल सके। समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार यह प्रत्यायन पूरे देश, राज्य, नगर, जिला या तहसील में उपलब्ध होना चाहिए।

(ii) **संवाददाता:** संवाददाता से तात्पर्य समाचारपत्र, पत्रिका, न्यूज़ एजेंसी, टेलीविजन चैनल, रेडियो संगठन या न्यूज़ पोर्टल द्वारा नियोजित श्रमजीवी पत्रकार से है ताकि वह इस नियमावली के खंड 2 (iv) में यथापरिभाषित समाचारपत्र, पत्रिका, टेलीविजन चैनल, रेडियो संगठन या समाचार पोर्टल के लिए नियमित रूप से समाचारों को एकत्र और फ़ाइल कर सकें। प्रिंट मीडिया के श्रमजीवी पत्रकार की परिभाषा में समाचारपत्र, पत्रिकाएं और समाचार एजेंसियां भी शामिल हैं और उनकी समान्यतः वही परिभाषा होगी, जो श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में दी गई है।

(iii) **कैमरामैन:** कैमरामैन से तात्पर्य समाचार घटनाओं का चित्र या वीडियोग्राफ लेने के लिए मीडिया संगठनों द्वारा नियोजित फोटो और टेलीविज़न कैमरामैन से है।

(iv) **संपादक**: संपादक से तात्पर्य समाचारपत्र, पत्रिका, टेलीविजन चैनल, रेडियो संगठन, समाचार पोर्टल के संपादक से है, जो उस संगठन के समाचारों के चयन और संपादकीय नीति का प्रभारी होता है । इसमें एडिटर इन चीफ़, प्रबंध संपादक, कार्यपालक संपादक, स्थानीय संपादक और विषय-वस्तु प्रमुख भी शामिल हैं।

(v) **मीडिया संगठन**: मीडिया संगठन से तात्पर्य पीआरबी अधिनियम, टेलिविजन चैनलों के लिए अपलिंकिंग गाइडलाइंस और एफएम स्टेशन, प्रसार भारती अधिनियम आदि जैसी संगत कानून और नियमों के अधीन भारत सरकार/ राज्य सरकारी एजेंसियों द्वारा मान्यताप्राप्त समाचारपत्र, पत्रिका, टेलीविजन चैनल, रेडियो संगठन, न्यूज़ पोर्टल से है।

(क) **समाचार मीडिया** में समाचारपत्र, तार सेवा, बेतार सेवा, समाचार एजेंसी, समाचार फीचर एजेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एजेंसी, समाचारों वाला न्यूज़ पोर्टल और सार्वजनिक समाचार की टिप्पणियां भी शामिल होंगी।

(ख) **समाचारपत्र** की वही परिभाषा होगी, जो प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम,1867 में दी गई है। दैनिक समाचार पत्र सप्ताह में कम से कम पाँच दिन प्रकाशित किया जाएगा, साप्ताहिक और पाक्षिक समाचारपत्र के वर्ष में कम से कम क्रमशः 45 या 22 अंक होंगे।

(ग) **न्यूज एजेंसी** तार और बेतार संगठन होगा, जो कई मीडिया संगठनों को, जिनमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों शामिल हैं, को हर पल या दैनिक आधार पर समाचार देगी।

(घ) **न्यूज़ फीचर एजेंसियां** ऐसी एजेंसियां होंगी, जो साप्ताहिक या पाक्षिक आधार पर समाचार संगठनों को वर्तमान कार्यों के आधार पर समाचार और फीचर भेजेंगी।

(ङ.) **रेडियो संगठन** से तात्पर्य ऐसे मीडिया संगठन से है जो न्यूज़ बुलेटिन का प्रसारण करता है और समसामयिक कार्यक्रम चलाता है, जिसमें आकाशवाणी भी शामिल है जो प्रसार भारती अधिनियम के अधीन कार्य करता है।

(च) **टेलीविजन चैनल** का वही अर्थ होगा, जैसाकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अधीन समाचार और समसामयिक चैनलों की अनुमति दी जाती है।

(छ) **टेलीविजन और रेडियो न्यूज़ एजेंसी** मीडिया संगठन होंगे, जो टेलीविजन चैनलों और रेडियो स्टेशनों को न्यूज़ क्लिप देंगे।

(ज) **विदेशी समाचारपत्र और विदेशी समाचार एजेंसियां** मीडिया संगठन होंगे, जो क्रमशः खंड 2(ख) और 2(ग) में निर्धारित मापदंडों को व्यापक रूप से पूरा करते हैं।

(झ) **विदेशी टेलीविजन चैनल** ऐसे मीडिया संगठन होंगे, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के समाचार और समसामयिक चैनलों के लिए दिशानिर्देशों में निर्धारित मापदंडों को व्यापक रूप से पूरा करते हैं।

(ञ) **समाचार पोर्टल** समाचार वेबसाइट है, जो लगातार समाचार कवरेज और समसामयिक फीचरों को उपलब्ध कराती हैं।

(vi) **प्रत्यायन कार्ड**: पीआईबी या राज्य सूचना विभाग ऐसे सभी संवाददाताओं और संपादकों को फोटो पहचानपत्र जारी करेंगे, जिन्हें समिति द्वारा प्रत्यायन दिया गया है और जब कभी आवश्यक हो, इस कार्ड को केंद्रीय और राज्य सरकारों के सभी परिसरों में प्रवेश के लिए प्राधिकृत किया जाएगा जिससे उन्हें आगंतुक पास प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(vii) **समिति**: प्रत्यायन पर विचार करने और मंजूर करने के लिए तथा प्रत्यायित संवाददाताओं और समाचार संगठनों द्वारा समाचार एकत्र करने की सुविधा के लिए कार्रवाई करने की सिफारिश करने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति राज्य सरकारें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार जिला या तहसील (मंडल) स्तरीय

प्रत्यायन समिति गठित करेंगी।

3. प्रेस प्रत्यायन समिति एक स्थाई संगठन होगा, जिसकी सदस्यता प्रत्येक दो वर्ष में बदली जाएगी। समिति के कार्यो में कोई विराम नहीं होगा और सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करें कि नए सदस्यों का नामांकन पिछली समिति के कार्यकाल की समाप्ति से पहले राजपत्र में प्रकाशित किए जाएं। यदि सरकार नए सदस्यों का नामांकन नहीं कर पाती है तो पुरानी समिति तब तक बनी रहेगी जब तक कि नई समिति का गठन किया जाता है।

4. (क) प्रेस प्रत्यायन समिति में कम से कम 9 सदस्य होंगे, जो राष्ट्रीय /राज्य स्तर के संपादकों, संवाददाताओं, कैमरामैनों और कार्टूनिस्टों के रूप में विभिन्न मान्यताप्राप्त मुख्य मीडिया संगठनों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन संगठनों में प्रतिनिधि शामिल होंगे और केंद्र या राज्य में पत्रकारों की श्रेणी की सदस्यता का उचित प्रतिनिधित्व करेंगे।

(ख) केंद्र या राज्य सरकार द्वारा गठित प्रत्येक प्रत्यायन समिति में भारतीय प्रेस परिषद का प्रतिनिधि होगा।

बेहतर होगा कि इसमें ऐसा सदस्य शामिल हो, जो यथास्थिति राज्य या नगर विशेष में रहता हो।

(ग) कोई भी सदस्य लगातार दो कार्यकाल तक नहीं बना रहेगा।

5. महानिदेशक, मीडिया और संचार, केंद्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति के सदस्य-सचिव होंगे और राज्य सरकार के सूचना निदेशक/

आयुक्त राज्य स्तरीय प्रत्यायन समिति के सदस्य- सचिव होंगे। जिला या मंडल स्तरीय समिति में जिला सूचना/ जनसंपर्क अधिकारी सदस्य- सचिव होंगे। सदस्य- सचिव समिति की बैठकों को आयोजित करने, कार्यसूची तय करने और समिति के निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा।

6. समिति का अध्यक्ष कोई ऐसा वरिष्ठ पत्रकार होगा, जिसे केंद्र या राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाए। अध्यक्ष को संबंधित सरकार के प्रत्यायित संवाददाता के रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और वह लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए पात्र नहीं होना चाहिए।

7. इस समिति की बैठकें तिमाही में या यदि आवश्यक हो तो तो बार-बार होंगी। समिति की बैठक का कोरम कुल सदस्यता का 50 प्रतिशत होगा। बैठकों के लिए कम से कम 15 दिनों का नोटिस दिया जाएगा, बशर्ते अध्यक्ष इस बात से संतुष्ट हो कि असाधारण परिस्थितियों के कारण बैठक कम समय के नोटिस पर भी बुलाई जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में भी ऐसी असाधारण बैठक का निर्णय अस्थायी रूप से विधिमान्य होगा, बशर्ते उसे 15 दिन के नोटिस के बाद बुलाई जाने वाली समिति की बैठक में स्वीकार न किया जाए।

8. समिति में समाचारपत्रों, न्यूज एजेंसियों, पत्रिकाओं, टीवी चैनल, रेडियो संगठनों, समाचार पोर्टल को शामिल किया जाएगा, बशर्ते कि वे यथास्थिति अपने पाठकों, खरीदारों, दर्शकों, श्रोताओं को समसामयिक समाचार देने के आधारभूत मापदंड को पूरा करते हों। उन्हें अपनी विषय वस्तु का कम से कम 50 प्रतिशत सामान्य जनता की रूचि के समाचारों/ टिप्पणियों के रूप में देना चाहिए।

इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा कि किसी समाचार की विषय- वस्तु इस 50 प्रतिशत को पूरा करती है या नहीं। इन संगठनों ने संगठन के रूप में प्रत्यायन के लिए पात्र होने से कम से कम 6 महीने पहले की अवधि तक समाचार संगठन के रूप में कार्य किया हो। लेकिन यदि किसी प्रकाशन ने अपने प्रकाशन की अवधि में परिवर्तन कर दिया हो, लेकिन वह सामान्य जनता की रूचि के समाचार/ टिप्पणियों के रूप में कम से कम 50 प्रतिशत विषय- वस्तु को प्रकाशित करता रहता है तो उसकी सदस्यता बनी रहेगी। समिति द्वारा मान्यता दिए जाने के लिए आवेदन करने वाले सभी समाचारपत्र/ पत्रिकाएं भारतीय प्रेस परिषद से बेबाकी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।

9. लेकिन यदि समिति सर्वसम्मति से इस बात से संतुष्ट हो कि किसी समाचार संगठन को उसके प्रचालन के दिन से ही अस्थायी प्रत्यायन की आवश्यकता है तो समिति ऐसे आवेदक संगठन को थोड़ी संख्या में प्रत्यायन दे सकती है जिसका वह स्थायी दावा नहीं करेगा। ऐसे संगठन को दी गई अनुमति उस स्थिति में वापस ली जाएगी, यदि वह कार्य करना बंद कर देता है या समसामयिक समाचारों का प्रसार बंद कर देता है। संगठन का यह कर्तव्य है कि वह उस स्थिति में सरकार को सूचित करें, यदि यह बंद किया जा रहा हो या गैर- समाचारों को लेकर विषय-वस्तु में परिवर्तन किया जा रहा हो।

10. समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के परिचालन, खरीदारों की संख्या और न्यूज़ एजेंसी के कुल कारोबार, टी वी चैनलों और रेडियो संगठनों के कुल कारोबार, उसके पृष्ठों के प्रभावी होने और न्यूज़ पोर्टल के कुल कारोबार के आधार पर समिति ऐसे संपादकों,

संवाददाताओं, फोटोग्राफरों, कार्टूनिस्टों, कार्टोग्राफ़रों, टीवी कैमरामैनों, रेडियो कार्यपालकों आदि की संख्या निर्धारित करेगी, जिन्हें सरकार द्वारा प्रत्यायन दिया जा सकता है। लेकिन यदि संगठन इन मापदंडों के बढ़ने या घटने का प्रमाण देता है तो समिति तदनुसार उसे कोटा देगी।

11. भारत सरकार से संपादक/ संवाददाता/ कार्टूनिस्ट/ कार्टोग्राफर या फोटोग्राफर/ टीवी कैमरामैन/ रेडियो कार्यपालक के प्रत्यायन के आवेदनपत्र पर विचार करने के लिए किसी समाचार संगठन में कम से कम 5 वर्ष का ऐसा अनुभव अपेक्षित है, जिसे समिति स्वीकार करे। राज्य या जिला स्तर पर राज्य सरकार से प्रत्यायन के लिए कम से कम तीन वर्ष का अनुभव अपेक्षित है।

12. प्रत्यायन के प्रयोजन के लिए संपादकों को ऐसा माना जाना चाहिए कि वे समाचार एकत्र करने के कार्य में लगे हैं और उन्हें प्रत्यायन दिया जाना चाहिए। समिति स्वयं यह संतुष्टि करेगी कि आवेदक समाचार संगठन में पूर्णतः नियोजित है। समिति अपनी संतुष्टि करने के लिए समाचार क्लिपिंग, वीडियो क्लिप, रेडियो क्लिप आदि की मांग कर सकती है। इसके अलावा, वह नियोजन प्रमाणपत्र मांग सकती है, जो संपादक द्वारा जारी किया जाने वाला इस आशय का प्रमाणपत्र होता है कि आवेदक समाचार रिपोर्टिंग के कार्य में लगा हुआ है। समिति विज्ञापन या बिक्री का कार्य करने वाले लोगों को प्रत्यायन नहीं देगी, जो यह दावा करते हैं कि वे भी संवाददाता हैं।

13. अपनी यह संतुष्टि होने पर कि आवेदक एक प्रत्यायित संवाददाता बनने की पात्रता को पूरा करता है, समिति प्रत्यायन दिए जाने की अनुमति देगी, बशर्ते कि समाचार संगठन का कोटा उपलब्ध हो।

14. समिति द्वारा अनुमोदन दिए जाने की तारीख से 15 दिन के अंदर सरकार संबंधित पत्रकार को प्रत्यायन कार्ड जारी कर देगी।

15. यदि समिति किसी मीडिया संगठन या मीडिया संगठन की ओर से किसी पत्रकार के प्रत्यायन संबंधी आवेदनपत्र को अस्वीकार कर देती है तो आवेदक संगठन/ व्यक्ति को अस्वीकृति के कारणों के बारे में लिखित में सूचित किया जाएगा। आवेदक संगठन/ व्यक्ति अपने आवेदनपत्र में संशोधन कर सकता है या समिति के समक्ष पुनर्विचार के लिए अन्य संगत तथ्यों को रख सकता है। लेकिन ऐसे पुनर्विचार के बाद समिति का निर्णय अंतिम होगा।

16. समिति स्वतंत्र लेखन करने वाले वरिष्ठ पत्रकारों को प्रत्यायन दे सकती है, बशर्ते कि वे समाचार संगठनों की ओर से कम से कम 15 वर्ष तक प्रत्यायित संवाददाता रहे हों और बशर्ते कि वे यह प्रमाण दिखा सकें उनका मुख्य व्यवसाय पत्रकारिता है और वे पत्रकारिता से ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं।

17. समिति ऐसे पत्रकारों को विशेष प्रत्यायन दे सकती है, जिन्होंने प्रत्यायित संवाददाताओं के रूप में लंबी और विशिष्ट सेवा की हो, बशर्ते कि वे 58 वर्ष से अधिक आयु के हों और कम से कम 15 वर्ष की अवधि तक प्रत्यायित रहे हों और अपनी सेवा की मान्यता के समय सक्रिय रुप से पत्रकारिता से जुड़े हों।

18. संपादकों, संवाददाताओं, कार्टूनिस्टों, कार्टोग्राफ़रों, फोटोग्राफरों, टीवी कैमरामैनों, रेडियो कार्यपालकों आदि को जारी किए जाने वाला प्रत्यायन कार्ड दो वर्ष की अवधि तक मान्य होगा। समिति के सामान्य निदेश के अनुसार प्रेस सूचना ब्यूरो या संबंधित राज्य सरकारी विभाग सभी प्रत्यायित पत्रकारों के प्रत्यायन का दो वर्ष

में एक बार नवीकरण करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि एक दिन के लिए भी उन्हें सुविधा से वंचित नहीं रखा गया है।

19. यदि कोई संवाददाता एक से अधिक संगठन के लिए कार्य करता है और अतिरिक्त प्रत्यायन के लिए आवेदनपत्र देता है तो समिति उसे अतिरिक्त प्रत्यायन दिए जाने के कारणों को रिकॉर्ड करने के बाद अतिरिक्त प्रत्यायन दे सकती है।

20. सभी सरकारी मंत्रालय, विभाग, उपक्रम और अन्य विंग प्रत्यायित पत्रकारों को पहुंच और सूचना उपलब्ध कराएंगे और समाचारों के प्रसार के संबंध में अप्रत्याशित पत्रकारों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे।

21. समिति प्रत्यायन वापस ले सकती है बशर्ते कि-

(i) संपादक समिति को सूचित करता है कि पत्रकारों को संगठन के अंदर कार्य पुनः सौंप दिया गया है,

(ii) संपादक समिति को सूचित करता है कि समाचार संगठन को बंद कर दिया गया है/ या वह विषय -वस्तु का 50 प्रतिशत समाचार के रूप में प्रकाशित नहीं कर रहा है।

(iii) पत्रकार अब समाचार संगठन का कर्मचारी नहीं रहा है।

(iv) यदि भारतीय प्रेस परिषद द्वारा पत्रकार की व्यवसायिक कदाचार के लिए कम से कम दो बार परिनिन्दा की गई है।

(v) यदि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची हो कि पत्रकार ने प्रत्यायन सुविधा का गंभीर रूप से दुरुपयोग किया है तो उस पत्रकार को आरोपों का उत्तर देने का एक अवसर दिया जाएगा और समिति प्रत्यायन की वापसी के कारणों को रिकॉर्ड करेगी।

परंतुक: चूंकि पत्रकार को संविधान का संरक्षण प्राप्त होता है, अतः प्रत्यायन समिति यह सुनिश्चित करेगी कि केंद्र या राज्य सरकार या ऐसे किसी राजनीतिज्ञ या अधिकारी द्वारा प्रत्यायन को दुर्भावना या ओझे कारणों से रद्द नहीं किया जाता है, जिसे पत्रकार से इसलिए मनमुटाव हो गया हो कि उसने अप्रिय समाचार प्रकाशित किया था। किसी मीडिया संगठन या पत्रकार को प्रत्यायन से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जाएगा कि उसने ऐसा समाचार प्रकाशित किया है जिसके बारे में यह दावा किया गया हो वह शासकीय दृष्टि से गुप्त था या उसने ऐसी रिपोर्टें प्रकाशित की हैं, जो सरकार या उसके मंत्रियों या अधिकारियों के अनुकूल नहीं है।

22. समाचार संगठनों और पत्रकारों द्वारा प्रत्यायन दिए जाने या वापस लिए जाने से संबंधित आवेदनपत्रों पर विचार करने के अलावा, समिति समाचार संगठनों और पत्रकारों को अतिरिक्त सुविधाएं देने के उपायों पर चर्चा करेगी और उनकी सिफारिश करेगी ताकि समाचार प्रसार की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

23. न्यूज़ पोर्टल, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, समाचार एजेंसियों, टेलीविजन और रेडियो संगठन के संपादकों द्वारा प्रतिनियुक्त संपादकों/पत्रकारों को, जिन्हें राज्य प्रत्यायन समिति द्वारा प्रत्यायित किया गया हो, उनकी पात्रता पर नई दिल्ली में उनके मुख्यालयों में और राज्य की राजधानी/ राजधानियों में उनके कार्यालयों में भारत सरकार के प्रत्यायन के लिए विचार किया जाएगा, भले ही वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निवास नहीं करते हों। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि भारत सरकार से संबंधित समाचार सभी क्षेत्रों में प्रसारित किए जाते

हैं और संपूर्ण भारत के संपादकों/ प्रत्यायित पत्रकारों की भारत सरकार की सूचना और कार्यालयों तक पहुंच है।

24. एक राज्य से अधिक राज्यों/ पूर्वोत्तर जैसे राज्यों के समूह के समाचारों को कवर करने वाले पत्रकार सभी राज्यों/ पूर्वोत्तर जैसे राज्यों के समूह में प्रत्यायन के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि संपादक एक से अधिक राज्यों में प्रत्यायन की आवश्यकता के बारे में एक प्रमाणपत्र दे, जिसमें उसे उचित ठहराया गया हो।

25. सरकार संबंधित मंत्रालय की वेबसाइट में इन नियमों को डालेगी ताकि ये समाचार संगठनों, पत्रकारों और आम जनता के संदर्भ के लिए उपलब्ध रहें। समाचार संगठनों/ पत्रकारों को शामिल करने के संबंध में समिति का निर्णय, उस निर्णय के कार्यान्वयन के तत्काल बाद नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाएगा।

ट) आदर्श विज्ञापन नीति संबंधी दिशानिर्देश-2014

प्रस्तावना:

संसद द्वारा वर्ष 1978 में पारित कानून के अधीन भारतीय प्रेस परिषद प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने और भारत में समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों के मानकों में सुधार करने का कार्य करती है। इस संबंध में प्रेस परिषद अधिनियम की धारा 13 (1) के खंड (ड़.) द्वारा और समर्थन दिया गया है, जिसके अनुसार परिषद से अपेक्षित हैं कि "वह ऐसी किसी भी घटना की समीक्षा करेगी जिससे आम जनता के हित और महत्व के समाचारों की आपूर्ति और प्रसार को सीमित करने की संभावना हो"। कई ऐसे अवसर आए हैं जब भारतीय प्रेस परिषद ने विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा विज्ञापनों को ऐसे अनुचित रूप से देने या मनमाने तरीके से मना करने की शिकायतों पर कार्रवाई की है, जिनमें समाचारपत्रों, विशेष रूप से छोटी श्रेणी के समाचारपत्रों की आर्थिक व्यवहार्यता पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

इन शिकायतों का निपटान करते समय परिषद ने प्राय: यह पाया है कि सरकारी प्राधिकारी को चाहिए कि वे अपने खिलाफ आलोचनात्मक लेखों के कारण विज्ञापन जारी करने के मामले में समाचारपत्र के साथ भेदभाव ना करे। विज्ञापनों को जारी करने का कार्य तदर्थ आधार पर नहीं किया जाना चाहिए अपितु कुछ युक्तियुक्त मापदंडों के आधार पर तैयार की गई अधिसूचित नीति के आधार पर किया जाना चाहिए। इस मामले में राजनीतिक सोच का कोई महत्व नहीं होना चाहिए। विज्ञापनों का वितरण जहां तक संभव हो, उचित होना चाहिए, लेकिन छोटे समाचारपत्रों पर,जो सरकारी विज्ञापनों से प्राप्त राजस्व पर जीवित रहते हैं, सरकारी अधिकारियों द्वारा विशेष विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि समाचारपत्रों द्वारा विज्ञापनों का किसी अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है, तथापि उन्हें नियंत्रण अधिकारियों की इच्छा और विवेक पर जारी करने की अनुमति भी नहीं दी जा सकती।

इस पृष्ठभूमि में भारतीय प्रेस परिषद ने मूल तत्वों को तैयार करने के प्रश्न पर विचार किया है, जो केंद्र और राज्य सरकारों की ऐसी विज्ञापन नीति होगी, जिसे वे अपनाएंगे। इन आदर्श दिशानिर्देशों में केंद्र और राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, प्रशासन द्वारा विज्ञापन जारी करने के संबंध में और उनके वितरण दरों के निर्धारण और अदायगी तथा उनके सुचारू संचालन के संबंध में व्यापक सिद्धांत के रूप में समान रूप से लागू करने का प्रस्ताव है।

मापदंड

1) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत समाचारपत्र विज्ञापन जारी करने के संबंध में अनुमोदित सूची में शामिल किए जाने के पात्र होंगे।

2) विज्ञापन केवल उन्हीं समाचारपत्रों को जारी किए जाएंगे जिन्हें विज्ञापन जारी करने के लिए केंद्र/ राज्य सरकार की अनुमोदित सूची में शामिल किया गया हो। अनुमोदित सूची तैयार करने

के लिए एक समिति होगी, जिसमें सरकारी अधिकारियों और मीडिया संबंधी व्यक्तियों के गैर-सरकारी लोग शामिल होंगे। विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों को जारी करने के लिए समाचारपत्रों का चयन करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकारियों को निम्नलिखित मापदंडों के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए:

क) समाचारपत्रों को उस स्थिति में विज्ञापन के लिए पात्र समझा जाएगा, यदि वह चार माह से नियमित रूप से और बिना किसी रूकावट के प्रकाशित किए जा रहे हैं।

ख) विज्ञापन चाहने वाले समाचारपत्रों को प्रकाशन की अवधि और नियमितता, प्रकाशन के आकार, प्रिंटिंग की व्यवस्था, संपादकीय और प्रबंधन संबंधी व्यवस्था के बारे में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा पहले ही निर्धारित अपेक्षित योग्यताओं को पूरा करना चाहिए।

ग) विज्ञापन जारी करते समय समाचारपत्र के परिचालन को भी महत्व दिया जाता है। जिन स्त्रोतों से प्रामाणिक परिचालन के आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं, वे इस प्रकार हैं:

   i) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक,

   ii) परिचालन का ऑडिट ब्यूरो, और

   iii) सनदी लेखाकार, जो वार्षिक परिचालन के विवरण को प्रमाणित करता है।

इन स्त्रोतों में से किसी एक के माध्यम से प्राप्त आंकड़े समाचारपत्र को सूची में शामिल किए जाने के संबंध में परिचालन के निर्धारण के लिए स्वीकार किए जाने चाहिए और किसी अन्य पक्षकार को उपर्युक्त तीन में से किसी एक द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए।

घ) सरकार द्वारा बिलों की अदायगी विज्ञापन के प्रकाशन के 45 से 60 दिनों की अवधि के अंदर की जानी चाहिए। अदायगी प्रचलित उचित वाणिज्यिक दर पर की जानी चाहिए और बड़ी मात्रा में विज्ञापन जारी करने के मूल्य के रूप में 20 प्रतिशत कमीशन घटाया जाना चाहिए।

ङ) क्षेत्रीय विषयवस्तु को प्रकाशित करने वाले छोटे समाचारपत्रों को कुछ प्राथमिकता देना वांछनीय होगा।

च) पूर्वोत्तर, जनजातीय क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र तथा भाषायी समूह द्वारा चलाए जा रहे छोटे समाचारपत्र जैसे दूरदराज से प्रकाशित किए जाने वाले भाषायी समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को भी उपयुक्त महत्व दिया जा सकता है।

छ) जहां तक संभव हो, राजनीतिक दलों के संगठनों को सरकारी प्राधिकारियों द्वारा अनुचित रूप से संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए।

सामान्य :

विज्ञापनों की सूची में शामिल करने के लिए पात्र समाचारपत्रों की सूची को ऐसा सार्वजनिक दस्तावेज बनाया जाना चाहिए, जो अनुरोध करने पर उपलब्ध हो जाए। यह सूची भारतीय प्रेस परिषद, भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक और मान्यता प्राप्त समाचारपत्र संघों को भी आवधिक रूप से भेजी जानी चाहिए।

विज्ञापन जारी करने की अनुमोदित सूची में शामिल करने/शामिल नहीं करने/हटाए जाने से संबंधित सभी विवाद एक स्वतंत्र निकाय को भेजे जाने चाहिए, जिसमें भारत सरकार और सामाजिक- पत्रकारिता के क्षेत्र के ऐसे सदस्यों, जिनका कोई हितबद्ध न हो, के प्रतिनिधि होंगे। विकल्प के रूप में यह विवाद प्रेस और पंजीकरण अपील बोर्ड के प्रतिमान पर गठित किए गए निकाय

को भेजा जा सकता है, जिसमें भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य हो सकते हैं।

यह दिशानिर्देश सर्वांगीण नहीं है क्योंकि इनमें सीमित प्रकार के मुद्दे शामिल हैं। इन्हें भेदभाव की ऐसी किसी संभावना को कम करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है जिनसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

ठ) आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के विज्ञापन

अखबारों में किसी भी बीमारी, विकार सिंड्रोम या बीमारी की रोकथाम या इलाज, अवशमन, उपचार या रोकथाम के उद्देश्य से आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी के बारे में विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाए :

(i) बिना विशिष्ट पहचान संख्या के; या

(ii) इच्छित विज्ञापन में निर्माता के संपर्क विवरण शामिल न हों; या

(iii) विज्ञापन की सामग्री प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अश्लील या अशिष्ट हो; या

(iv) यह किसी भी आयुर्वेदिक, सिद्ध या यूनानी दवा के संदर्भ में हो जो पुरुष या स्त्री के यौन अंगों की लंबाई और आकार या उनकी क्षमता में वृद्धि के लिए उस दवा या उसके उपयोग के लिए सुझाव दे या उसके उपयोग की ओर आकर्षित करे; या

(v) इसमें मशहूर हस्तियों या सरकारी अधिकारियों के फोटो या शंसापत्र को दर्शाये या

(vi) यह किसी भी सरकारी या सरकार के स्वायत्त संगठन के संदर्भ में हो।

ड) पेड समाचारों की पहचान के लिए निर्धारित सिद्धान्त

पेड समाचार का अर्थ प्रकाशन से पूर्व, प्रकाशन के समय अथवा प्रकाशन के पश्चात किसी भी प्रकार से दिए गए प्रतिफल के बदले में मीडिया में दिए जाने वाले अथवा मीडिया से हटाए जाने वाले शब्द होंगे। यह एक गुप्त वित्तीय लेन-देन है जिसकी संकल्पना धोखाधड़ी है और जिसे धोखे से दिया जाना है और इसलिए इसे सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त करना मुश्किल है। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं होने पर भी ठोस परिस्थितिजन्य साक्ष्य से पेड न्यूज की घटनाओं का अनुमान लगाना संभव है।

इसके साथ ही चुनाव अधिकारियों पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि पेड न्यूज की पहचान करने की प्रक्रिया पूरी तरह से सुविस्तृत और विश्वसनीय हो क्योंकि प्रकाशनों और पत्रकारों की प्रतिष्ठा दांव पर होती है।

पेड न्यूज के मुद्दे का निर्धारण करने के लिए कोई कठोर नियम या अवरोधक सूत्र निर्धारित किया जाना संभव नहीं है और यह प्रत्येक मुद्दे के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। मात्र इसलिए कि एक विशेष समाचार एक विशेष व्यक्ति के हितों की पूर्ति करता प्रतीत होता है, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि यह पेड समाचार था। इसके अतिरिक्त, समाचारपत्र में एक व्यक्ति के साक्षात्कार या राजनीतिक कवरेज के प्रकाशन को पेड समाचार का कारण नहीं माना जा सकता। खराब पत्रकारिता खबरों की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा कर सकती है लेकिन इससे इस निष्कर्ष पर पहुँचना कि वे पेड न्यूज हैं, तर्कहीन होगा। चुनाव के दौरान, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत, समाचारपत्र उम्मीदवारों या पार्टियों की संभावनाओं का एक ईमानदार मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र है और इसका प्रकाशन तब तक पेड समाचार नहीं होगा जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि उस तरह से प्रकाशन के लिए प्रतिफल दिया गया था। उल्लेखनीय है कि कई समाचारपत्रों की संपादकीय

नीति विशेष सोच या क्षेत्र के उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए होती है और ऐसे मामलों में ऐसे उम्मीदवारों के पक्ष में लिखना पेड समाचार के बराबर नहीं होगा। इससे संबंधित समाचार प्रकाशित होने की तिथि पर उम्मीदवार द्वारा विज्ञापन का प्रकाशन मात्र आक्षेपित समाचार को पेड समाचार सिद्ध करने के लिए निर्णायक नहीं हो सकता है।

राज्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्रकारिता की बारीकियों की परख कम है और इसलिए क्या समाचार है और क्या पेड समाचार हो सकता है पर पिप्पणी करते हुए वे भारी भूल कर बैठते है। राज्य निर्वाचन अधिकारियों को पेड समाचार में अपनी उपलब्धियों को सार्वजनिक करने से पूर्व उनके समस्त मुद्दों पर स्वयं विवेकपूर्ण ढ़ंग से ध्यान देना चाहिए था ज्ञयोंकि प्रतिकूल निष्कर्ष से समाचारपत्रों/पत्रिकाओं की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचेगी।

ढ) कोविड-19 की रिपोर्टिंग एवं पत्रकारों के लिए सुरक्षा उपायों पर दिशानिर्देश

कोविड-19 की रिपोर्टिंग चुनौतीपूर्ण और अभूतपूर्व है। पत्रकारों और मीडियाकर्मियों को कठिन परिस्थितियों में रिपोर्ट करने के लिए अपना घर छोड़ना पड़ता है।

- यूनीसेफ(UNICEF)

नैतिक पत्रकारिता के मूल सिद्धांत *सच्चाई और सटीकता, औचित्य और निष्पक्षता, मानवता, सेवा, जवाबदेही और स्वतंत्रता* के इर्द-गिर्द घूमते हैं। इसीलिए, इस तरह की महामारी के दौरान मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी के साथ, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13 के तहत अपने अधिदेश को ध्यान में रखते हुए प्रेस परिषद ने पत्रकारिता जगत के लिए सुलभ संदर्भ हेतु दिशानिर्देशों को विकसित किया है।

सनसनी और आतंक फैलाने से बचना :- ऐसी भाषा और तस्वीरों (चित्रों) से बचें जो चिंता, तनाव को बढ़ा सकती हैं और जनता में अधिक दहशत पैदा कर सकती हैं।

सुनिश्चित करना कि प्रभावित लोगों की पहचान सुरक्षित रहे :- संबंधित लोगों की अनुमति के बिना नाम, तस्वीर या पहचान सामग्री की पहचान न बताएं।

सटीक रहें और तथ्यों की रिपोर्ट करें :- गलत सूचना के प्रसार को कम करें, अफवाह से बचें और अटकले न लगाएँ।

हमेशा विशेषज्ञ की राय लें :- कोविड19- पर प्रासंगिक प्रत्यय-पत्रों के साथ डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और अन्य हितधारकों से राय लें।

हमेशा संदर्भ दें और तथ्यों को विश्वसनीय सूचना स्त्रोतों से दें।

मामलों के बंटन को दर्शाते समय मानचित्रों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करें

किसी भी प्रकार की विवरणिका (प्रोफ़ाइलिंग) से बचें – नए मामलों की रिपोर्टिंग के दौरान, जहां वायरस उत्पन्न हुआ हो, जैसे भौगोलिक, सामुदायिक, स्पर्धा, धर्म या लोगों के समूह आदि को हर बार न दोहराएँ।

मीडिया घराने बुनियादी स्तर पर काम कर रहे अपने पत्रकारों की सुरक्षा को अत्यधिक प्राथमिकता दें :

क. ड्यूटी करते समय उन्हें पीपीई किट प्रदान करना।

ख. यह सुनिश्चित करना कि जो पत्रकार ड्यूटी करते समय वायरस से संक्रमित हो जाते हैं, उन्हें उचित स्वास्थ्य संबंधी सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

ग. जिन पत्रकारों में कोविड19- के लक्षण दिख रहे हों, को स्वत: अलगाव (सेल्फ आइसोलेशन) के लिए समुचित छुट्टी देना।

पत्रकारों को रिकॉर्डिंग करते समय या कोई साक्षात्कार करते हुए निम्नलिखित को ध्यान में रखना होगा :

क. कम से कम 6 फीट की दूरी रखें या भीड़ लगाए बिना उचित दूरी बनाए रखें।

ख. क्लिप-ऑन माइक से बचें और दिशात्मक माइक का प्रयोग करें।

ग. पीपीई किट, मास्क और दस्ताने पहनें।

ण) मेडिकल रिपोर्टिंग के लिए मानक

चिकित्सा रिपोर्टिंग को स्वास्थ्य संबंधी समाचार, चिकित्सा संबंधी अनुसंधान और स्वास्थ्य नीतियों के प्रसार के माध्यम से परिणाम सांझा करने का जरिया माना जाता है।

i) जो पत्रकार मेडिकल रिपोर्टिंग में लगे हुए हैं, उनके पास मेडिकल जांच रिपोर्ट की व्याख्या करने का कौशल और क्षमता होनी चाहिए। स्वास्थ्य अधिकारियों के सहयोग से स्वास्थ्य संबंधी समाचार के प्रसार के लिए पत्रकारों का विशेष प्रशिक्षण स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की सही और उचित कवरेज में सुविधा प्रदान करेगा।

ii) रिपोर्टिंग को मरीजों को सकारात्मक रूप से व्यक्तियों के रूप में दर्शाना चाहिए न कि पीड़ितों के रूप में।

iii) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शीर्षक स्वास्थ्य मुद्दों को सही ढंग से दर्शायें और खबर संतुलित तथा नुकसानदेह रूढिबद्ध धारणाओं से मुक्त हो।

iv) खबरों में और समाचार देते समय रोगियों की पहचान का खुलासा तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि ऐसा करने की कोई विशिष्ट अनुमति न हो। जब भी संभव हो, उनके पास लिखित सहमति अवश्य होनी चाहिए और यदि यह संभव नहीं है तो सूचित सहमति अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। हालांकि पहचान न बताना सर्वोत्तम होगा।

v) जब भी विशिष्ट वृतिक समूहों जैसे कि वर्दीधारी सेवाओं, स्वास्थ्य वृतिक पर रिपोर्टिंग की जाए, तो अधिकृत स्रोतों से आंकड़े प्राप्त करने में सावधानी बरतनी चाहिए।

vi) अस्पतालों या स्वास्थ्य रक्षा कर्मचारियों, जो कर्तव्य निर्वहन के दौरान संक्रमित होते हैं, की पहचान बताने से आम जनता में दहशत और भय का माहौल होता है और उनके मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, इससे कोई सार्वजनिक हित भी नहीं होता है।

vii) स्वास्थ्य पत्रकारों और समाचार संगठनों के सभी स्तरों पर लोगों को चिकित्सा रिपोर्टिंग के विभिन्न आयामों को लेकर प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।

त) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012* की धारा-23 का उपबंध

(1) कोई भी व्यक्ति, पूर्ण और प्रामाणिक जानकारी के बिना, फोटोग्राफिक सुविधाओं या स्टूडियों या मीडिया के किसी भी रूप में, किसी भी बच्चे पर कोई भी ऐसी रिपोर्ट या टिप्पणी नहीं करेगा, जिससे उसकी प्रतिष्ठा कम हो या उसकी प्राइवेसी का अतिलंघन हो।

---

* उक्त उपबंधों को परिषद ने अपनी बैठक दिनांक 22.09.2020 में अंगीकार किया।

(2) एक बच्चे की पहचान, जिसमें उसका नाम, पता, तस्वीर, पारिवारिक विवरण, स्कूल, पड़ोसी या कोई अन्य विवरण शामिल है, जिससे बच्चे की पहचान का खुलासा हो सकता है, को किसी भी मीडिया की किसी भी रिपोर्ट में उजागर नहीं किया जाएगा बशर्ते कारण लिखित में दर्ज करते हुए विशेष न्यायालय, जो अधिनियम के तहत मामले में जांच करने हेतु सक्षम हो, इस तरह की अनुमति दे सकता है, यदि इसकी राय में ऐसा खुलासा बच्चे के हित में हो।

भाग ग : प्रेस से संबंधित कानून

1. भारतीय संविधान*

i) अनुच्छेद 19(2) के साथ पढ़ा गया अनुच्छेद 19(1) (क) (बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता)

ii) अनुच्छेद 361-क (संसद और राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के प्रकाशन का सरंक्षण)

iii) अनुच्छेद 105 और 104 (संसद और विधान मंडलीय विशेषाधिकार)

iv) अनुच्छेद 21 (भारत के नागरिकों को प्रत्याभूत जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के निर्गमित, व्यक्ति की एकांतता का अधिकार)

2. प्रेस कानून/अधिनियम*

i) स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986

ii) पंजाब विशेष शक्तियां (प्रेस) अधिनियम, 1956

iii) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867

iv) नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, 1876

v) भारतीय टेलीग्राफ संशोधन अधिनियम, 2006

vi) (भारतीय) डाक घर अधिनियम, 1898

vii) पुलिस (द्रोह उद्दीपन) अधिनियम, 1922

---

*समय समय पर भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार

viii) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम सं 1923)

ix) भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण **(टी आर ए आई)** अधिनियम, 1997

x) भारत के राज्य संप्रतीक(अनुचित प्रयोग निषेध) अधिनियम, 2005

xi) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

xii) पुस्तक और समाचारपत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1954

xiii) औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954

xiv) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1955

xv) पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं 42)

xvi) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

xvii) अल्पवय व्यक्ति (अपहानिकारक प्रकाशन) अधिनियम, 1956

xviii) प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957

xix) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

xx) दंड विधि संशोधन अधिनियम, 2018

xxi) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962

xxii) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2012

xxiii) नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968

xxiv) श्रमजीवी पत्रकार (मजदूरी दर नियतन) अधिनियम, 1958

xxv) न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971

xxvi) प्रेस परिषद अधिनियम, 1978

xxvii) इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978

xxviii) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980

xxix) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

xxx) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

xxxi) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

xxxii) विपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

3. भारतीय दंड संहिता, 1860* के तत्संबंधी उपबंध

क) धारा -124 किसी विधिसम्मत शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य करने या रोकने के उद्देश्य से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना।

ख) धारा 153 क- धर्म, जाति, जन्म-स्थान, आवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता पैदा करना और सद्भाव बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कृत्य करना।

ग) धारा 153 ख-राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अभ्यारोपण तथा प्रख्यान।

घ) धारा 171 छ-किसी चुनाव के संबंध में झूठा बयान।

---

*समय-समय पर भारत सरकार द्वारा किये गये संशोधन के अनुसार

ड़) धारा 228–न्यायिक कार्यवाही में रत सरकारी कर्मचारी का जानबूझकर अपमान करना या बाधा डालना 228(क) धारा 376, 376-क, 376-ख, 376-ग,या 376-घ के अंतर्गत अपराधों के पीड़ित की पहचान को प्रकट करना।

च) धारा -292 अश्लील पुस्तकों आदि की बिक्री आदि।

छ) धारा -293अल्पवय व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं की बिक्री।

ज) धारा 294 क-लॉटरी कार्यालय रखना।

झ) धारा 295 क-किसी धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान कर के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से जानबूझ कर किए गए दुर्भावपूर्ण कृत्य।

ञ) धारा -299 आपराधिक मानव वध

ट) धारा -499 मानहानि

ठ) धारा 500 मानहानि के लिए दंड

ड) धारा-501 ऐसी सामग्री का मुद्रण या उत्कीर्णन जिसके मानहानिकारक होने का पता हो

ढ) धारा -502 मानहानिकारक तत्व वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ की बिक्री।

ण) धारा 505:-

i) सार्वजनिक अनिष्ट के लिए प्रेरक वक्तव्य।

ii) वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करने वाले या फैलाने वाले वक्तव्य.

iii) पूजा स्थल पर उप-धारा (2) के अंतर्गत किया गया अपराध।

त) सद्भाव से सम्बद्ध तथ्यों और कार्यों के संबंध में भा.दं.सं. की धारा 52।

4. दं.प्र.स., 1973, के तत्सबंधी उपबंध (1974 का अधिनियम सं.11)*

क) धारा 88 - पेश होने के लिए बंध पत्र लेने का अधिकार।

ख) धारा 90 - सम्मन तथा गिरफ्तारी के वारंट।

ग) धारा 92 - पत्रों तथा तारों के बारे में प्रक्रिया।

घ) धारा 93 - तलाशी वारंट कब जारी किए जाएं।

ड़) धारा 108 - राजद्रोहात्मक बातों का प्रसार करने वाले व्यक्तियों से अच्छे व्यवहार के लिए प्रतिभूति।

च) धारा 144 - उपद्रव या आशंकित खतरे के अनिवार्य मामलों में तत्काल अबाधित आदेश जारी करने का अधिकार।

छ) धारा 177 से 187 - पूछताछ या मुकदमें का स्थान।

ज) धारा 195 - सरकारी कर्मचारियों के विधिसम्मत प्राधिकार के अवमान के लिए मुकदमा चलाना।

झ) धारा 320 - अपराधों का शमन करना।

ञ) धारा 325 - यदि मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड न दे सके तो प्रक्रिया।

ट) धारा 326 - आंशिक रूप से एक मजिस्ट्रेट और आंशिक रूप से अन्य द्वारा रिकॉर्ड किये गये साक्ष्य पर प्रतिबद्धता या दोषसिद्धि।

---

*समय-समय पर भारत सरकार द्वारा किये गये संशोधन के अनुसार

भाग घ – प्रेस परिषद के अधिकार, व्यवहार तथा प्रक्रियाएँ

भारत में प्रेस के स्तरों को बनाए रखने और उनमें सुधार करने एवं प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण के उद्देश्य से प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशों पर संसद द्वारा 1966 में भारतीय प्रेस परिषद का पहली बार गठन किया गया। वर्तमान परिषद, प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के अंतर्गत कार्य करती है। यह सांविधिक अर्द्ध न्यायिक निकाय है जोकि प्रेस के हित प्रहरी के रुप में कार्य करती है। यह क्रमश: प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन और नीति के उल्लंघन पर प्रेस द्वारा और प्रेस के विरुद्ध शिकायतों पर निर्णय देती है।

प्रेस परिषद के एक अध्यक्ष होते हैं जोकि परिपाटी के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। परिषद में 28 अन्य सदस्य होते हैं जिनमें से 20 प्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं और समाचारपत्रों के प्रबंधकों, मालिकों, श्रमजीवी पत्रकारों और संपादकों जैसी श्रेणियों के अखिल भारतीय निकायों के रूप में परिषद द्वारा अधिसूचित और मान्यता प्राप्त प्रेस संगठनों/समाचार एजेंसियों से नामित किये जाते हैं। 5 सदस्य संसद के दोनों सदनों से नामित किये जाते हैं और 3 साहित्य अकादमी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से नामित व्यक्तियों के रूप में सांस्कृतिक, साहित्यिक और विधि क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सदस्य, तीन वर्ष की अवधि तक परिषद का कार्य करते हैं। एक सेवानिवृत हो रहा सदस्य एक अवधि से अधिक के लिए पुन: नामित किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा।

देश में पंजीकृत समाचारपत्रों पर उनके परिचालन के आधार पर लगाए गए शुल्क के रूप में परिषद द्वारा एकत्रित किया गया राजस्व परिषद का फ़ंड

होता है। 25000 प्रतियों से कम परिचालन करने वाले समाचारपत्रों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता। केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान के जरिये घाटे की पूर्ति की जाती है।

शिकायत दर्ज करने हेतु प्रक्रिया

1. प्रेस के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने हेतु शिकायत प्रक्रिया

प्रेस के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने हेतु शिकायत प्रक्रिया कोई भी व्यक्ति, किसी समाचारपत्र के विरुद्ध पत्रकारिता आचरण और रुचि के मान्य नैतिक सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए प्रेस परिषद में शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायतकर्ता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे उस समाचार से स्वयं पीड़ित अथवा सीधे संबद्ध हो। यह उल्लंघन समाचारपत्र में किसी समाचार अथवा वक्तव्य के प्रकाशन, अप्रकाशन या अन्य सामग्री जैसे व्यंगचित्र, फोटो, मनोरंजन सामग्री अथवा विज्ञापनों के रूप में हो सकते हैं। आम जनता में से कोई भी व्यक्ति, संपादक, श्रमजीवी पत्रकार, समाचारपत्रों के कर्मचारी अथवा स्वछंद पत्रकारिता में लगे हुए व्यक्ति के व्यावसायिक कदाचार के विरुद्ध भी शिकायत कर सकता है। एक समाचार एजेंसी द्वारा किसी भी तरीके से दिये गये किसी भी मामले के विरुद्ध भी शिकायत की जा सकती है।

प्रेस परिषद (जांच प्रक्रिया) विनियम 1979 के अनुसार, निम्नलिखित अवधि के भीतर परिषद के सम्मुख शिकायत दर्ज की जाएगी :

(i) दैनिक, समाचार एजेंसियाँ और साप्ताहिक---------दो माह के भीतर

(ii) अन्य मामलों में--------------चार माह के भीतर

(iii) बशर्ते पूर्व तिथि के संबंद्ध प्रकाशन का शिकायत में हवाला दिया जाये।

सबसे पहले संपादक को लिखें

शिकायतकर्ता, जिस समाचार को जनता की रुचि के विरुद्ध अपराध अथवा पत्रकारिता नीति का उल्लंघन समझते हैं, उसकी ओर समाचारपत्र के संपादक का ध्यान आकृष्ट करते हुए जांच विनियमों के अंतर्गत सबसे पहले उन्हें लिखना जरूरी है। ऐसे पूर्व संदर्भ से संपादक को पहली बार में मामले से निबटने का मौका दिया जाता है और इस प्रकार परिषद को शिकायत भेजे जाने से पहले प्रतिवादी को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उचित अवसर भी दिया जाता है यह नियम जरूरी है क्योंकि इससे संपादक उन पर आरोप लगाने वाले से परिचित हो जाता है और उन्हें शिकायत के विवरण का पता चल जाता है। यह विचार करने की बात है कि कुछ मामलों में, शिकायतकर्ता को गलत सूचना मिली हो या तथ्यों का गलत अर्थ निकाला गया हो। दूसरी तरफ यह अनजाने में हुई गलती का भी मामला हो सकता है जिसे संपादक स्वीकार करने और संशोधित करने के लिए तैयार हो। यदि शिकायत करने वाला संतुष्ट हो जाये तो मामला वहीं समाप्त हो सकता है।

जहां समाचारपत्र का ध्यानाकृष्ट करने के पश्चात् कोई व्यक्ति शिकायत को आगे बढ़ाने की इच्छा रखता है, तो उसे संपादक के साथ हुए पत्र व्यवहार की प्रतियां भी शिकायत के साथ संलग्न करनी चाहिए। यदि संपादक की ओर से कोई उत्तर प्राप्त न हुआ हो, तो शिकायत में इसका उल्लेख करना चाहिए।

शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत में उस समाचारपत्र के संपादक अथवा पत्रकार का नाम तथा पता लिखना चाहिए जिसके विरुद्ध शिकायत की गई हो। वह मामला अथवा समाचार जिनकी शिकायत की गई हो, की मूल कतरन अथवा स्व अनुप्रमाणित प्रति (अंग्रेजी अनुवाद, यदि समाचार देशी भाषा में है) शिकायत के साथ भेजी जानी चाहिए। शिकायतकर्ता को लिखना चाहिए कि समाचार या पैराग्राफ या वह सामग्री जिसकी शिकायत

की गई है, किस प्रकार आपत्तिजनक है। उनके पास यदि इस विषय में कोई अन्य विवरण हो, तो उसे भी भेजना चाहिए।

किसी सामग्री को प्रकाशित न किए जाने की, शिकायत के मामले में शिकायतकर्ता को लिखना चाहिए कि इससे किस प्रकार पत्रकारिता नीति का उल्लंघन हुआ है।

परिषद किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायालय में न्यायाधीन हो। शिकायतकर्ता को घोषणा करनी होगी कि अपनी संपूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार, उन्होंने परिषद के सामने सभी संबंद्ध तथ्य रख दिए हैं तथा शिकायत में कथित किसी मामले के संबंद्ध में किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। एक अन्य घोषणा करना भी जरूरी है कि "परिषद द्वारा जांच के दौरान यदि शिकायत में कथित मामला न्यायालय की कार्रवाई का विषय बन जाता है, तो वे इसकी सूचना परिषद को देंगे।"

2. प्रेस की स्वतंत्रता के दमन संबंधी शिकायतें

समाचारपत्र, पत्रकार या कोई भी संस्था या व्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्र कार्यप्रणाली में दखल देने, प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने अथवा अतिक्रमण के लिए केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी संगठन या व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत कर सकता है। ऐसी शिकायतों में कथित उल्लंघन का पूरा विवरण होना चाहिए जिसपर परिषद ऊपर दी गई जांच प्रक्रिया के अनुसार कार्य करेगी।

परिषद द्वारा व्यक्त किये गये विचार दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं (i) यह नहीं हो सकता कि प्रेस की स्वतंत्रता के दुरुपयोग पर कोई ध्यान न दे अथवा उसका विरोध न करे, और(ii) प्रेस को स्वयं अपने हित में अश्लील अथवा अन्य आपत्तिजनक लेख प्रकाशित नहीं करने चाहिए

यानि ऐसे लेख जो कि स्वयं में से गठित परिषद जैसी निष्पक्ष निर्णायक द्वारा पत्रकारिता नीति के मान्यता प्राप्त मानकों से निम्न स्तर माने गए हैं क्योंकि इससे प्रेस की अत्यधिक बहुमूल्य स्वतंत्रता में ही कटौती होगी।

भाग ड़: पत्रकारिता में उत्तम आचरण

i) अस्पष्ट प्रकृति की गलती को पत्रकारिता की आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। हालांकि, केवल त्रुटि को सही करने की जरूरत होगी।

ii) महान संपादक अपने साथ रबड़ रखते हैं और कोई गलती बताये जाने पर उसे हटाने में हिचकिचाते नहीं हैं।

iii) यदि किसी त्रुटि/ गलती का पता चलता है, तो संपादक को उस पर समुचित ध्यान देना चाहिए और उसके सही पाये जाने पर, संपादक को, उसका सही वर्तन मंगवाना चाहिए और उसे, उसी प्रमुखता के साथ, समाचार पत्र के उसी संस्करण में प्रकाशित करना चाहिए।

अपनी शिकायतें अथवा पूछताछ निम्नलिखित पते पर करें :

सचिव,
भारतीय प्रेस परिषद,
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
फोन : 91 (011) 24366404-405
(एक्स. 335,336,110,111)
फैक्स: 91 (011) 24366405/24366745 (एक्स.224)
ई-मेल: secy-pci@nic.in
so.complaints-pci@gov.in
pcibppcomplaint@gmail.com
वैबसाइट: www.presscouncil.nic.in

[“परिषद की कार्यप्रणाली और शिकायत तंत्र के लिए प्रेस परिषद अधिनियम 1978 की धारा 13,14 और 15 तथा प्रेस परिषद (जांच प्रक्रिया) विनियम 1979 का संदर्भ लें”]

टिप्पणी

टिप्पणी

टिप्पणी

पत्रकारिता के आचरण के मानक

संस्करण 2022